

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.XII, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No.21, Saturday, August 21, 2010/Sravana 30, 1932(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
SUBMISSION BY MEMBER	4-10
RE: Need to implement directions of Supreme Court in regard to salaries and remuneration of Imams of Mosques	
PAPERS LAID ON THE TABLE	20
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	20
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE	21
FINANCIAL COMMITTEES - A REVIEW	22
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY	22
13th and 14th Reports	
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	22
10th and 11th Reports	
BUSINESS OF THE HOUSE	23-26
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	27
20th Report	
PERSONAL LAWS (AMENDMENT) BILL, 2010	28-51
Motion to Consider	28-51
Shri M. Veerappa Moily	28 49-51

Shri Chandu Lal Sahu	29-30
Dr. Girija Vyas	31-34
Shri Shailendra Kumar	35-36
Dr. Baliram	37
Shri Arjun Charan Sethi	38-39
Shri T.K.S. Elangovan	40
Shri S. Semmalai	41
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	43
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	44-45
Shri Prasanta Kumar Majumdar	47-48
Clauses 2 to 4 and 1	51
Motion to pass	51
MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2010	52-109
Motion to Consider	52-108
Shri Shriprakash Jaiswal	52-53 100-109
Shri Hansraj G. Ahir	54-59
Shri V. Kishore Chandra Deo	60-65
Shri Shailendra Kumar	66-68
Dr. Baliram	69-70
Sk. Saidul Haque	71-74
Shri B. Mahtab	75-80
Shri Pralhad Joshi	81-84
Shri Adhir Chowdhury	85-87
Shri Sharad Yadav	88-93
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	94-96
Shri Govind Prasad Mishra	97-99

Clauses 2, 3 and 1	108
Motion to Pass	109
MOTION RE: NINTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	110
PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS	111-158
(i)Identification of families living below poverty line and welfare measures for them	111-156
Shri Adhir Chowdhury	113-117
Shri B. Mahtab	118-123
Shri Nishikant Dubey	124-128
Dr. Baliram	129-130
Chaudhary Lal Singh	131-134
Shri S. Semmalai	135-136
Shri Arjun Ram Meghwal	137-138
Shri Satpal Maharaj	139
Shri Sushil Kumar Singh	140-142
Shri Jagdish Thakor	143-144
Shri Ramkishun	145-147
Shri Pradeep Jain	148-156
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	153-156
Resolution Withdrawn	156
(ii)Special status to the State of Bihar	157-158
Dr.Bhola Singh	157-158

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Saturday, August 21, 2010/Sravana 30, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप इनकी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ कि आपने मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया। आज सदन के नेता माननीय प्रणव बाबू के कमरे में हम लोग मिले। दो तीन सवाल ऐसे थे जिन पर सदन में काफी तनाव रहा और सदन के नेता ने जब मीटिंग बुलाई तो उसमें माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय लालू जी, माननीय दारा सिंह जी, माननीय गोपीनाथ मुंडे जी और हमारे दूसरे सदन के नेता अरुण जेटली जी भी थे, प्रणव बाबू के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, स्टेट मिनिस्टर भी थे, माननीय चव्हाण जी थे और एक आम सहमति से एमसीआई बिल पास हो गया, वह वापस नहीं हो सकता। प्रणव बाबू ने सुझाव दिया कि 193 के तहत बहस हो जाएगी और उस बहस में जो बात सदन के सदस्यों द्वारा उठाई जाएगी, उसके अनुरूप कोई रास्ता निकलेगा तो निकालेंगे। दूसरा सवाल जो समूचे सदन में काफी जिस पर देश में भी और सदन के भीतर भी काफी तनाव रहा है, वह है एमपीज़ की सैलेरी का। उस पर भी गोपीनाथ मुंडे जी ने, भाई मुलायम सिंह जी ने, लालू जी ने, दारा सिंह जी ने और अरुण जेटली जी ने अपने सुझाव रखे और सुझावों के बाद यह तय हुआ कि प्रणव बाबू इन सुझावों को ख्याल में रखा। सारे एमपीज़ की भावनाओं को लालू जी ने और मुलायम सिंह जी ने रखा, गोपीनाथ मुंडे जी ने भी रखा। मैं तो यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने कम रखा, आप सब लोगों ने ज्यादा रखा। सारी बातों पर आपके आशीर्वाद से एक समाधान हो गया है और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए सारे नेता बधाई के पात्र तो हैं ही, और जो सांसद हैं, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है और उस बेचैनी के समाधान के लिए आज एक बहुत सद्भावना के साथ बैठक हुई और आपके आशीर्वाद से यह तय हुआ कि अब सदन अपने तरीके से चलेगा और एमसीआई के बिल पर 193 में डिबेट करने के लिए हम लोगों ने तय किया जो आप स्वीकार करेंगे। वह किसी और दिन हो जाएगा, जब आप तय करेंगे तब हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सदन के सभी नेताओं का और सभी माननीय सदस्यों का, विशेष तौर पर प्रणव बाबू का, बंसल जी का, स्वामी जी का और जो जो लोग वहाँ थे, उनका मैं बहुत आभार मानता हूँ। पूरे सदन की भावना है कि अब यह सदन चले तो ज्यादा बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदया : श्री श्रीपाद येसो नायक - उपस्थित नहीं।

श्री एन.पीताम्बर कुरुप।


SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): Respected Madam, I may kindly be permitted to raise the following under matter of urgent public importance today. The National Highway No.47 is one of the most important Highways passing through the middle of Kerala touching the capital city Trivandrum and then to Tamil Nadu border.

MADAM SPEAKER: This is 'Zero Hour'. If it is not 'Zero Hour' matter, you may raise it later. Shri Lalu Prasad.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Are you stating something about 'Zero Hour'? Please raise it.

SHRI N. PEETHAMBARA KURUP: The Highway authorities have legally acquired sufficient land to construct a bypass from Mevaram to Kavanad in Kollam District. Few kilometres of the road has been completed. The other portion remains in the unfinished form. The situation is so grave that it leads to a number of road accidents in Kerala.

 Therefore, I would request the Central Government to direct the National Highway authorities to complete the above-mentioned bypass work at the earliest to save the precious lives of thousands of people.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam Speaker, I would like to associate myself with Shri N. Peethambara Kurup about this important matter.

MADAM SPEAKER: All right.

11.06 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Need to implement directions of Supreme Court in regard to salaries and remuneration of Imams of Mosques

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, यह सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 1993 का जजमेंट है, ऑल इण्डिया इमाम संगठन इल्यासी जी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जो सरकार द्वारा एडिड मस्जिदें हैं और उसके अलावा जो दूसरी मस्जिदें हैं, उनके इमामों को सैलरी जो सरकारी एडिड हैं और गैर सरकारी एडिड को रैम्यूनरेशन दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार 6 महीने में एक्ट बनाए और इसको इम्पलिमेंट करे। लेकिन यह बहुत दुखद है, दुखदायी है कि देश भर में जो इमाम हैं, खुदा के मैसेज को सुनाते हैं, सही राह दिखाते हैं, उन पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, इसकी डिटेल् में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम यह सरकार को दे देंगे। यह कानून 6 महीने में बनाना चाहिए था। मेरी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि देश भर की मस्जिदों के जो इमाम हैं, सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का आदर करते हुए, एक कानून बनाए, जिसमें सरकारी एडिड को सैलरी और उसी संदर्भ में जो दूसरे इमाम हैं, उनको रैम्यूनरेशन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1993 के अपने जजमेंट में दी है, इसका अनुपालन हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री अब्दुल रहमान, श्री लालू प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करते हैं

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए और अपना स्वर नीचे रखिए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: If you want to associate, you send your names at the Table.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Semmalai says.

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you Madam Speaker for giving me an opportunity to raise an important public issue. I would like to bring, through you, to the attention of hon. Railway Minister that in Tamil Nadu, Salem city is the busiest one in all aspects. Within the city, Railway line crosses the roads at a few places. Particularly the railway line, crossing at the point of Anaimeedu, poses greater difficulty to vehicular traffic at the either side of the road. This point is an important traffic junction connecting many offices, schools, hospitals, banks and commercial establishments. More particularly, this road leads to National Highway 68.

Due to the frequent movement of trains, the railway gates are closed causing traffic jam and putting vehicular movement to great difficulty. So the public are not able to reach their work spots in time. Much hardship and inconvenience is experienced by vehicle users. There is a long-felt need for the construction of Railway over-bridge at this point.

Many representations have been received urging me to take up the matter with the Railway Ministry. Definitely a railway bridge will ease the traffic congestion and enable free movement of traffic.

I request the hon. Minister to kindly arrange for the construction of Railway over-bridge at Anaimeedu in Salem town. The State Government may also be approached for their financial contribution as per the norms and the Ministry may also provide sufficient funds for the task.

The State Government of Tamil Nadu does not evince any interest in this matter. Therefore, I would request the hon. Railway Minister to initiate suitable and immediate action in this regard.

MADAM SPEAKER: Shri Pratap Singh Bajwa.

... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I also want to associate myself on this issue raised by Shri Luluji.

MADAM SPEAKER: All right. Send your name in a slip to the Table.

... (Interruptions)

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Madam, this is a very important issue, which is agitating a lot of Ex-servicemen throughout the country... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, do you want to say something?

बाजवा जी, अभी आप बैठ जाइए।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Madam, we are conscious of this issue. This matter came up. अभी लालू जी ने जिस बात को हमारे संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, वह हमारे संज्ञान में है। इसमें लोगों के अलग-अलग विचार हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इमाम सरकारी नौकरी करे या सरकार से कोई वेतन प्राप्त करे। सभी लोगों की राय लेकर सरकार के सामने जो उचित बात है, वह हम रखेंगे।... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : ऑल इंडिया इमाम आर्गनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में गया था... (व्यवधान) उसमें जजमेंट है। इसे जो नहीं लेगा, नहीं लेगा। रेम्यूनरेशन और सैलेरी अन्य मस्जिदों को दे रहे हैं। इस तरह से बातों को टाला नहीं जाना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि हमें वेतन नहीं मिले।... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : This is the common demand of the *Imams* of the country. There is no doubt about it... (Interruptions) सारे देश का इमाम यह चाहता है कि उन लोगों को सरकारी वेतन मिले।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप शांत हो जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री प्रताप सिंह बाजवा जी जो बोलेंगे, केवल वही रिकार्ड में जाएगा, अन्य कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

* Not recorded.

... (व्यवधान)

श्री सलमान खुरशीद: इस पर विचार तो करने दीजिए।... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।... (व्यवधान)
संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): यह क्या तरीका है, जीरो ऑवर में भी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं, मंत्री जी की बात को सुन नहीं रहे हैं।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Yes, Mr. Pratap Singh Bajwa.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Bajwa says.

*(Interruptions) ... **

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, if you have anything to say, please address the Chair.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam, may I inform the hon. Members that we are conscious of their concern. But we have to consider it; we, at least, have to talk to the people concerned. This is normally the Wakf Board. The State Wakf Boards are responsible for this and the Central Government is not responsible. Therefore, they must allow us, at least, to consider the entire matter.

MADAM SPEAKER: Yes, Mr. Bajwa, please speak now.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Bajwa says.

*(Interruptions) ... **

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : Madam, on the issue of One Rank- One Pension, there is a lot of confusion that is prevailing, and I, therefore, wish to draw the attention of the hon. Minister of Defence and also the Government to this very important issue... *(Interruptions)*

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: Please do not disturb when an hon. Member is speaking.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, आप बैठ जाइए। शून्य-प्रहर चल रहा है, उन्हें बोलने दीजिए।

... (Interruptions)

SHRI PRATAP SINGH BAJWA: It is an important issue which is the sore point.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : It is a very important matter.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कैसे खड़े हो गए। आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यदि जजमेंट के बारे में ये इस प्रकार से बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इस बारे में यदि कुछ कहना चाहते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएं। यहां क्यों बोल रहे हैं ? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा : डॉक्टर साहेब, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। सारे देश के एक्स-सर्विसमैन का मसला है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है। यह आपस में क्या बातें हो रही हैं। आप सदन में यह क्या कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, इस विषय में नेता सदन कुछ कहें।

(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record. Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आप इतने क्रोध में क्यों आ रहे हैं। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। आप कृपया बैठिए।

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Please take your seat.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ...*

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : What is wrong with these people?

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है। आप कृपया बैठिए।

... (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, आप क्यों खड़ी हैं। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी आप बैठ जाइए।

* Not recorded.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सदन के नेता कुछ बोलना चाहते हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The order of the Supreme Court is quite clear, and the Government will take note of the order, direction of the Supreme Court, which is very clear, which has been stated in paragraph six of the judgement, “in the circumstances, etc.,” which they have delivered. The operative part is that ‘the Union of India and the Central Wakf Board will prepare a scheme within a period of six months in respect of different types of mosques, some details of which have been given.’ So, the Government is fully aware of it and it will take appropriate action.



श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): मैडम, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और सारे हाउस से मुझे यह गुजारिश करनी है कि जीरो ऑवर में यह जो इश्यू है, यह एक्स सर्विसमेन का इश्यू है। कृपा करके, कुछ भी हो, पांच मिनट मुझे दे दीजिए। It is agitating the minds of Ex-servicemen throughout the country.

On the issue of one-rank-one-pension there is a lot of confusion prevailing. I, therefore, wish to draw the attention of the hon. Minister of Defence and also of the Government to this very important issue which is a sore point pestering the Ex-servicemen as many other categories of personnel are getting OROP for lesser service to the nation. The demand of the Ex-servicemen has been that there should be one-rank-one-pension irrespective of the date on which a soldier retired. The existing difference should be completely removed and one should get the same pension.

However, the Government on its part has stated that it has accepted four out of seven recommendations made by the Committee headed by the Cabinet Secretary. It has substantially improved the pensionary benefits of the Armed Forces pensioners known as parity in pensions for the personnel below officers rank and has ignored the officer cadres completely. On the specific issue of one-rank-one-pension the Government has made it clear that it would not be able to meet the demand of the Ex-servicemen due to administrative, financial and legal implications, which is very unfair.

In this context, it is pertinent to mention here that the All India Ex-servicemen Welfare Association, Chandigarh, extended legal help in the case of two Ex-servicemen who approached the Chandigarh Bench of the Armed Forces Tribunal on this issue. While deciding the two cases, that is, of Babu Ram Demang *versus* Union of India and Sohan Singh *versus* Union of India, in its judgment the Tribunal said the grant of unequal pay in the same rank was a violation of the article 14 of the Constitution. It has further stated that the State cannot lay down different criteria for grant of pensions for the same rank officers

on the basis of cut-off dates of retirement. The Ex-servicemen feel that whenever successive Pay Commissions enhanced the salaries and subsequently pensions, these are given effect to only prospectively and the gap between the past pensioners and their younger equivalents keep widening with every successive Pay Commissions recommendations. They feel that the disparity has been uncomfortably stark after the recommendations of the Sixth Pay Commission. Therefore, they reiterate that the demand of the OROP is a demand for equity and justice.

I quote the following examples of the unequal pensions prevailing in the Armed Forces personnel even after the so called parity in the pensions given to PBOR. Firstly, a soldier who retired before 31.12.2005 with parity in pension, with effect from 1.1.2006 will get Rs.5523 and arrears are being given with effect from 1.7.2009. A soldier who retires after 1.1.2006 with the same length of service gets Rs.8700 per month. A Havaldar who retires before 31.12.2005 with parity in pension gets Rs.5690 per month, that is, for the same length of service he gets less pension than that of a soldier who retired after 1.1.2006.

In this backdrop, I urge upon the hon. Minister of Defence to kindly reconsider the Government's decision in regard to the OROP and do justice to the Ex-servicemen without comparing them with their civil counterparts as the two are not comparables, be it in terms of service conditions or the risks that they face in everyday life while discharging their duties with pride and honour.

MADAM SPEAKER: Shri Jayant Chaudhary, Shri Surendra Singh Nagar, Shri P.L. Punia, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Kamal Kishor, Shri Manicka Tagore, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Dr. Sanjay Jaiswal, and Shrimati Santosh Chowdhary wish to associate themselves with the point raised by Shri Pratap Singh Bajwa.

अध्यक्ष महोदया : श्री एम.बी.राजेश - उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री तकाम संजय - उपस्थित नहीं।




श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपका और सारे सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि सेना में इस बात को लेकर काफी रोष है कि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं, वह सेना की गोपनीयता को भंग कर रही हैं। इसके दो पहलू हैं - पहला पहलू यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर सीएजी की जो एक पारदर्शक प्रक्रिया है, उससे बचा नहीं जाना चाहिए और इसके साथ-साथ इसका दूसरा पहलू है, जो इससे ज्यादा संवेदनशील है और बहुत ही गंभीर है कि अगर सेना में इस चीज को लेकर तनिक भी चिंता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि वह सदन के पटल पर रखी जाती हैं, उसके बाद पब्लिक एकाउंट्स कमेटी उनका निरीक्षण करती है कि अगर किसी भी तरह से सेना की गोपनीयता भंग हो रही है या उनकी आपरेशनल रेडीनेस को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, तो मैं सरकार से और रक्षा मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता भी कंप्रोमाइज न हो और उसके साथ-साथ जो सेना के मन में आशंका है कि आपरेशनल रेडीनेस भंग हो रही है, सेना की गोपनीयता भंग हो रही है, उसको भी किसी तरह से रोका जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एकल महिला से संबंधित समस्याओं पर बोलने का मुझे अवसर दिया। देश में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आर्थिक दशा में सुधार करने और ग्राम पंचायत से उच्चतम स्तर तक चुनाव में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं की दशा सुधारने और सशक्तीकरण के अनेकानेक कदम उठाए हैं और उनके लिए योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे अलग पहलू पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ।

महिलाओं में एकल महिलाओं की अलग श्रेणी है तथा इनकी समस्यायें भी एकदम भिन्न हैं और अत्यन्त गंभीर हैं, जिनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। एकल महिलाओं का जीवनयापन करना बहुत कठिन होता है। एकल महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई अलग योजना नहीं बनायी गयी है और यदि बनायी गयी है तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है, तो अन्य को भी नहीं होगी। रोजी-रोटी कमाने, अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के साथ ही एकल महिलाओं को अपना मान-सम्मान और मर्यादा बनाए रखने की भी हमेशा चुनौती बनी रहती है। उन्हें आय अर्जित करने या उन्हें तथा उनके वयस्क बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी अलग योजना होनी चाहिए, जिससे उनका मान-सम्मान बढ़े और जल्द से जल्द उन एकल महिलाओं पर जीवन की जिम्मेदारियों

का बोझ कम हो सके। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हो रहे शोषण की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा और यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक घरेलू कामगार महिलाओं का पंजीकरण कराया जाना चाहिए एवं शोषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने तथा कठोर मानीटरिंग किए जाने की भी आवश्यकता है। मेरी मांग है कि एकल महिलाओं के लिए एक अलग से राष्ट्रीय नीति बनायी जाए और उनके कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाए, धन्यवाद।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): महोदया, मैं इस विषय से एसोशिएट करती हूँ।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, हाल ही में लेह में बादल फटने से काफी परिवार, खासकर झारखंड राज्य के 2500 मजदूर आज भी वहां फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार ने पहल की है। हमारा आग्रह है कि जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, उन्हें किस प्रकार झारखंड लाया जाए, भारत सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए। भविष्य में अगर श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में नियोजन के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पूर्ण ब्यौरा भी रहना चाहिए। मान में प्रत्येक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेह में झारखंड सहित देश के श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने की व्यवस्था की जाए। हमारा आग्रह है कि सरकार इस पर चिंतन करे, क्योंकि वे आदिवासी परिवार हैं और झारखंड से पलायन करके लेह गए हुए हैं।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले यूपीए सरकार, एचआरडी मंत्रालय एवं इस सदन का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राइट टू एजुकेशन जैसे ऐतिहासिक बिल को हमने पारित किया। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने भी अपने अभिभाषण में राइट टू एजुकेशन की बात की थी, जिसके लिए सबसे बड़ी और अहम जरूरत शिक्षकों की है। अगर शिक्षा होगी तभी देश का विकास होगा, यह हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत अहम बात लाना चाहती हूँ कि पूरे देश में कई जगह, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, कि वहां एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 लाख 25 हजार प्राइमरी टीचर्स की पोजीशन्स खाली हैं और साथ-साथ बीएड के तकरीबन 4 लाख ट्रेड टीचर्स मौजूद हैं। जब वहां सलैक्शन प्रोसैस होता है और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का सलैक्शन किया जाता है, तब इंटरमीडिएट पास टीचर्स का भी सलैक्शन किया जाता है, जबकि बीएड के 4 लाख ट्रेड टीचर्स जॉबलैस बैठे हुए हैं। यह बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि हाल ही में जंतर-मंतर में एसोसिएशन ने धरना दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधिकारियों को अपना मैमोरंडम भी दिया था। परन्तु उस पर

अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा आपके द्वारा इस मंत्रालय से अनुरोध है कि अगर गुणवत्ता और क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है तो शिक्षित शिक्षकों के सलैक्शन प्रोसेस को अहमियत दी जाए। इस तरह शिक्षकों की बेरोजगारी दूर हो सकती है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, मैं आसन का आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं शून्य प्रहर में एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर इस सॉवरेन सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। 63 वर्षों की आजादी के बाद भी मानव समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए आज तक सुरक्षित शौच की व्यवस्था नहीं हुई है। लगभग 25 करोड़ महिलाएं आज भी खुले में शौच के लिए बाध्य होती हैं। दस में से सात महिलाएं शौच के क्रम में बलात्कार की शिकार हो जाती हैं। दलित, महा-दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति भयावह है, दर्दनाक है। उनके शौच की जो व्यवस्था देश स्तर पर विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है, वह भ्रष्टाचार के नाग द्वारा उसके दंश से लहुलुहान है।



ऐसी महिलाओं के लिए दिन हो या रात, अंधेरा ही अंधेरा है, बेबसी है और उनकी बेकसी ने समाज के सामने प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। जहां न जाने कितनी उपमाओं से पुरुष के द्वारा उन महिलाओं को मंडित किया जाता है, पर व्यवहार में वे आज भी भयानक शोषण की शिकार हैं। आज भी महिलाओं को इस समाज ने अपना कोई घर नहीं दे रखा है। वे सबसे ज्यादा उपेक्षित, प्रताड़ित और हिंसा की शिकार हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सम्पूर्ण देश में एक अभियान चलाकर हमारे दामन पर जो दाग लगे हुए हैं, उन्हें समाप्त करने हेतु आप महिलाओं के लिए सुरक्षित शौच की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री अशोक अर्गल अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन का ध्यान कुछ दिन पहले न्यूज पेपर्स में छपी एक हैडलाइंस की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिसमें लेनसिट मैंगजीन के बारे लिखा था कि न्यू डेली सूपरबग। न्यू डेली सूपरबग एक बीटालैक्टमेज बैक्टीरिया है, जो काफी एंटीबॉयटिक्स को रेसिस्टेंट होता है। इसलिए उसे सूपरबग कहते हैं। अगर मैं यह कहूं कि मुझे इस बात से टीस नहीं पहुंची, तो यह कहना गलत होगा। इस देश में कई लोगों के रिएक्शन्स आये थे। आईसीएमआर ने उसके बारे में बहुत स्ट्रॉंग रिएक्शन दिया था कि अगर एक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया दिल्ली में मिलता है, तो आप उसका नाम शहर के नाम पर क्यों रखते हैं? एक और वीकली न्यूज मैंगजीन ने उस पर आर्टिकल दिया था कि हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अगर कोई रेसिस्टेंट बैक्टीरिया मिला हो, तो उसका नाम उस शहर पर रखा गया हो। बीटालैक्टमेज की जो सेम क्लास है, उसी बैक्टीरिया के लिए उन्होंने उसका एक एग्जैम्पल कोट किया था। उन्होंने कहा था कि वेरोना, इटली में कोई बैक्टीरिया मिला था, उसका नाम वीआईएन-वन रखा गया था, साउपाउलो, मैक्सिको में कोई बैक्टीरिया मिला था, उसका नाम भी उस पर रखा गया था। यह बात ठीक है। मेरा यह कहना है कि जो सबसे प्रिवलेंट स्ट्रेन है, इस पार्टिकुलर बीटालैक्टमेज बैक्टीरियम के लिए बहुत टेक्नीकल क्लासीफिकेशन होती है, जो एक एम्ब्लर क्लासीफिकेशन होती है। दूसरी आपकी जैकोबी-मिडिरस क्लासीफिकेशन होती है। एक ज्यादा कॉमन लेंग्वेज में काम में लेते हैं, उसे हम एक्सटेंडेड स्पैक्ट्रम बीटालैक्टमेज कहते हैं। उस तरीके से हम क्लासीफाई न करके शहरों के नाम पर अगर हम बैक्टीरिया का नाम देते हैं, अगर हम सैंसीटिविटी नहीं रखकर नॉमिनक्लेचर देते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जैम्पल आता है। जो सबसे प्रिवलेंट बीटालैक्टमेज का स्ट्रेन है, वह 1996 में नार्थ केरोलिना में मिला था। उसका नाम क्लैबसिला निमोनी बीटालैक्टमेज रखा गया था। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप यूनीफार्म सिस्टम रखना चाहते हैं, तो उसका नाम आपने नार्थ केरोलिना

बीटालैक्टमेज क्यों नहीं रखा? एक इंटरनेशनल कोड फालो होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स के हिसाब से नॉमेनक्लेचर होना जरूरी है। आईसीएमआर की इस बात से मैं सहमत हूँ कि नॉमेनक्लेचर में सेंसिटिविटी रखनी जरूरी है। इसके अलावा यहां पर एक बात और चली थी कि लेनसिट मैंगजीन ने इसलिए यह स्टडी कंडक्ट की है, ताकि हिन्दुस्तान के अंदर जो बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म है, उसे कंट्रोल किया जा सके। यह भी एक व्यू प्वाइंट सामने आया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : इससे मैं पार्टली एग्री कर पाऊंगी, क्योंकि लेनसिट जहां से आती है, अगर आप वहां देखें तो ब्रिटेन के अंदर नेशनल हैल्थ सर्विस होती है जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है। अगर पैशेंट जाता है तो पैसा नहीं देता, डाक्टर वहां जाने वाले पैशेंट से पैसे नहीं लेते। अगर डाक्टर को 15 की जगह 10 ही पैशेंट देखने पड़े, तो वह ज्यादा खुश होगा कि मुझे कम पैशेंट देखने पड़ रहे हैं, मेरा काम कम है। लेकिन इससे जो प्रोडक्टिव चीज निकलकर सामने आती है, जो हमें पोजीटिवली देखनी चाहिए, वह यह है कि हमारे देश के अंदर चाहे कितनी ही एडवांस एंटीबायोटिक्स हो, वह ओवर दी काउंटर मिलती है। अगर मैं कलैबुलेनिक एसिड लाना चाहूँ, कार्बापेनम लेना चाहूँ या सेफोलोस्पोरिन लेना चाहूँ, तो उसे कोई भी आदमी जाकर ले सकता है। वह उसका आधा कोर्स लेता है, तो ठीक हो जाता है। उसकी वजह से बैक्टीरियम के लिए जो रेसिस्टेंट होती है, वह बढ़ती जाती है। मेरा यह निवेदन है कि हैल्थ मिनिस्टर ने भी एक बयान जारी किया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि हम इस बात को ज्यादा क्रेडिबल नहीं मानते, क्योंकि इस स्टडी को एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कम्पनी ने फंड किया था।

मेरा एक सवाल और है कि आज की तारीख में देश में साढ़े तेरह सौ के करीब ऐसी स्टडीज हैं, एमएनसीज जो ट्रायल कंडक्ट करा रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या इश्यू है?



में चाहूंगी कि हाइएस्ट अथारिटी से हमारा विरोध दर्ज किया जाए, उनको कहा जाए कि जो इस बारे में सेंसिटिविटी रखें कि अगर किसी भी सुपरबग को नाम दें, तो उसको यूनिवर्सल रखते हुए, उसके हिसाब से नाम दें।

DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD): Madam, I would like to associate with the issue raised by Dr. Jyoti Mirdha.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, गोवा के एक अति महत्व के विषय को आपके सामने रखने का मौका ले रहा हूं। गोवा में दो नदियां हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, जरा सा धैर्य रखिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, गोवा में दो नदियां हैं और नेशनल हाइवे-17 इनके ऊपर से जाता है। पिछले कई सालों से जुआरी नदी पर जो ब्रिज बना है, हैवी ट्रैफिक के लिए फिट नहीं हुआ है, फिट नहीं कहा गया है, इसलिए हैवी ट्रैफिक उस पर बंद कर दिया गया है। यही ब्रिज नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ता है। वैसे यह ब्रिज उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी जोड़ने का काम करता है। वहां का एयरपोर्ट साउथ गोवा में है, मार्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट उसी साइड में है और नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा को जाने वाले हैवी ट्रैफिक को इस ब्रिज पर से जाने से बंद करना बहुत हानिकारक है, इससे धन की हानि तो होती ही है, लोगों का बहुत वक्त भी खराब होता है। इसलिए अभी जिस ब्रिज को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, तुरंत वहां नया ब्रिज बनाकर उसे ट्रैफिक के लिए खोला जाए। यही मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर समाप्त हो रहा है, बाकी विषय सायंकाल में लिए जाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, केवल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को वक्त दिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इस तरह का आरोप मत लगाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह आरोप मत लगाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। आप लोग बैठ जाइए। सदन चलाने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, मेरा कोई आरोप नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार, आप कृपा करके बैठ जाइए।

11.43 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): Sir, I beg to lay on the Table:--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3006/15/10)

11.44 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th August, 2010 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

11.45 hrs.

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

MADAM SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the sittings of the House in their Second Report presented to the House on 20th August, 2010 have recommended that leave of absence from the Sittings of the House be condoned/granted to the following members for the period mentioned against each:-

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Shri Madhu Koda | 19.11.2009 to 21.12.2009)
22.2.2010 to 16.3.2010)
and)condoned
15.4.2010 to 7.5.2010) |
| 2. Shri Ijyaraj Singh | 26.7.2010 to 21.8.2010)granted |

Is it the pleasure of the House that as recommended by the Committee, absence be condoned in respect of one Member and leave be granted to another Member?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: The leave is granted. The Members will be informed accordingly.

11.45 ½ hrs.**FINANCIAL COMMITTEES -- A REVIEW**

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table Hindi and English versions of the "Financial Committee (2009-10) – A Review".

11.46 hrs.**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
13th and 14th Reports**

SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2009-10):--

1. Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Sixty-second Report of (Fourteenth Lok Sabha) on 'Management of Funds by the Department of Posts through Banking and Insurance activities' relating to the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts).
2. Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Sixty-seventh Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Television Audience Measurement in India' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

11.46 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON ENERGY
10th and 11th Reports**

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ:

1. "विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

2. "ग्रामीण उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।
-

11.47 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the current Session, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Consideration and passing of the following Bills :-
 - (a) The Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010;
 - (b) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2010;
 - (c) The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010; and
 - (d) The Constitution (One Hundred Thirteenth Amendment) Bill, 2010
3. Consideration and passing of the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010, as passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
 - (a) The Nalanda University Bill, 2010;
 - (b) The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010; and

(c) The Representation of People (Amendment) Bill, 2010.

5. The Educational Tribunals Bill, 2010



अध्यक्ष महोदया: श्री मधु कोड़ा - उपस्थित नहीं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. अनुकम्पा के मामलों में ढिलाई और उपेक्षा से इन मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें हो रहे विलम्ब को दूर करने सम्बन्धी सभी मामलों का निपटान करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाए।
2. मध्य रेलवे के रेल स्टेशंस पर लैंडलाइन से स्थानीय कॉल की सुविधा बंद करने के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए इसे पुनः आरम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. देश के विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु एक कार्यक्रम बनाए जाने से संबंधित विषय।
2. अनुसूचित एवम् जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में खनन कार्य में लगी निजी कम्पनीज में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने के साथ-साथ कम्पनीज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने से संबंधित विषय।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. गिरिडीह जिला (झारखंड) के डुमरी प्रखंड और धनबाद जिला के टुण्डी प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता।
2. बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. बरौनी तेलशोधक कारखाने के नेफ्था से एरोमेटिक कारखाने खोलने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे।
2. मुंगेर-खगड़िया रेल सह सड़क पुल के निर्माण को 2010-2011 के वित्तीय वर्ष में रेलवे मंत्रालय उसे पूरा करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए -

- 1, केन्द्र सरकार द्वारा बुंदेलखंड में प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में शीघ्र प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जाए।
2. झांसी छतरपुर पन्ना सतना रीवा मार्ग को ओरछा एवम् खजुराहो पर्यटन केन्द्रों में विदेशी सैलानियों की संख्या आकर्षित करने हेतु फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे सड़क बनाने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदया: श्री ए.टी. नाना पाटील - उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए -

1. अतिवृष्टि के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर जाने एवम् कच्चे मकान टूट जाने के कारण सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूं, क्योंकि नियमों में बाढ़ शब्द का उल्लेख किया गया है। उसकी व्याख्या करते समय अधिकारी अतिवृष्टि को बाढ़ में सम्मिलित नहीं करते हैं और सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में सहायता नहीं उपलब्ध कराते हैं। अतः इस विषय को लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।
2. कृषि बीमा योजना में वर्तमान में तहसील को इकाई माना गया है. अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि तहसील की जगह ग्राम को इकाई मानकर कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः इस विषय को लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : लाल सिंह जी, आपने अगले सप्ताह के लिए दो विषय दिये हैं।

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Madam, kindly include the following two subjects in List of Business of the next week:-

- 1) Regarding delay in establishment of 1000 MW Ujh Thermal Power Project at Kathua, Jammu and Kashmir.
- 2) Non-implementation of Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in some parts of the country.

अध्यक्ष महोदया : श्री जयप्रकाश अग्रवाल। आप दूसरे विषय पर ही बोलें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषय को सम्मिलित किया जाए:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11.52 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

20th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to present the Twentieth Report of the Business Advisory Committee.

11.53 hrs.

PERSONAL LAWS (AMENDMENT) BILL, 2010

MADAM SPEAKER: Now, we will take up Item No. 8.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir,
I beg to move:

“That the Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration.”

Madam, though it is a simple Bill, yet it is a very important piece of legislation seeking gender equality in the matters of adoption and guardianship. This Bill was referred to the Standing Committee and the Committee has unanimously adopted this Bill without any amendment. So, I place it before the hon. House for consideration.

MADAM SPEAKER: Motion moved :

“That the Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration.”

श्री चंदूलाल साहू (महासमंद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में संशोधन का समर्थन करता हूँ। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो एक अच्छा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित बिल को लाए हैं।

अध्यक्ष महोदया, यह बिल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए तथा समान अधिकार देने के लिए है। इससे महिलाओं को निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा, जबकि आजादी के 63 साल बाद भी, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार बंद नहीं हुआ है। किसी भी देश के विकास के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। वैसे भी इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाने के साथ-साथ दूरगामी परिणाम भी होंगे। इसमें कोई भी महिला जो स्वस्थ-चित की है और बच्चा दत्तक लेना चाहती है तो अपने पति से सहमति लेकर पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती है। संविधान में पति-पत्नी को जो समान अधिकार हैं, उनका इस बिल में समर्थन किया गया है।

महोदया, महिलाएं वर्षों से शोषित और पीड़ित रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंदस्तूर जारी है और महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं। यह विधेयक महिलाओं को कुछ अंश तक राहत देगा। मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहां उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से वहां महिलाएं हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदार हैं। इस प्रयास को और अधिक गति देने के लिए जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पेश हुआ है, उसे भी इस सदन में पेश करके पास किया जाना चाहिए। जब तक पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिला कर एकसाथ नहीं चलेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है " यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता "। निश्चित रूप से जहां नारी का सम्मान किया जाता है, वहां शांति होती है। महिला ही बच्चों की प्रथम गुरु है। माता ही बच्चों को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, भरण-पोषण करती है। अगर महिलाओं को हम उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे, तो देश का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम में जो संशोधन चाहते हैं, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में महिलाएं 21वीं सदी में जीने लायक हैं - इसका उत्तर मिलेगा कि " नहीं "। इसलिए महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके लिए अलग से कानून बनाया जाए, ताकि महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न न हो। आज देखने को मिलता है कि विज्ञापन के लिए महिलाओं को आगे कर देते हैं। एक अच्छे आकर्षक सेल्समैन के तौर पर महिलाओं

का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से महिलाओं का जो उपयोग किया जा रहा है, उसे बैन किया जाए। महिलाओं के जो अधिकार हैं और उन्हें शास्त्रों में जो सम्मान दिया गया है, वह बहाल किया जाए, इससे निश्चित रूप से महिलाएं आगे आएंगी। वैसे भी अपने बलबूते पर योग्य महिलाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो महिलाएं वास्तव में अपने पति द्वारा पीड़ित हैं, वे आगे नहीं आ पा रही हैं। इसलिए कानून में यह जो संशोधन लाया गया है, वह स्वागत योग्य है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं राजीव जी के जन्मदिन आस-पास इस बिल को लोक सभा में लाने के लिए माननीय मंत्री जी को एवं यूपीए सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। निश्चित तौर पर जेंडर इक्वैलिटी को देखते हुए, स्वतन्त्रता पूर्व से ही गांधी जी के सपने को पूरा करते हुए संविधान में अधिकार दिए गए। 14, 15, 15(3), 16, 39, 42, 51ए और ई आर्टिकल्स में समानता के अधिकार, जिसमें महिलाओं की इक्वैलिटी की बात कही गई है, हमारे संविधान में हैं। इसके अलावा समय-समय पर स्पेशल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास किए जिनमें इमोरल ट्रेफिकिंग कानून से लेकर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन्डिसेंट रिप्रेजेन्टेशन आफ विमेन एक्ट, कमीशन आफ सती प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आदि प्रमुख हैं। मैं इसके लिए सरकार को और निश्चित रूप से संसद को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन कहानी इसके विपरीत भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि यद्यपि यह बिल बहुत सिम्पल है, बहुत छोटा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यह एक बड़ी छलांग है और इसे एक ऐतिहासिक बिल कहा जा सकता है। गार्डियनशिप में भी और एडॉप्शन में भी यदि महिलाओं को अधिकार न हो, जोकि उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाहित करता हो, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न हमारे संविधान पर और संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार पर होता। धीरे-धीरे सरकार उन सभी नियमों के प्रति हमें आश्वस्त कर रही है और महोदया मैं यहां निवेदन करना चाहती हूँ कि यह बिल निश्चित तौर इसलिए भी लाया गया कि एक बार डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वैलिटी नहीं होगी, तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या 13 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। यदि पिछले पांच साल के आंकड़े लें, तो निश्चित तौर पर उनमें और वृद्धि ही होगी, उसमें और कमी नहीं हो सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इसी दृष्टि से राजीव जी ने कहा था कि राजनीति में भी महिलाओं का आरक्षण इसलिए आवश्यक है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अगर वे बैठेंगी, तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव निर्णय पर पड़ेगा और इस कारण उनके बारे में पास होने वाले बिलों में एक तब्दीली होगी। लेकिन मुझे इस बात को ले कर दुख है कि दसवीं लोकसभा में हमारा प्रतिशत केवल 7.7 था, ग्यारवीं लोकसभा में 7.36 था और पन्द्रहवीं लोकसभा तक आते-आते 10.12 तक पहुंचा।



12.00 hrs.

इसके लिए हम सभी महिलाएं बल्कि पूरा देश और संसद चाहता है कि महिलाओं को राजनीति में प्रवेश पूरी तरह से मिलना चाहिए। यही हालात राज्य सभा का है जहां पर हम अभी 12.1 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। फ्रीडम टू च्वाइस एक महत्वपूर्ण आधार है और इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ साथ वे इस संबंध में भी निर्णय ले सकें। इसलिए मंत्री महोदय जी की इस बात से समान रूप से मैं अपनी सहमति अर्ज करती हूं। देखा जाए तो सभी धर्म, सभी सम्प्रदाय देश के या किसी देश विदेश की बात करें तो सभी जगह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं है। इसीलिए कानून जरूरी है और कानून से मिलने वाले न्याय में निश्चित तौर पर अभी भी एक गैप है। लेकिन कानून इसलिए जरूरी है कि पांच पिलर्स होने आवश्यक है। पहला कानून का होना, दूसरा कानून का एग्जीक्यूशन और तीसरे कानून के बारे में एवैयरनेस और चौथे उसमें सिविल सोसाइटी की और राजनीतिज्ञों की भूमिका तथा पांचवा मीडिया की भूमिका है। ये पांचों अगर साथ चलें तो निश्चित तौर पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आ सकती है।

मैं यदि देखूं तो इतिहास इस बात का गवाह है कि डा. अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, महात्मा गांधी जी, और उसके बाद हमारी सरकार विशेषकर राजीव जी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने उस वक्त देखा कि जो गांधी जी का 1921 में कथन था कि हमारी आजादी का अर्थ होगा कि एक ही पंक्ति में खड़े हुए सब लोगों को एक जैसा अधिकार दिलाना और रुककर गांधी जी ने कहा था कि जब मैं कहता हूं कि सबको समान अधिकार दिलाना है तो इससे मतलब यह है कि महिलाओं को भी लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं मुड़कर देखता हूं तो महिलाओं को न पूरे राजनीतिक अधिकार हैं और न आर्थिक अधिकार हैं। यहां तक कि हमारे संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में भी गैप्स हैं और इसलिए इसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए रचनात्मक प्लान और उसके बाद एक्शन प्लान्स बनाये गये। उसी के बाद एक बदलाव इस दिशा में आया और मैं यूपीए की चेयरमैन साहिबा, सरकारों और सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस दिशा में प्रयत्न जारी है। लेकिन यहां पर निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने काफी कुछ परिवर्तन किये और अभी पिछली यूपीए वन और यूपीए टू में इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाया गया। एनसीडब्ल्यू ने भी 34 लॉज और 8 बिल को संशोधित करके भेजा हुआ है। यह 83वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया बिल है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूं कि सोसाइटी में जो विशेष रूप से महिलाओं को फोकस करने वाला बिल है, यह निश्चित तौर पर एक तबदीली लाएगा। लेकिन जो राज्य के संबंध में हैं और जो हमारी समवर्ती सूची में हैं, उसके संबंध में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकारें उसमें बहुत अधिक संवेदनशील भी नहीं हैं और विलम्ब के कारण

यदि राज्यों के आंकड़े देखें तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार भी और यहां से पास होने वाले बिल के संबंध में भी उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए कार्यान्वयन के लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए या सरकारों को हैमर करना आवश्यक हो जाता है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगी कि हालांकि यह बिल एक नयी दिशा के रूप में और कम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में हमें परिवर्तित करता है। सिविल कोर्ट की भी बात बहुधा इस संबंध में कही जाती है। लेकिन यह बिल भी लाने में जो विभिन्न प्रकार का डॉयलॉग किया गया, उसके लिए एक संवाद की जरूरत है और संवाद के लिए निश्चित तौर पर सभी को आगे आना होगा और इसीलिए अन्य बिल जो इससे संबंधित हैं, जैसे कमपलसरी मैरिज बिल आदि उस पर भी सरकार को अपने निर्णय लेने होंगे।

महोदया, 23वीं रिपोर्ट के आधार पर यह बिल लाया गया है। हालांकि दूसरे सदन में मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि 133 वीं रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन की है, उसको भी देखेंगे लेकिन यहां पर निवेदन करना चाहती हूँ कि लॉ कमीशन की 135वीं रिपोर्ट को देखना भी बहुत आवश्यक है। जो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 19 है, उसको भी इस संबंध में नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि जब तक पूरी तरह से समाहित नहीं होगा तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें सैक्शन 6 और 19 को भी इस संदर्भ में देख लिया जाए। चूंकि समय की कमी है, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए, यूनाइटेड नेशंस के डवलपमेंट प्रोग्राम में जेंडर सेंसिविटीज के संबंध में जो दो आयाम कहे गये, जेंडर डवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर एम्पलॉयमेंट मैजर्स हैं, इसके संबंध में सरकार के कदमों का मैं स्वागत करती हूँ।

इसके साथ सरकार ने यह निश्चित किया है कि एम्पावरमेंट मेज़र में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कानूनों में तब्दीली की जाए, वर्षों पुराने कानूनों को नए संदर्भ में दोबारा देखा जाए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं से संबंधित कानून, जो विभिन्न मंत्रालयों से हैं, विभिन्न मंत्रालयों से आते हुए कहीं न कहीं नोडल प्वाइंट होना चाहिए जिससे सभी कानून एक साथ पास हो सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ लॉज़ में गैप के कारण महिलाओं के ऊपर अटैक होते हैं, इनके लिए कानून तो हैं लेकिन स्पेसिफिक कानून की आवश्यकता है। जिस तरह से पंचायतों के द्वारा निर्णय लिए गए, इसमें निश्चित तौर पर एक गैप है। मैंने सती प्रिवेंशन बिल के बारे में इस सदन में दो-तीन दिन पहले मुद्दा उठाया था कि आवश्यकता के कारण इसे अलग बिल के रूप में लाया जाए। इसी प्रकार से गांवों में जो दर्दनाक मौतें हो रही हैं, उनके लिए अलग बिल की आवश्यकता है। मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वस्त किया है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं रेप विक्टिम्स के संबंध में कहना चाहती हूँ कि रेप की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें हर वर्ष 15 से 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है।

रेप विक्टिम्स रेवाल्ಯूशन बिल में कम्पेनसेशन के लिए सरकार को यथाशीघ्र प्रयास करने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कम्पसलरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में निवेदन करना चाहती हूँ कि इसे केवल राज्य सरकारों पर न छोड़कर अपने लैवल पर देखें ताकि सभी राज्य सरकारें इसे पारित कर सकें। इससे बाल विवाह पर तो रोक लगेगी। इसके साथ ही एनआरआई, जो शादी करके भाग जाते हैं, एनआरआई मैरिजिज पर भी रोक लगेगी।

मैं अंत में यही कह सकती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के समुचित विकास के लिए बजट को भी जेंडर बजट बनाया है। इसके आधार पर महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति ही नहीं हुई है, विशेषकर कानूनों की तब्दीली को कड़ी से कड़ी जोड़कर जो फैसला किया है, यह वंदनीय है। इसे जारी रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि गैप को पूरा करने के लिए, चाहे लॉ कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर वूमन हो या एससी एसटी कमीशन हो, उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके आधार पर सभी मंत्रालयों का समुचित ग्रुप बन सके जो महिलाओं के बिलों को पास कर सके। अभी भी बहुत गैप है। जब हम अत्याचारों की बात कहते हैं तो देखते हैं कि इतने कांस्टीटुएशनल राइट के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूँ-

“जाने क्यों हम वहीं खड़े हैं, तेज कदम तो हम भी चले हैं।”

अध्यक्ष महोदया, आप स्वयं, महामहिम राष्ट्रपति जी, यूपीए चेयर पर्सन, बहुत से देशों और हमारे देश की विपक्ष की नेता, कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। यहां तक कि आर्मी में महिलाएं सलामी लेते हुए आगे बढ़ रही हैं और यहां गांव में बैठी महिलाओं के हकूक के संबंध में जो बिल पेश किया गया है, वह सराहनीय है। इस दिशा में कदम बढ़ते रहने चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, आपने मुझे स्वीय विधि संशोधन, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय विधि मंत्री जी इस विधेयक को लेकर इस सदन में आए हैं, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और बल भी देता हूँ। यह बात सत्य है और यह देखा गया है कि जब हिंदू परिवार में कोई बच्चा नहीं होता था, बच्चे का मतलब है चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के ही सदस्य या बाल संरक्षण गृह से बच्चा गोद लिया जाता था। लेकिन परिवार में ही इतना मामला उलझ जाता था कि जब माता-पिता वृद्ध हो जाते थे तो परिवार के तमाम लड़के या परिवार के जो अन्य सगे-संबंधी होते थे, वे परिवार को बहुत परेशान करते थे। आज जो बिल सदन में लाया गया है, मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा बिल है और इससे न केवल परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक राहत मिलेगी। खासकर हमारी बहन डा.गिरिजा व्यास ने बहुत विस्तार से महिलाओं के सशक्तीकरण पर अभी अपनी बात रखी। इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी की दुर्गति होती थी तो वह परिवार की महिला की होती थी। उसकी इतना प्रताड़ना होती थी कि अपनी ही सम्पत्ति से उसे बेदखल कर दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। खासकर यदि वह विधवा हो तो उसकी और अधिक दुर्गति होती थी। लेकिन इस बिल के द्वारा उसे जरूर शक्ति मिलेगी और उससे उसका परिवार भी आगे चल सकेगा।

महोदया, महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में बहन गिरिजा व्यास ने अपनी बात यहां रखी। यह बात सत्य है कि आज हिंदुस्तान में चाहे अंतरिक्ष से लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति का पद हो या जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, इससे महिलाओं में एक बहुत बड़ा संदेश जरूर गया है और इसके कारण महिलाएं खुश होती हैं। अभी डा.गिरिजा व्यास ने महिलाओं के आरक्षण की बात कही, मैं चाहूंगा कि सिर्फ लोक सभा या विधान सभा में ही नहीं बल्कि हर जगह, मेरे ख्याल से पंचायतों में हर प्रदेश में 50 परसैन्ट से ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन लोक सभा और विधान सभा के अलावा इसे राज्य सभा और विधान परिषद में भी जाना चाहिए। तब जाकर महिलाओं की सशक्तीकरण का काम पूरा हो सकता है।

इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं को केवल 33 परसैन्ट हम आरक्षण देने के बाद... (व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि केवल 33 परसैन्ट लोक सभा और विधान सभाओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर सरकारी और सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पचास प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चाहे वह रिक्रूटमेंट में हो, प्रमोशन में हो या किसी अन्य मामले में हो। आप जब तक उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नहीं करायेंगे, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं समाप्त करता हूँ। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने इंगित किया, उनका इशारा महिला आरक्षण की तरफ था कि आपके दल का क्या नजरिया है। मैं आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा दल डा. राम मनोहर लोहिया जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता है, इसमें समाजवादी पार्टी का हमेशा यह विचार रहा है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत नहीं, आप 80 और 50 परसेन्ट दे दीजिए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं, जैसे अभी डा.गिरिजा व्यास ने कहा कि अगर महामहिम राष्ट्रपति और आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं तो इससे महिलाओं में एक संदेश जा रहा है, वे प्रफुल्लित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं, चाहे वे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग, माइनोरिटीज या मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हों, उन्हें भी उसमें आरक्षण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यदि देखा जाए तो आज 12 ऐसे राज्य हैं, जहां लोक सभा के सदस्य पुरुष जीतकर नहीं आये हैं। यदि पुरुष जीतकर नहीं आ रहे हैं तो महिलाएं कैसे आयेंगी। इसलिए हमारी पार्टी का यह स्पष्ट नजरिया है औ हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन उसमें एससी,एसटी,ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डॉ. बलीराम (लालगंज): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय विधि मंत्री जो विधेयक लेकर आये हैं, मेरी पार्टी और मैं इस का समर्थन करते हैं। सचमुच यह एक ऐसा विधेयक है जिसका पहले समाज में अभाव रहा। हमारी ऐसी परम्परा रही है कि बेटी या बेटा न होने के कारण वंश चलाने की प्रक्रिया में एडाप्शन कर लिया करते थे। जब व्यक्ति वृद्ध होता और मरने के कगार पर होता था तो उसके परिवार को इसकी बड़ी चिन्ता रहती थी कि किस तरह उसकी सम्पत्ति हम हड़प लें। कहीं तो कत्ल, बलवा और मारपीट हो जाती थी। कोर्ट में ऐसे केसेज़ आज भी पेंडिंग हैं। अब यह विधेयक लाया गया है तो इससे इस तरह के झगड़े नहीं हो पायेंगे। वास्तव में जो पूर्ण रूप से उनकी जिन्दगीभर सेवा करता है, सम्पत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिये। अगर किसी की लड़की है, लडका नहीं है तो लड़की को लेकर इस तरह के झगड़े हुआ करते थे जिनकी अब संभावना नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदया, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Thank you Madam for giving me a chance to speak on this particular Bill being brought forward by the hon. Minister of Law and Justice, Shri Veerappa Moily.

This is no doubt a progressive piece of legislation and on behalf of my Party Biju Janata Dal, I support it wholeheartedly. While supporting the Bill, I would also like to point out that in the State of Orissa our revered Leader Late Biju Patnaik was the first person to direct the authorities to write the name of the mother of child – father's name will also be there – in all the certificates being issued by different educational institutions. Not only that, when he was in office, he had also directed that the name of the mother or the wife should be included in all the legal documents relating to land records. So, I certainly have to support this Bill.

At the same time, I must draw the attention of the hon. Minister, as he has stated in the Statement of Objects and Reasons, to the fact that only 48.2 per cent are women. So, this is no doubt a concern for all of us. We read many things now-a-days being published in the media that female child is being discriminated against not only that she is killed before she is born. These cases have come to our notice. We should also try to ensure that female population does not decrease further. Similarly, I would like to point that he has also given all the details. This has already been examined by the Departmental Standing Committee constituted by this House. He has given all the reasons. He has also indicated that many progressive measures are being taken by the Government. Certainly this will be implemented in due course of time. But, I would like to impress upon the hon. Minister, he is no doubt a very progressive and erudite Minister, and also in his approach he is quite effective. Madam Sonia Gandhi *ji* was here when this Bill was piloted by the hon. Minister. I appreciate the feelings expressed by our friend Shri Shailendra Kumar and also other hon. Members who have spoken on this Bill. But, at the same time, you must see that the Women Reservation Bill, that is pending before the House, should be passed immediately. On behalf of my Party,

Biju Janata Dal, I strongly demand that the Government should at least come forward and get this legislation passed.

The hon. Minister has mentioned what our esteemed President of India had said in her Address to the Joint Session of Parliament. She has also mentioned that this piece of legislation should be passed. Why not? This is the assurance not given by me or any other hon. Member but by our esteemed President of India, who is now in office. So, every effort should be made to solve the particular problem that we have now. That should be solved. It should be brought before the House without any delay. With these words, I conclude and I thank you for giving me the chance to speak.

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, at the outset, I welcome this Amendment Bill as introduced by the hon. Law Minister. Tamil Nadu was the first State in the year 1989 which had brought in a legislation to give equal share to male and female of the ancestral properties hitherto which was enjoyed by only the male children of a family. Madam, 30 per cent of Government jobs are for women in Tamil Nadu. Only lady teachers were appointed in all the elementary schools in Tamil Nadu. So, Tamil Nadu has pioneered in helping women and enforcing women's rights in the State. On those lines, this Bill also gives rights to the women, and, hence, I welcome the Bill.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. The Personal Laws (Amendment) Bill, 2010 is the most welcome step. On behalf of my party, I whole-heartedly support the Bill.

It helps to make the law gender-neutral and equal to both sexes. The Constitution of India guarantees equality of status and equality of opportunity to all citizens irrespective of the fact that whether they are men or women. It directs that women shall have equal rights and privileges along with men. So the Personal Laws (Amendment) Bill, 2010 seeks to achieve the above objects. The Bill is an important legislation introduced for strengthening women's right since the Personal Law cannot be excluded from the principles of gender equality and gender justice.

By the Amendments both in the Guardians and Wards Act, 1890 and in the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, the mother should also be placed on an equal footing with the father in the right of guardianship in taking adoption.

MADAM SPEAKER: Please conclude. Your time is up.

SHRI S. SEMMALAI: I am just concluding.

Before I conclude, at this juncture, I wish to point out that my revered leader Dr. Puratchi Thalaivi J. Jayalalithaa is the pioneer and frontrunner in championing the cause of women and in providing gender equality in the society. During the AIADMK regime, my leader had initiated steps and issued GOs permitting sons and daughters in each family to prefix as initial of mother's name also. This is the revolutionary step. Likewise, my leader is the first initiator to set up separate police stations exclusively for women and women commando force. This is the classic example of my leader's foresight.

MADAM SPEAKER: Please take you seat.

Now, Mr. Sanjeev Naik.

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Naik speaks. .

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: It is not going on record. Please sit down.

*(Interruptions) ...**

* Not recorded.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूँगा कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त यह विधेयक आया है। मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जब शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे जो पहली बार महाराष्ट्र में 33 परसेंट महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन लाए थे, और महिलाओं को सही मायनों में मुख्यधारा में लाने की कोशिश की थी। मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि जो बिल एडॉप्शन का लाए हैं, इससे जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं होते जिस कारण वे बहुत मानसिक तनाव में रहती हैं, आज इस बिल के माध्यम से उनको राहत मिलने वाली है। देश में इतनी समस्या है और न्यायालयों में इतनी प्राबलम्स चल रही हैं कि उसका फायदा परिवार के दूसरे लोग ले लेते थे। आज मैं धन्यवाद करूँगा कि इस बिल की वजह से सबको राहत मिलेगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सभी सदस्य इस बिल को पारित कराने में सहयोग करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने सरकार की प्रशंसा की है कि बड़ा भारी विमैन एम्पावरमेंट हो रहा है। महोदया, बुद्धकाल में जब भगवान बुद्ध वैशाली में आए थे, विमैन एम्पावरमेंट वहीं वैशाली से शुरू हुआ। मैं वहाँ से आता हूँ इसलिए अधिकारपूर्वक बताना चाहता हूँ। जब कभी महिलाओं को इजाज़त नहीं थी बौद्धिक संघ में जाने की, वहीं से शुरूआत हुई थी और वहीं से उनकी माँ गौतमी, उनकी पत्नी और सभी का प्रवेश हुआ था बौद्ध धर्म के संघ में। लेकिन अब यह दावा इन्होंने किया है और विमैन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी माननीय सदस्य भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। अभी के समय में जितना महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार और जुल्म हो रहा है, अब से पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पहला सवाल यह है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर हैं वी.एन.राय। क्या लिखा है उन्होंने और महिला लेखकों के प्रति उनकी क्या टिप्पणी है? मैं लज्जित हूँ उस शब्द का सदन में उच्चारण करने में कि उन्होंने क्या कहा। ...(व्यवधान) सारा देश लज्जित है। देश भर के 150 लेखकों ने एक साथ कहा कि उसको हटाया जाए। अभी तक सरकार ने क्यों नहीं हटाया है? महिला लेखिका के प्रति किन शब्दों का उच्चारण किया है? एक वाइस चांसलर ने ऐसा किया और क्यों उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? हम यह पहला सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि महिला का सशक्तीकरण कर रहे हैं और कहते हैं कि सभी ऊँचे पदों पर महिलाओं को बैठाएँ। सरकार इसका जवाब दे कि क्यों नहीं उसे हटाया गया जिसने महिला लेखिका के प्रति इस तरह से कुशब्द कहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी की है। देश भर में लेख छाप दिया महिला लेखिका के खिलाफ। देश भर के लेखक, साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार, सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह सवाल मैं उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं दो पॉइंट और कहूँगा।

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी को जो समय मिला था, वह समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम पार्टी की तरफ से ही तो कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल नंबर दो यह है कि विधवाओं के साथ कितना भारी अन्याय हुआ। विधवा पेंशन में कहा कि 40 वर्ष तक की विधवा को पेंशन नहीं देंगे। कोई सुनने वाला नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं केवल दो प्वाइंट और कहूँगा।



अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी को बोलने का जो समय दिया गया था, वह समाप्त हो गया है। इसलिए आप समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विधवा के साथ कितना भारी अन्याय हुआ है, कहा गया है कि 40 वर्ष तक की विधवा को हम पेंशन नहीं देंगे।...(व्यवधान) कोई सुनने वाला नहीं है। यदि हमें हमारे सवाल का एक भी जवाब दे देंगे तो हम नहीं बोलेंगे।...(व्यवधान) सरकार ने कहा कि 40 वर्ष तक की महिला को विधवा पेंशन नहीं देंगे। महिला जब विधवा होती है तो सबसे भारी पीड़ा उसी को होती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री प्रशांत कुमार मजुमदार।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आपका एक मिनट का ही समय है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए, बहुत लम्बी खींचते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल है कि 40 वर्ष से कम की विधवा को पेंशन क्यों रोकी गई है? सवाल नंबर तीन, पूरे देश में सात लाख आशा कार्यकर्ता हैं, उनको रैम्यूनरेशन नहीं मिलता है। जबकि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की समिति ने पारित किया...(व्यवधान)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, there is no limit for widow pension.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आशा की कार्यकर्ताओं को भी रैम्यूनरेशन क्यों नहीं दिया जाता है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

MADAM SPEAKER: Now, Shri Prasanta Kumar Majumdar.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Only the speech of Mr. Prasanta Kumar Majumdar will go on record.

*(Interruptions) ... **

* Not recorded.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Speaker Madam, I take the floor to support this Personal Laws (Amendment) Bill as it is a very progressive Bill.

However I would like to raise a few points in this august House in this regard. Firstly, when the Government of West Bengal has implemented the land reforms act and distributed land deeds to the poor, marginal farmers, it gave equal rights to the women of the state. They have been given property rights along with the men in order to empower them. But certain other steps must be taken by the Government to improve the condition of the women. For instance in the tribal dominated areas, there is absence of girl schools. In other areas of the country you will find various girls schools but in places where tribal population is more, there is not a single school for girls' education in as far as my knowledge goes. So the Government must look into this.

Even today, the women of our country are tortured and exploited. This practice must stop. We should remember that when we ride a bicycle, both the wheels should move. If the rear wheel remains static, the cycle will not go forward. Similarly if the women of the nation do not progress, real development of the society will never be achieved. They have to be educated and made more and more aware.

We have large number of women who are still in darkness. They must be brought to the mainstream of the society – otherwise the country will lag behind. The ratio of men and women in India is almost equal. So the women folk can no longer be overlooked. In the panchayats, the provision of 50% reservation for women has been implemented, it is true. But in the assemblies and in the Lok Sabha the reservation policy must be implemented speedily by passing the

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

Women's Reservation Bill. This is my humble request on behalf of my party RSP and the entire Left. With these words I thank you for allowing me to speak on this Bill and conclude my speech.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY):
Madam Speaker, I am highly grateful to all the hon. Members, cutting across party lines, for having given full support to this Bill.

I do not say that in the regime of equality for women this is exhaustive. This is only a sample out of some of the measures which we have started.

In fact, I agree with the hon. Members including Dr. Girija Vyas, the Chairman of the National Commission for Women. She said that a number of measures – as many as 52 proposals – have been made by the National Commission for Women, to create gender equality. We are really looking into this matter. I think, not a single week passes – in the Legislative Department – without looking into many aspects of women, which includes gender equality and also putting down the atrocities on women. So, we are at it.

In fact, this is the core theme of the UPA Government. The idea is to have complete equality for women in all spheres and make it a practical reality especially by removing discriminatory legislation and conferring equal rights to women. I do agree that a comprehensive approach will have to be made; sometimes it may be difficult to bring all the legislations together because of the technical and logistic reasons, but I can definitely say that in the years to come, we will ensure that all spheres of activities will be definitely dealt by the Law Department and various other administrative Departments of the Government. In fact, there is a growing demand for making laws free from gender bias, which includes changing the social and economic content of law. Mere law is not enough; we need to inject the new regime of human psyche, a new regime of mindset of the people.

But I must tell you many histories where great social reformers fought for freedom of women with all difficulties. But I find that our society had evolved itself into a mature society where they are prepared to absorb laws relating to equality. When that is the fertile ground for making a law, I think, in this tenure of

the Parliament itself, I would ensure that we would take advantage of that and bring a comprehensive law on women equality.

All the hon. Members vociferously supported this Bill. I must say that even in the legal mission which we have brought about, we are going to have a classification of the cases and also the prioritization of the cases in relation to women and children so that those cases are taken up first, right from the munsif court to the Supreme Court. We are getting into that area so that they will not wait for justice.

Justice delivery system will be very much tuned up so that they will not wait in queue to get justice in the courts of law. I do not want to say much on this. But the discrimination does exist; we need to bring in greater changes definitely.

Many issues are raised here; even Dr. Raghuvansh Prasad Singh raised an issue; we would like to address that, but I do not have the facts before me. I do not think, that is also very much relevant to speak on those things now.

Many hon. Members have suggested solutions; there are some of legislations, which are gender-neutral; we need to bring them. The day will not be far off, when under the august Chairmanship of the hon. Madam Speaker, Women's Reservation Bill will be a reality in this House. That is a major step and a major reform which we can bring here. I am hopeful; whatever may be the reason, let the Bill be passed. If any amendment is required at subsequent stage, we will definitely go in for that. But, at the same time, this House should not reflect the male chauvinistic attitude to the country and to the world. That is the perception we need to correct.

With this, I thank all the hon. Members, particularly hon. Madam Speaker for having given time for passing this great historic Bill, though simple.

MADAM SPEAKER: The question  is:

“That the Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI VEERAPPA MOILY: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MADAM SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

12.43 hrs.

**MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2010**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): On behalf of Shri B.K. Handique, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The Coal Mines Nationalisation Act 1973 allows Private Companies engaged in generation of Power, Production of Iron and Steel and such end users as may be specified by the Central Government by Notification, to carry on coal mining for their captive end-use.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Is it Mines and Minerals Bill that the Minister is moving?

MADAM SPEAKER: It is the same. He has taken my permission.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: In order to allocate coal blocks to private companies for captive mining of coal, a Screening Committee was set up in the Ministry of Coal, through an Administrative Order, to consider applications made by various companies. The Screening Committee is an Inter-Ministerial and Inter-Governmental Committee, with representatives from various administrative Ministries/Departments concerned of the Central Government, the State Governments where the coal blocks are located, coal companies etc.

With the progressive allocation of coal blocks, the number of coal blocks available for allocation is declining, while the number of applicants per block is increasing, as the demand for coal keeps increasing. This has made selection of an

applicant in respect of a block difficult and vulnerable to criticism on the grounds of lack of transparency and objectivity.

The Government is making steady efforts to increase its exploration to increase the availability of coal blocks. However, it is also necessary to bring in a process of selection that is not only more objective but also transparent.

Hence, a selection process by auction through competitive bidding for allocation of coal blocks to private companies, replacing the Screening Committee approach is sought to be introduced through an amendment in the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.

At the same time, realising the importance of coal minerals to the nation, competitive bidding shall not be applicable in respect of allocation of coal blocks to Government Companies and power projects selected on the basis of tariff based competitive bidding.

The Bill was introduced in the Rajya Sabha on 17-12-2008 and was considered by the Standing Committee on Coal and Steel. In its Report dated 19-02-2009, the Committee recommended that further consultation should be held with the States and other stakeholders before any further action is taken on the Bill. Further consultations with the Mining and Geology Ministers of the States were held accordingly on 10-08-2009 by me. Accordingly, the Bill was passed in the Rajya Sabha on 17th August.

The proposed amendments will improve the efficient utilisation of our coal resources. I, accordingly, commend the Bill, as passed by Rajya Sabha, and move that it be taken into consideration.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा खान खनिज अधिनियम में संशोधन का जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस बिल को बहुत पहले ही लाना चाहिए था। ऐसी स्थिति होते हुए भी मैं इस सरकार से यह कहूँगा कि इन्होंने जान-बूझकर इस बिल को विलम्ब से राज्य सभा और लोक सभा में पेश किया है।

हमारे देश में जितना भी कोयले का भंडार है, जिसको आज तक पहचाना गया है, वह करीब-करीब 269 बिलियन टन है। यह जो कोयले का भंडार है, यह पूरे देश की 120 करोड़ की आबादी की प्रापर्टी है। देश में जितनी भी खनिज सम्पदा है, यह किसी उद्योगपति की सम्पदा नहीं बन सकती। लेकिन आज तक इस सरकार ने जिन ब्लाकों को आईडेंटिफाई किया था, उनमें से अधिक से अधिक ब्लाक इन्होंने निजी क्षेत्र को कौण्टिव ब्लाक के रूप में आबंटित कर दिये हैं और जब इन्होंने सारे ब्लाक्स आबंटित कर दिये हैं, उसके बाद यह बिल लोक सभा में आया है।

मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि देश में इसके पूर्व भी कोयले का खनन होता था, लेकिन 1971-1973 में पहले तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा जी ने यह कदम उठाया था। जितनी भी कोयले की माइंस थीं, इन माइन्स को निजी क्षेत्र से सरकार के हक में लेने का समर्थनीय एक कदम उठाया था, जिसका सभी दलों ने स्वागत किया था। लेकिन इसी बीच 1996 में इसी सरकार ने, जो इन्दिरा जी पर विश्वास रखती है, इन्हीं लोगों ने निजी क्षेत्रों को ये ब्लाक जो देने की पॉलिसी बनाई है, इसमें देश की इस अमूल्य सम्पदा की लूट हुई है।

मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि यह देश की इतनी अमूल्य सम्पदा है कि जिसका अगर मूल्यांकन किया जाये, मैंने एक एक्सपर्ट कम्पनी के साथ, जितने अभी कौण्टिव ब्लाक्स बांटे गये हैं, उनकी कीमत निकालने का प्रयास किया तो देश में 49 बिलियन टन से ज्यादा के ब्लाक आज तक निजी क्षेत्र में और स्टेट पावर सैक्टर में बांटे गये। इसमें करीब-करीब 26 बिलियन टन कोयला निजी क्षेत्र को दिया गया है, इसकी जब हमने कॉस्ट निकाली तो इसकी 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कॉस्ट होती है। मैं लोक सभा में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इतनी कीमती हमारी खनिज सम्पदा को इस तरीके से बांटा गया है, जिसे हम बन्दरबांट कहेंगे। 120 करोड़ जनता की सम्पत्ति को इन्होंने 120 लोगों में बांटा है। मैं सरकार से यह कहूँगा कि इतनी कीमती हमारी खनिज सम्पदा जो कोयला है, इसको इस तरीके से बांटने की जरूरत क्या थी?

देश में इन्दिरा जी ने कोयला क्षेत्र का जब राष्ट्रीयकरण किया था तो यह दृष्टिकोण सामने रखा था कि देश में इस सम्पदा के माध्यम से रोजगार निर्माण हो और जितने भी पावर प्लाण्ट्स हैं, किसी भी क्षेत्र के

लिए उचित दाम पर वक्त पर कोयला प्राप्त हो। लेकिन इस सब की अवहेलना हुई है, इसका उल्लंघन हुआ है और देश में करीब 218 ब्लाक्स इन्होंने बांट दिये हैं। अब इनके हाथ में कोई ऐसे ब्लाक्स नहीं हैं कि उनको नीलाम कर सकें। अभी मैं जिस स्टैंडिंग कमेटी कोल एण्ड स्टील में हूँ, उसमें मेरे सामने कोल इंडिया के अधिकारी यह कहते हैं कि कौण्टिव ब्लाक्स अब निजी क्षेत्र को न दिये जायें।

हमें इसकी जरूरत है, इसके बावजूद यह प्रक्रिया रूकी नहीं है। 138 ब्लाक्स और आइडेंटीफाई किए गए हैं जिनको नीलाम करने का यह प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का अगर कहीं जवाब है, तो वह इस देश की खनिज संपदा और कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का तो हाल-बेहाल हो गया है, लेकिन खनिज संपदा के आधार पर इस देश के नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं। यह मेरा दावा है और इसके सिवाय हमारे पास रोजगार देने का और कोई माध्यम नहीं है। कोयला ही नहीं है, आयरन ओर है, बाक्साइड है और भी अनेक संपदायें हैं, इन सभी चीजों के लिए जिसने भी एप्लीकेशन दिया, उसे निजी क्षेत्र की कंपनी को बांटते समय यह आगे-पीछे नहीं देखते हैं। ये इसके बदले क्या लेते हैं? जिस कोयले का दाम दो हजार रूपए प्रति टन है, उसके लिए 45 रूपए से 180 रूपए तक रायल्टी के रूप में लिए जाते हैं। इतनी कीमती खनिज संपदा की लूट हो रही है। कोयले को ये मुफ्त में बांटते हैं। इसको आज तक नीलाम नहीं किया गया। इतने सारे ब्लाक बांटने के बाद सरकार को अब होश आया है और अब इसे नीलाम करने जा रही है। मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन सरकार ने जो अपराध किया है, इतनी सारी संपदा को लोगों में बांटकर जो गुनाह किया है इसके लिए मंत्री जी यहां जवाब दें। यूं तो इस देश में अगर हम कोयले के ब्लाक कोल इंडिया को ही देते, उन्हीं के लिए निश्चित कर देते, तो शायद हम इससे रोजगार बढ़ाते। आज अवस्था यह है कि जहां कोल इंडिया में दस साल पहले सात लाख से ज्यादा इंप्लाई काम किया करते थे, वहीं इस समय वहां तीन लाख छियानवे हजार इंप्लाई काम कर रहे हैं।

12.51 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

आज वहां उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने इंप्लायमेंट भी कम किया और देश की कीमती संपदा को लुटा दिया। जिन लोगों को इन्होंने कोल ब्लॉक का आबंटन किया, उनके लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें इनको बैंक गारंटी चाहिए थी। जिन कंपनियों को बैंक गारंटी देनी थी, उनको हर साल उसे रिन्व्यू करना था। यह वर्ष 1996 से लेकर लगातार ब्लॉक बांटते आ रहे हैं और किसी भी निजी कंपनी से इन्होंने बैंक गारंटी को रिन्व्यूअल नहीं किया। इन कंपनियों को इस शर्त पर ब्लॉक बांटा गया था कि जहां कोयले का ब्लॉक या भंडारण है, वहां अगर फारेस्ट लैंड है, तो उनके लिए 48 माह की अवधि दी गयी थी, लेकिन जहां फारेस्ट लैंड नहीं है, वहां 36 माह में कोयले का उत्पादन प्रारम्भ होना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछते हैं,

तो इनका एक जवाब आता है कि देश में कोयले की जरूरत है, कोल इंडिया इतना कोयले की जरूरत पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए इसे निजी क्षेत्र में दिया। निजी क्षेत्रों को देने के बाद, निजी क्षेत्र ने इसका उत्खनन नहीं किया। मैं आपके सामने यहां जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिन-जिन कंपनियों को इन्होंने कोयले के ब्लॉक बांटे हैं, उनमें से अधिकांश कंपनियां ब्लॉक लेने के बाद, उन्हें बेचने की फिराक में हैं। जहां-जहां पर जिन-जिन के हाथ में कोयले के ब्लॉक्स आए हैं, उनमें से अधिकांश ब्लॉक्स का मैनेजमेंट चेंज किया जा रहा है और दूसरी कंपनियों को बेचा जा रहा है। उन्हें बेचने से हजारों करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। इस तरह से देश की जो खनिज संपदा है, इसको इस सरकार ने अभी तक बर्बाद करके अपराध किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन कैपिटिव ब्लॉक्स की बात ये कह रहे हैं, वे सिर्फ कैपिटिव ब्लॉक्स ही नहीं बांट रहे हैं, कामर्शियल ब्लॉक्स भी बांट रहे हैं। कामर्शियल ब्लॉक देकर निजी क्षेत्रों को यह प्रोत्साहन देते हैं कि कोयले का भंडारण आप मुफ्त में लीजिए और कामर्शियल ब्लॉक के रूप में और किसी को बेचिए। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं और उन्हें मैं आपके सामने पेश भी करूंगा। इस तरह से देश की कीमती संपदा को आज तक यह बर्बाद करते रहे हैं और लुटाते आए हैं। इसको अपनी निजी संपदा समझकर, यूपीए ने अपनी सरकार की संपदा मानकर जिस तरह से आज तक अभियान चलाया था, इसमें निश्चित रूप से ब्रेक लगेगा, लेकिन मैं यह सबमिशन करूंगा कि अभी तक जितने ब्लॉक्स बांटे गए हैं, उनमें जिन-जिन निजी कंपनियों ने कोयले का उत्खनन किया है, उन सारे ब्लॉक्स को फिर से कैंसिल करके अपने अधिकार में लेना चाहिए। जो लोग अभी ब्लॉक नीलाम करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, जितनी भी इसकी नीलामी के बाद बोली की राशि आएगी, उसका एवरेज रेट निकालकर, जिन लोगों को आपने आज तक मुफ्त में ब्लॉक बांटे हैं, उन लोगों से उतना एवरेज रेट लिया जाना चाहिए। आप मंत्री हैं, देश की सरकार है, यह आपकी संपत्ति नहीं थी। यहां पर आपको हमारी बात इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि देश की 120 करोड़ जनता की प्रापर्टी आपने 120 लोगों को बांटी है। इसके बारे में पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। देश की सरकार, कोयला मंत्रालय इस देश के ब्लॉक निजी क्षेत्रों को दे रही है और कल भी देना चाहती है, जबकि ब्लॉक लेने के लिए, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जगहों पर ब्लॉक परचेज करने के लिए जाते हैं।

इसमें सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मैंने यह देखा नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाने का मार्जिन इसलिए बनता है कि यहां के ब्लॉक मुफ्त में बांटते हैं और मलेशिया, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जाकर भी ब्लॉक्स लेने हैं। इस तरह यहां भी कमीशन मिलता है और वहां भी कमीशन मिलता है। ऐसा दोहरा मापदंड अपनाकर सरकार ने कोयला क्षेत्र में जितनी करप्शन की है, देश में आज तक शायद ही इतना बड़ा करप्शन किसी और क्षेत्र में हुआ होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं दावे के साथ इसलिए



कह रहा हूँ कि मैं भी लोक सभा का जिम्मेदार सदस्य हूँ, पहली बार चुनकर नहीं आया हूँ। हमने इतना कीमती कोयला लोगों को इतनी आसानी से बांटा है, इसकी क्या वजह है। चेयरमैन, कोल इंडिया कहते हैं कि अब हम सारे ब्लॉक्स उत्खनन करेंगे, हमारे लिए रखिए। कोल इंडिया में 1996 में 8 लाख इम्लार्ड काम करते थे, वहां आज 3 लाख 96 हजार इम्लार्ड काम करते हैं। देश की आबादी 120 करोड़ की है। उन्हें इम्प्लॉयमेंट कौन देगा? इस देश के पढ़े-लिखे नौजवान अमरीका, आस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उन्हें यहां इम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। इन्होंने निजी क्षेत्रों को ब्लॉक दिए। मैं आपको अपने क्षेत्र के एक ब्लॉक के बारे में बताऊंगा जो निजी क्षेत्र में कर्नाटक पावर कार्पोरेशन को दिया हुआ है। एमटा कम्पनी उसमें उत्खनन करती है। उसका प्रोडक्शन और डब्ल्यूसीएल की एक खदान दुर्गापुर में है, इन दोनों का प्रोडक्शन समान है। दोनों का प्रोडक्शन दो लाख मिलियन का है। डब्ल्यूसीएल की कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली जो खान है, उसमें 1200 इम्लार्ड काम करते हैं और एमटा माइन्स के अंदर उतना ही उत्पादन होता है, लेकिन वहां 370 इम्लार्ड काम करते हैं। रोजगार कम किया जा रहा है। बेरोजगार लोगों का हक छीना जा रहा है। अगर अनेक मापदंडों से सोचा जाए तो सरकार आज तक अपनी इतनी कीमती सम्पदा देश के बेरोजगार लोगों की आंख में धूल झाँककर बांटती आई है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के माइनिंग कार्पोरेशन को चार ब्लॉक दिए गए हैं। जिन्होंने चारों ब्लॉक कमर्शियल ब्लॉक के रूप में लिए, महाराष्ट्र सरकार ने उनकी नीलामी की है। इन्होंने मुफ्त में लिए और राज्य सरकार ने उन्हें नीलाम किया। उन्होंने एक ब्लॉक पालम चेखंड की इंडियन बूस्ट पावर कम्पनी को बेचा जिससे 280 करोड़ रुपये पाए। दूसरा ब्लॉक अगरजदी का है जिसमें 137 मिलियन टन कोयला है। उसे अदानी इंटरप्राइसेज़ को बेचा जिसमें राज्य सरकार ने ईयरली 232 करोड़ रुपये की रॉयल्टी के रूप में मुनाफा मांगा था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार का 49 प्रतिशत शेयर रहेगा और 51 प्रतिशत शेयर अदानी ग्रुप का रहेगा। एक और ब्लॉक 73 मिलियन का है जिसे राज्य सरकार ने गुप्ता कोल लिमिटेड को बेचा। वह सम्पदा कोल मंत्रालय की है। उससे ईयरली 116 करोड़ रुपये का मुनाफा पाया। एक और ब्लॉक सुनील हाईटैक को बेचा गया जिससे 74 करोड़ रुपये ईयरली प्रॉफिट तीस साल तक मिलते रहेंगे। अगर राज्य सरकार मुफ्त में ब्लॉक लेकर इतना प्रॉफिट पाती है तो निजी क्षेत्र के लोगों ने कितना पाया होगा, आप इसका अनुमान लगाइए। इसलिए हम इस बिल का इस स्थिति में स्वागत करेंगे, लेकिन पहले जो ब्लॉक बांटे गए, उनके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि खनन सम्पदा के आधार पर हम देश के पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। इस देश की कीमती सम्पदा को जिस तरह बांटा गया, उसे कौंसिल करने की जरूरत है और इस बारे में भी अमेंडमेंट आना चाहिए। नीलामी के बाद जो राशि आएगी, जिन लोगों ने अभी उत्खनन प्रारंभ किया है, उन पर उसका

एवरेज रेट लगाना चाहिए। इसी में देशभक्ति है। मैं सत्ता दल के नेताओं से कहना चाहूंगा कि 1971 और 1973 में इंदिरा जी ने कोयला खानों का जो राष्ट्रीयकरण किया था, क्या वह गलत किया था, जो आपने निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया है। अगर यह सही है कि इंदिरा जी की पॉलिसी गलत थी, तो आपको इंदिरा जी की फोटो लगाने का भी अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन इंदिरा जी ने निजी क्षेत्रों को समाप्त कर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस वक्त सारे राष्ट्रीय दलों ने इसका स्वागत किया था।

13.00 hrs.

देश के सभी कामगार संगठनों ने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि यह एक अच्छा निर्णय हुआ है। उसका उल्लंघन करते हुए आपने उस बिल को भी अपमानित किया है और देश के साथ भी आज तक धोखाधड़ी करते आये हैं। आप आज जो बिल लाये हैं, उसे लाने में आपने विलंब किया है। वर्ष 2004 से यह बिल लंबित था, लेकिन उसे आप वर्ष 2010 में ला रहे हैं। इस बीच के समय में आपने पूरे ब्लाक्स निजी क्षेत्रों को बांट दिये हैं, यह मैं इल्जाम लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मेरे कुछ सुझावों के बारे में विचार करें। देश की इतनी कीमती सम्पदा को अगर आपने नीलाम किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका करोड़ों रुपया कोल इंडिया को जाता था और कोल इंडिया इससे भी ज्यादा प्रगति कर सकती थी। अभी कोल इंडिया ने कहा है कि 138 कोल ब्लाक्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, इन्हें यह नीलाम न करें। कोल इंडिया स्वयं कहती है कि हम इसका उत्खनन करेंगे, क्योंकि ये ब्लाक्स हमें चाहिए। इसका भी सरकार जवाब दे। अब इन्होंने कौपिटिव ब्लाक और कौपिटिव ब्लाक के साथ कमर्शियल ब्लाक की पालिसी के बारे में भी अभी तक इसमें कुछ नहीं लिखा है। उस बारे में

मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जहां तक कोल रॉयल्टी का सवाल है, तो राज्य सरकारों को जो रायल्टी दी जाती है ... (व्यवधान) मैं यही कहूंगा कि जब से रॉयल्टी दी जाती है, तब से कोयले की कीमत पर रॉयल्टी न देकर टनों पर रॉयल्टी दी जाती है। मैं यही सबमिशन करूंगा कि सरकार राज्य सरकारों को कोयले की टन पर रॉयल्टी न देकर कोयले की कीमत पर रॉयल्टी दे। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO (ARUKU): Thank you. I rise to support this Bill and the amendment that is sought to be brought, by the hon. Minister.

But I must say that I am rather disappointed at the scope of the Bill, which is very limited. What is being amended is a section in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act of 1957, which deals actually with all the minerals including coal.

What is the amendment which is before us? It deals with coal – coal, basically in relation with the production of iron and steel, and also generation of power. While introducing the Bill, the hon. Minister stated that actually preference will be given to public sector undertakings, to other Government organizations, which require coal.

Besides that, the Bill actually seeks to bring in a system of bidding for coal blocks. The private companies will be allowed to conduct reconnaissance as far as availability of coal is concerned; they will also be allowed to bid and have a stake in that.

I would like to bring it to the notice of the Minister, through you Mr. Chairman, that even today, there are some Government public sector undertakings, which are starving due to lack of supply of coal. In my State, in my district – I am not trying to be regional, but I am aware of this fact – Rashtriya Ispat Nigam Limited, Vishakapatnam, is there, which is a PSU, but still it does not have a coal block. Coking coal which is required, is given not according to their choice; it is given by the State Governments where the coal lies; they are not given open cast mines, but in mines which have severe difficult conditions, the gaseous mines, some of them are still burning within; it is very difficult to mine over there. Due to this, many of the PSUs are suffering. But he said that they would be given a preference. This is something which has to be given top priority and it has to be implemented also.

I would like to remind this august House about one thing. When did the public sectors come in? It is after Independence, when the colonial rulers left us;

we had no infrastructure in the country at that time; ours is an agrarian economy; the basic activity is agriculture. We needed to build projects, but at that time, there was not a single bag of cement that we produced.

We did not have steel in the country. So, to develop the agrarian sector, to have irrigation project we first had to have cement. We first had to have steel. With this in mind, these public sector industries were built up. I would like to remind the entire House that this was done at a time when no private player was willing to set up industries. Maybe, there was Tata Iron and Steel Company, some players here and there. But had the Government not done this, today we would not have this infrastructure which we have built up.

We must remind ourselves that these PSUs are built on public money, the money of the people of this country. Therefore, whether it is for coal or iron ore, I think the top priority should be given to private sector undertakings. PSUs were started not to be sent to BFIR but to make our country strong; to see that our economy progresses and to see that we are self-sufficient as far as these industrial products and produce are concerned.


I would have expected a comprehensive Bill regarding this. You have said that Section 11 (a) is being amended for production of iron and steel. Let us go into the production of iron and steel. Production is done in the plants but your Ministry controls the mines and minerals. There was a long discussion in this House about illegal mining. I am not going to repeat all that has already been said. I was going through this Act of 1957 and the Schedule. I was amazed to note here that the royalty for the best quality iron ore is just Rs.24 or something like that. It ranges from quality to quality but for the highest quality of iron ore, I think the royalty is Rs.24.50 per tonne.

The first question we should ask ourselves is whether it is iron ore, coal or bauxite – since minerals come under you – are they national wealth or not. Recently, even the Supreme Court had said in some judgement related to gas that mineral resources are natural wealth. It may be related to gas but these are mineral

resources of the country. Are these national wealth or not? Can we fritter away this kind of national wealth and minerals to some few private people or sell them away for almost nothing to countries abroad? These are very-very serious questions that we need to ask ourselves and answer.

This is in the Concurrent List. The States have a stake there. I am not saying that the States should not get the share. States, of course, will get their share but what is happening now? You are giving private lease and most of these iron ores are being mined. The States are doing it. Ultimately the transportation, royalty everything would come to about Rs.1000 or Rs.1500 and sell the ore at Rs.3,500 or Rs.4000. I am not talking of the illegal part, even the legal part of it. You are getting profit of Rs.3000 or Rs.4000 per tonne or iron ore. What is the royalty that is being paid for bauxite? It is 0.35 per cent of the rate that is quoted in the London Metal Exchange. Is it necessary for us to review the entire Mineral and Mining Policy of our Government; to review the entire Act which was passed by this House way back in 1957? Is there a need to regulate the use of our minerals? I think this is the primary question which should be foremost in our minds.

Today, if we look at the global scenario, though many advanced countries of the world have rich reserves of minerals, they are preserving them. There are Western countries which have oil to last them for hundred years.

But still they are buying oil. Why is that so? It is because they want to preserve their own mineral resources for their use at a later date. Our country, at a very nascent stage of development is just taking off. At this time, if we frittered away, all our resources, ultimately when we need it for our domestic use, maybe, to be used for our defence purpose, to be used for our industrial purpose, where in the world will we go around begging or asking for minerals?  A time will come when you will not get it if even you are prepared to pay for it. So, I think, before it is too late, it is very much necessary that we should start thinking on these lines.

Therefore, even as far as coal is concerned, it was nationalised. After it was nationalised, it was repealed and coal was privatised. What worries me is that in many of the coal-bearing areas, the conditions of the mines are not being properly looked after. Are they being properly looked after by the private people who take it on lease? First, they mine one portion. The moment it becomes difficult for them, then, they abandon that and go somewhere else. Is this not a destruction of the national resources and wealth? So, I think, it should be the endeavour of the Government to see that while bringing in the private players, while giving them these auctions that you seek to do, you must take abundant care and caution to see that the mineral wealth is not destroyed or it is not frittered away.

Next, you have said that the private foreign companies also can come in and bid. It is all right that is the policy of the Government. At what cost do they come and bid? At what limit or level is it is the question that has to be decided taking into consideration the needs of our country, the needs of our industry and the present reserves and supplies that we have with us. I think, today, the necessity is more than ever before to ensure that the use of natural resources are regulated and guided through a national policy by the Central Government. I am sure the State Governments will have no problem as far as this is concerned. This has nothing to do for or against the rights of the various States. This is only to ensure that a few people do not benefit or do not misuse the national resources and minerals that we have.

Well, Mr. Chairman, I would take this opportunity to appeal to the hon. Minister sitting here to give thought to these points. After all, in the discussion we have, many Members made demands from various sides of the House. I think it is high time that you have a Commission of Inquiry to go into the aspect of illegal mining. I think it is also time for us to assess the quantum of minerals that we have – whether it is coal, whether it is iron-ore or bauxite. We have to find out how much we have used out of it, how much has been mined illegally. If there is any way to find that out, I think that could be found out by the

resources that we have, by the royalty that you receive and the gap is apparently what has been taken away by the illegal miners. The national resources, especially minerals including coal, cannot become the exclusive preserve of a handful of freebooters. We are not following a laissez faire policy. . It is not a free for all. Therefore, it is necessary for us to evolve the National Mines and Minerals Policy.

I would also like to caution the hon. Minister about the minerals including coal which are located in forest areas, in the tribal areas. It was a flagship programme of the UPA Government to have introduced the Forest Rights Bill to give rights to the traditional forest dwellers and the tribals. In such areas, if you start mining, establishing the rights, even before surveys are conducted, it will defeat the very purpose for which this very enactment was made.

In such areas, I think rampant exploitation by people who are associated or indulging in this kind of illegal mining has led to a situation where thousands of people have become homeless. They have been thrown out of their original habitats. I dare say that this is one of the main reasons why many of the tribals and forest dwellers feel helpless and feel that there is nowhere else for them to go. With the result, they had to, as a last resort, go into unconstitutional acts and go into the arms of extremists. You must remember that we should not create a situation where we will be driving our own people and that too poorest of the poor to activities which are not desirable. In a situation like this, you really cannot blame them. We also have to own up responsibility, give them their rights or stakes or share in this mineral wealth of our country and regulate use of these valuable national resources that we have with us.

As far as this Bill is concerned, you have brought it specifically to do with coal and through an amendment you have added Clause 11(a). But this is only for the production of iron and steel, generation of power, and washing of coal for a mine. But you must ensure that when any public sector undertaking requires it or any other Government undertaking requires it whether it is of the State or of the Centre, they must be given priority before any private and other players.

With these words, I would like to appeal to the hon. Minister to come out with a comprehensive legislation with respect to the use and regulation of mines and minerals in our country. I hope he will do it at the earliest available opportunity.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे खान और खनिज, विकास और विनियमन, संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी इसी सप्ताह हम लोगों ने अवैध खनन को लेकर यहां नियम 193 के अंतर्गत बड़े विस्तार से चर्चा की थी। उस चर्चा में मैंने कहा था कि प्रकृति ने हमें अपने गर्भ में बहुत बड़ी सम्पदा दी है जिस पर सभी का अधिकार है। हिंदुस्तान में जितनी भी प्राकृतिक सम्पदा है, उस पर सभी नागरिकों का बराबर का अधिकार है। उस चर्चा में खनिज माफियाओं के बारे में ज्यादा चर्चा हुई थी। उस चर्चा में देखा गया था कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, केरल हो, तमिनाडु हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश राज्य हो, सब की चर्चा उसमें हुई थी। जिसमें लौह-अयस्क, कोयला, बालू और पत्थर के बारे में भी बातें हुईं यानी तमाम हमारी प्राकृतिक सम्पदा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। यह बात सत्य है कि चाहे निजी कर्मनियां हों या अवैध खनन के माफिया हों, उन्हीं का खानों पर अधिपत्य है। कुछ जगह पर तो राज्य सरकारों और बड़े-बड़े लीडर्स से मिलकर अवैध खनन हुए हैं, जिस पर मैं यहां जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन देखा गया है कि इस अवैध खनन से भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

वर्ष 2000 के बाद देखा गया है कि प्रति वर्ष तापमान में वृद्धि हुई है। यहां तक कि कभी-कभी हल्के भूकम्प के झटके भी आते हैं। हमारे कौशाम्बी में तो धरती फटने की शिकायतें प्रति वर्ष आती हैं। ज्यादातर सम्मानित सदस्यों ने कोयला खनन को लेकर चर्चा की है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि आने वाले 50-60 वर्षों का ही हमारे पास कोयले का भंडार है, जिससे हमारी तमाम परियोजनाएं जो कोयले पर आधारित हैं, उन पर असर पड़ेगा। आज यह चिंता का विषय है, इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो अन्य प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, जिन पर हमें अनुसंधान करके उनकी खोज करनी पड़ेगी।

झारखंड में 75413 हजार टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जाता है। कोयला, बाक्साइट, अभ्रक, तांबे का ज्यादातर उत्पादन झारखंड में होता है। जब से झारखंड नया राज्य बना है, तब से वहां की राजनीतिक बहुत उथल-पुथल है। वहां प्राकृतिक सम्पदा बहुत ज्यादा है। अगर उस सम्पदा का सही रूप से खनन हो, तो मेरे खयाल से वहां का विकास भी होगा और जो नवयुवक हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड की स्थिति देखते हुए पांच वर्षों का मूल्यांकन करें, तो 1500 मजदूर कोयला खदानों में मर चुके हैं। जो कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी स्थिति, उनके परिवार और उनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लीज आबंटन की जो बात है, झारखंड में सरकार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन वहां कोई खनन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कम्पनी है,

जहां कोयले का ब्लाक पर्वतपुर में आवंटन हुआ है। दो वर्ष में कोयले के खनन को देखा जाए, तो हल्दिया पोत पर लाया जाता है और विदेश भी भेजा जाता है। आज जरूरत है कि कोयले से उत्पादित हमारी जो इंडस्ट्री है या दूसरे बड़े उद्योग हैं, वे चलाने के लिए अगर हमारे पास कोयले की कमी हो जाएगी, तो बहुत परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। हमें इसलिए इसे रिजर्व करके रखने की जरूरत है।

पेनम कोल दुमका में जो पावर प्लांट है, उसे चलाने के लिए आधा कोयला पावर प्लांट में आता है और आधा बीच में से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। अवैध चोरियों पर सरकार को गंभीरता से अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है। मैं अभी बुकलेट में देख रहा था कि 20 जुलाई, 2009 को 18 संकटग्रस्त कोयला खदानों को पुनर्जीवित करने के लिए दस बड़ी चुनिंदा कम्पनियों को देने पर सरकार विचार कर रही है।

इसलिए आज हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ये जो तमाम उत्पादक हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमारे पास कितना स्टॉक है, उसका सही रूप में खनन हो और उसका उपयोग हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां कौशाम्बी में एक इलाका शमशाबाद कहा जाता है। वहां की मिट्टी में क्या बात है कि वहां पर पहले पीतल, तांबे के बर्तन बनते थे और अन्य पदार्थों को मिक्स करके वहां पर फूल के थाल, बटुए और तमाम बर्तनों का उत्पाद होता था। मेरे पिता जी स्वर्गीय धर्मवीर जी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहां पर छोटा सा एक अनुसंधान केन्द्र खोला था कि वहां पर जो भी प्रोडक्ट बने, उसे मुरादाबाद लाकर जो हमारा पीतल का बहुत बड़ा स्टॉक होता है और बहुत बड़ा उत्पादन होता है और जिसे विदेशों तक भेजा जाता है लेकिन आज वह बंद पड़ा हुआ है। आज भी वहां का व्यापारी भुखमरी के कगार पर है, उत्पादन ठप्प पड़ा है। मैंने सतर्कता निगरानी समिति में यह बात रखी थी कि तमाम तरीके की चीजें वहां उन लोगों को मुहैया कराकर वहां का जो उत्पादन होता था, उसको हमेशा पुनर्जीवित करके, थोड़ी सी मदद करके उनके भी जीवन स्तर को सुधारा जाए। आज बाहर के लोग आते हैं, वहां की मिट्टी बोरों में भरकर ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तमाम ऐसे इलाके हैं, आज भी हमें जो प्रकृति ने धरोहर दी है, अगर उसका कायदे से खनन और अनुसंधान हो तो बहुत ऐसी जगह हैं, जहां पर खनन करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं तथा उत्पादन करके, निर्यात करके अच्छी विदेशी मुद्रा इकट्ठा करके अपने देश का विकास कर सकते हैं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मुझे मौका दिया। हमारा जो भारत देश है, यह जो खान और खनिज है, यह हमारी सम्पत्ति है और यही कारण है कि लोगों ने भारतदेश को सोने की चिड़िया कहा है। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में है, उतने नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं हैं। जहां तक झारखंड का सवाल है, अकेले झारखंड में 17 तरह के मिनरल्स पाये जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसे पहले लाना चाहिए था क्योंकि जिस तरह से हमारे खनिजों का दुरुपयोग हो रहा है जिसे रोका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस खनिज से हमारे तमाम ऐसे उत्पाद बनते हैं और विशेषकर जो हमारी बिजली है, हम कोयला से पर्याप्त मात्रा में इस देश को बिजली दे सकते हैं।

आज हमारे देश में बिजली का बहुत संकट है। हर प्रदेश में लोग बिजली को लेकर चिंतित हैं। हम कोयले से पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादित कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहां बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो सके और पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए कोयले से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। लेकिन खेद का विषय है कि ये 12 प्रोजेक्ट्स कोयले से चलने थे लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोयला नहीं दिया है। इस कारण हमें दो प्रोजेक्ट्स निजी क्षेत्रों को देने पड़े। जब निजी क्षेत्र को दो प्रोजेक्ट्स दे दिए गए तब मालूम नहीं उसे कहां से कोयला मिल गया जबकि सरकारी तौर पर प्रोजेक्ट्स को कोयला नहीं मिलता है।

महोदय, इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी है। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सिस का सही ढंग से उपयोग करें तो हम बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं, बेकारी दूर कर सकते हैं। मैं झारखंड के बारे में बताता हूँ कि वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला है। धनबाद जनपद में लगभग 40-45 वर्षों से कोयले की खदानों में आग लगी हुई है। कोयला जल रहा है, कोयले का भंडारण खत्म हो रहा है लेकिन सरकार इसके प्रति चिंतित नहीं है। वहां पर्याप्त मात्रा में चोरी होती है, मौतें होती हैं। सरकारी खदानों में ठेकेदारी प्रथा है। कोयला निकालते हैं तो गड्ढों को मिट्टी या बालू से पाटना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है और धंस जाता है या किसी न किसी तरह से आग लग जाती है। इससे जन और धन, दोनों की क्षति होती है। आज

यह विधेयक लाया गया है, इस भंडारण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। हमें भविष्य को भी देखना है कि आने वाले समय में नैचुरल रिसोर्सिस हमारे पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर हम विदेशों को इसी तरह से कौड़ियों के मोल देते रहेंगे तो कुछ ही दिन में सारे नैचुरल रिसोर्सिस खत्म हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me a chance to speak on this Bill, which proposes to amend Section 11 of the the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

This Bill was first introduced by the Ministry of Mines, but later on it went to the Ministry of Coal. That is not the problem.

At the very outset, I oppose the basic objective of this Bill because we are offering coal blocks to the private parties, including the foreign ones. There is every possibility of it being misused. We have Coal India Limited. So, this kind of job could be entrusted to the Coal India Limited so that they could explore all these unexplored mines. The Coal India Limited should be entrusted with this kind of job without giving it to the private investors, including the foreigners. What is your experience? We have already given coal blocks to the private players. So far as I know 228 coal blocks have been offered to the private investors, but nearly 200 blocks have remained unexplored.

So, again, this thing will happen here. What happens is that after so many years, overwhelming majority of the coal blocks allocated for captive use remained unexplored.

Now, coal mines were nationalised in 1972 and 1973. The Central Public Sector Undertaking was given the authority to explore the coal which was unexplored. In the case of steel which was unexplored and un-mined reserves should be done through the Public Sector Coal India Limited. But without doing that, we are giving it to the private investors and to the foreign players. Now, there might be a reversal of the nationalisation policy which the Government is going to adopt now.

Another point is the health hazards. It will have some negative phenomenon because the private players or the foreign players will not think about the rehabilitation of the dislodged people. They will not think about the environment problems. They will not think about the conservation of the precious national resources and minimising the wastage by using the up-to-date technology.

Naturally, there will be open cast colliery. That will create a kind of health hazard. It will be again be a challenge for climate change and global warming. What might happen is that the private players will give it to another party. There will be rise in the illegal mining. The Supreme Court has to interfere in the case of Aravali in Rajasthan and Garhwal in Uttrakhand because there is rise in the illegal mining there causing soil erosion and other environmental problems. So, the Supreme Court should interfere into that and stop mining in these two regions.

There is another paradox which was created by the private sector. Virgin coal blocks are being offered for private exploitation whereas the Coal India is rushing to bring coal from Australia and other countries. One may argue that that is done because the quality coals are not available. But that is not tenable or acceptable because we do not know in totality what is our coal reserves. If we do not know that, then how shall we know what is our quality status? So, the Government should give a serious consideration on all these aspects.

13.37 hrs

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

I would like to touch another point about the role of the States. In the bidding process the States are not involved. If the States are not involved, then the States will not be entitled to get some coal from these bidders. The States are the owners of the national resources. So, it will dilute the rights of the States and also have a serious bearing on the Federal structure of the country. So, the role of the States should be kept in mind in the bidding process. When the State wants coal -- for example in our State of West Bengal, there is a demand for some coal blocks for the thermal power generation -- then the States should be given that. In the case of iron ore, if the States have some say, then why not in coal, the States should have some say that they should be consulted before giving them a lease by bidding process.


There is one other important thing. The Standing Committee of Coal and Steel has submitted its 39th Report on this matter to the Parliament on 9th February,

2009. Now, one year has elapsed. The Standing Committee had made two great and important recommendations. I would like to quote the first one:

“The Ministry of Coal should have brought out a comprehensive White Paper giving details of coal reserves available, the minable coal, coal blocks allotted so far with the present status, reasons for delay in the development of such blocks with the contingency plan to develop them in a time-bound manner so as to achieve the envisaged coal production target before starting the auction of such blocks.”

This is the great and important recommendation made by the Standing Committee, that has not been taken into consideration while preparing this Bill.

There is another recommendation which was given by the Standing Committee that coal blocks in reserve forests and protected forests should not be allotted to save forest, environment and local population. This clause should be incorporated in the Bill; otherwise it will cause damage to the forests and also to the local people. It is because this Bill tells nothing about rehabilitation, resettlement and protection of livelihood of the project affected people. Who are the most affected people? It is the tribal people.

I would like to mention one more thing. The Report of the Committee on State Agrarian Relations and Unfinished Task of Land Reforms by hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in 2008, tells that nine per cent of the population is tribals, but the land they are giving for such mining is 40 per cent. The data shows that 7,50,000  and has been taken from the tribals for such kind of mining. So, the tribal people will be very much affected. The private player or the foreign players will not bother about the rehabilitation, resettlement, compensation and employment opportunities to the tribal people. That should also be taken into consideration.

My next point is that in the bidding process, it is told that the Government company will not come to the bidding process. But, in the Bill, nowhere it is told that the Government company will be given priority. What is happening? SAIL in

still being denied the right of the Chiria iron ore mines which was developed by SAIL itself. The Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, has been knocking from door to door to get the captive iron-ore mines and also the appropriate coking coal blocks. That was not still offered. Whatever coal area is allotted to them, all are non-economical mines. That is why, the SAIL, the RINL, the NTPC and the Coal India, all the Navratna companies, have to form the joint venture to acquire coal assets from outside the country while in our country, there is unexploited reserve. It should be done by the Coal India Limited.

My next point is that the private companies will be allotted coal blocks through a competitive bidding process. The point is that they themselves will not mine. They will give the mines on a contract basis. If this is so, then, mining is the most hazardous and dirty one. Who will be the worst sufferers? The poor workers are the worst sufferers. The private players, the foreign investors, will not bother about the coal mine workers. So, my concrete proposal is that when the Government auctions coal blocks, the Auction Document must include the conditionality of payment to the mine workers, the wages as per the benchmark set by the Coal India Limited through their National Coal Wage Agreement. That thing was not spoken of in the Bill. So, that should be kept in the Bill. The Bill is totally unmindful of that thing.

My last point is that we have to rely more on the non-conventional sources of energy because only three per cent of the energy is from non-conventional sources and renewable energy. We should exploit more.

With these words, I urge upon the Government to give due consideration to these aspects because we should not push through this Bill. I again reiterate my objection to his Bill and conclude.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in the discussions on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2010.

As we are all aware, this Bill was initially moved in the year 2008 and subsequently the amended Bill was moved in the Rajya Sabha. It was discussed in the Rajya Sabha. It was passed by the Rajya Sabha. Now, this Amended Bill, as passed by the Rajya Sabha, is before us for deliberation.

Before going into the details of the Bill, I would like to mention here that this Bill is a concise form of the Bill which was earlier circulated. It is confined only to coal and lignite. The earlier Bill was very much alarming in the sense that most of the mineral-bearing States, their Chief Ministers and even the respected Governors had objected to that. Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik had repeatedly written to the Prime Minister of India, met him in a group and also raised objections to the idea that was being formed relating to the mineral policy and the Bill that was being contemplated.

Now, I would come to the limited aspect of this Bill which is confined to granting reconnaissance permit, prospecting licence, mining lease in respect of an area containing coal or lignite and this will be selected through the auction by competitive bidding on such terms and conditions that are prescribed, to a company engaged in the production of iron and steel, generation of power, washing of coal obtained from a mine or such other end use. I do not know why this “or” is here. The other one is an expanded idea: “such other end-use as the Central Government may, by Notification in the official Gazette, specify.”

So, this is the limited issue which we are deliberating today. But it is not a limited issue. The reconnaissance permit is going to be provided to whom? Who is seeking this? It is the private players. Who are these private players? Are they indigenous or are they foreigners? We would like to understand this from the hon. Minister. Are they getting any claims or suggestions from foreign players to do reconnaissance relating to coal and lignite? This idea was earlier in the other Bill.



Do we not know, in our country, where the coal mines are and how much of coal is there; how much of lignite is there? It was not available for bauxite, it was not available for iron ore, and it was not available for other minerals. That is why this word was mentioned there. Why have they put it here? If it is necessary, is it confined to our indigenous players, our local players, Indian companies or is it also open for foreign bidders?

Relating to prospective licence, mining lease, etc. these are technical terms and I think, the hon. Minister understands and many of us who are involved in those activities also understand this. But here I would say and we are reminded of the hon. Member from the Treasury Benches also mentioned about the Act of 1957 and the Nationalisation Act as was mentioned by the major Opposition Member who initiated the discussion here relating to the Coal Mines Nationalisation Act of 1973.

It is a Nationalisation Act, but this Act allows private companies. It is not that it does not allow. It allows private companies engaged in generation of power, production of iron and steel, washing of coal, etc. All those aspects are allowed in the Nationalisation Act. It is not that Mrs. Gandhi totally wished away all private players. They were allowed. It is there in the Act and that has also been incorporated here, 'obtained from mines and such other end uses may be specified'.

I would say, this Bill amends the Mines and Minerals Development Regulation Act of 1957 which regulates mines and development of minerals. The 1957 Act states that prospecting or mining operations can be undertaken only after obtaining a prospecting licence or a mining lease. It specifies rules for granting licences on leases. This Bill seeks to allow the State Government to grant a prospective licence or mining lease for coal and lignite to private companies through auction by competitive bidding.

In the Bill itself, it says, 'the State government shall grant such reconnaissance permit, prospective licence and mining lease in respect of coal or

lignite'. The State Government shall grant. This word 'shall', Mr. Chairman very well understands, means it has to, the state has no other option. It becomes mandatory. It has no other option. Here the power of the State, the wisdom of the State has been given a go by. The State Government has no role to play. Once the Central Government decides, the State Government has to follow. You have to sign on the dotted lines to which I object.

This is not the way. Who is the owner of the minerals? Here it was said, it is national wealth. Especially, who says this? I do not want to offend any one, but those States who are not mineral based States say it is a national wealth. But who is the custodian of this wealth? The custodian of the wealth are those States where those minerals are and without consulting them you are going in for bidding. You are going in for reconnaissance licence; you are going to allot everything and ask the State Government that they 'shall' sign on the dotted lines. We are in a federal structure. The Constitution has given certain rights to different States, to all the States. Is this the way?

Rajya Sabha has passed this Bill. On a weekend, we are sitting here to deliberate on this Bill, and this Bill also will be passed. But I want to put it on record here that this is just a beginning of the greater Bill that is going to follow. This is my concern here.

The companies that can bid should be engaged in production of iron and steel and all those aspects have been mentioned here. This Bill also seeks to allow the State Government to grant a prospecting licence. But I strongly believe that the States are the owners of mineral resources and the Government should consult them before adopting a new policy.

Coal blocks that have already been allotted but not been developed according to the time frame that has been set by the Ministry, they should be disposed of through a new law. New blocks may be allotted through competitive bidding. I have no qualms on it. But I have strong reservation relating to the manner in which blocks were allotted in different States, especially in Orissa. I think the Minister is aware about it. A number of State Governments have been allotted coal blocks who have very little to do with coal. They are not going to set up any captive power plant in their States in the near future by five or ten years' time. They do not have any plan. But coal blocks have been allotted in their names. Whereas NTPC and other public sector undertakings are insisting that we should go in for establishment of mega plants in Orissa. In Orissa, a number of industries are coming and they need power. We are unable to get power from the Eastern Grid or from the Central Grid. Their one of the major interest is that we can get coal. Coal is available in Orissa in plenty; it is available in Jharkhand; it is available in West Bengal; it is nearby; and we can utilise that coal for our power generation. But today very little coal is available in Orissa. That is the problem where major industrial units which have gone in for MoU with Orissa Government are facing difficulty. I think the Chief Minister has apprised the Coal Minister about this.


Repeated objections have been raised by Orissa State Government and many other mineral-based States. A general perception is that the Union Government seems to have a covert intention of usurping the rights of the State Government in matters of allocation of coal blocks.

You had a Screening Committee through an administrative order, to consider applications made by various companies. It was an inter-Ministerial and inter-Governmental body. Respective State Government's representative also were there. But with this huge allocation of coal blocks, the availability of allocation is declining while the number of applicants per block is increasing as

demand for coal also is increasing. That is why you have adopted this new bidding idea.

Allocation of coal blocks needed to have been transparent and objective. It was not done earlier. Are you going to review those decisions? It is a difficult job but it needs review. Of course, better late than never. Now you are going in for bidding. Selection process by auction through competitive bidding for allocation of coal blocks to private companies is sought to be introduced through this amendment.

This Bill was moved in the other House by his predecessor Shri Sis Ram Ola in the year 2008; and I would like to quote from the Statement of Objects and Reasons of that Bill, which says:

“While the Coal Mines Nationalisation Act, 1973, besides providing for nationalization and associated provisions, specifies who can and who  not undertake coal mining in India, the entities permitted to carry on coal mining under the said Act follow the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the rules made thereunder, for acquiring mineral rights, mining lease and other matters related to mineral administration.”

I have certain suggestions to make. Does the hon. Minister propose to have a technical regulator? I do not want the present Minister to soil his hands because he is heading the Ministry of Coal and he is a good friend of mine. But why not have a technical regulator. Why does he not have one? I was told that this idea was mooted while the Amendment Bill was being prepared, but for some reasons or the other, that was killed. Would he throw some light on it? It would have worked like a Tribunal outside the Ministry and composed of independent people.

Today, the Indian Bureau of Mines is the current technical regulator for the sector and we all know what type of loot took place in respect of iron ore and bauxite, and very little action has taken place.

My suggestion would be to form a technical tribunal where even the Ministry's order would be subject for review and that will also act as a *quasi judicial* body. If it is not done today, one will be bound to do it tomorrow because that is the way how the world is running now.

Irregularities and delays in clearances were on the rise in the country's mining sector that has seen rapid growth in the past few years. I would like to know whether the Ministry of Coal is going to engage a reputed consultant for the bidding process. I do not think they would again ally themselves with their ally relating to telecom sector. But is he going to have a reputed consultant? Is he going to conduct a feasibility study report? Would mine valuation and financial modelling be done before each block is auctioned because unless it is known to everyone, how can you enhance the rate? Who would document the selection process of coal blocks? Is it the Ministry or someone else?

Sir, I would like to get an assurance from the Government regarding preventing allotment of coal blocks from reserve or protected forests. There is a need to categorise block based on reasonable quantity and quality; and the exact requirement of coal should be determined prior to allotment.

Lastly, I would urge upon the Government that the resettlement and rehabilitation plans, which is a major concern in most of the mineral based States; and community welfare plan should be clearly determined. Unless this is done, there would be serious trouble and discontentment in the coal bearing areas.

With these few words, I conclude.

14.00 hrs.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I am thankful to you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. In fact, I had asked to give me the opportunity to speak during the discussion on illegal mining under Rule 193. But I have been given the chance to speak on this Bill.

Whatever it is, once a chance is given, I am thankful for that.

This is basically for bringing transparency in the allotment process of coal.

14.01 hrs

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

I have to say very briefly certain points. Basically, I have got one question in my mind, that is, about the question of auctioning. Both the steel producer and the power generator are participating in the auction process. This question has been raised even in the Standing Committee also. As far as I am concerned since I have gone through the report of the Standing Committee, that also is not satisfactorily replied. One is regulated one and the other one is not regulated. In this context, I would only request the hon. Minister, through you, Sir, to give a proper clarification on this because power is the most required one. If at all we have to do the coal mining, it is basically for the power generation. The country needs more power. Power is the damn necessity of the day. That is why, priority has to be given to the power sector. I am not either favouring this side or that side. Basically, power is the need of the hour. That is my concern and my request, through you, to the hon. Minister also.

The second point which I would like to bring to the notice of the Government is that before bringing this amendment, this limited piece of legislation, whether they have considered the problem of environment because as far as we know, though we are in need of electricity and that is the need of the hour, at the same time, the protection of the earth is also our foremost priority and the utmost responsibility. To use the electricity generated, we should be alive in this world, we should be alive in this earth.

Why I am raising this point is that in the first 45 years of Independence, as reported in the *Front Line* in July, “We have diverted 1.64 lakh hectares of the forest land for mining”—and it is an admitted fact also—“and mining of the mineral has generated 1.4 billion tonnes of waste in just one year, in 2006 and iron ore mining in India has used in just one year, 77 billion tonnes of water, which is sufficient for the drinking water needs of 30 million population of India.”

This is the situation. Before going into mining of the coal or iron ore, is it not the duty of the Government and all of us to take the environment aspect into consideration? It is because as far I know, the Environment Ministry has given many suggestions and also lot of correspondence is going on. Lot of deliberation is going on in the Government and I have also understood that there is a difference of opinion among the Environment Ministry, Ministry of Coal, Ministry of Mines and other Ministries.

My only request to the Minister is, while doing all these things, while bringing such type of legislation, we have to give environment the utmost priority because we have already started discussing that whatever flood that is taking place today and the change in the timing of the rain, and for all these things, the global warming is the reason. By this, agricultural production is also affected. Not only that, we are undertaking a commitment to reduce the emission by 20 to 25 per cent by 2020. That is the commitment of the hon. Prime Minister to the world. Therefore, what I would like to suggest is, strike a balance between economic development, that is, whatever GDP or whatever we call, and the environment.

To do this, my earnest request is to bring a comprehensive law to control the mining by which we should be able to control basically illegal mining.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister that we are aware that in our country more than legal mining, illegal mining is taking place. According to one source, there are about 2496 illegal mining as far as major minerals are concerned, and 28,055 illegal mining as far as minor minerals are concerned, which is more than double the legal mining. Is it not necessary to

control this? Is it not the need of the hour to control the illegal mining which is creating more hazards as far as environment is concerned?

I have another suggestion. Because of the need for electricity, we have no other option but to go for coal mining. Though basically this Bill has been brought for the coal auctioning process, I have one request and demand from the Government, that is, as far as iron ore is concerned, we have to ban it entirely. We have no other option as far as coal mining is concerned. But, as far as iron ore is concerned, as I have already said, illegal mining is taking place to the maximum extent. Likewise, illegal mining is taking place in coal also.

Countries like Brazil, China, Japan which are having more minerals than we do are not mining. They are still importing. China is having double the deposits, is richer than us as far as natural minerals are concerned. Still, they are not mining them. They are importing them from India by giving some petty amounts to our exporters. Our rich minerals are going to be exhausted and we will be answerable to the future generation as they will curse us. For that reason, I demand from the Government to bring a comprehensive legislation immediately to ban all these things.

Another measure to restrain illegal mining is to establish stringent vigilance at ports. I would urge upon the Government to instruct all the officers concerned at ports to ensure that not a single gram of iron ore is exported through all these ports. This is not in the hands of any State Government. Let us understand that according to one source, India is one of the highest mining countries. India comes within the first ten ranks in the world as far as mining is concerned, which is alarming.

I have two or three questions as far as this piece of legislation is concerned. I have made some points in general as far as iron ore and other things are concerned. But as far as this particular piece of legislation is concerned, I would like to know whether reallocation of such coal blocks that are not developed within the specific timeframe will be allowed, because many people have taken permission before this Bill comes into force; more than 60 per cent of them are not

even operating and have not started developing. I would like to know whether such blocks will be disposed of through policy initiatives to provide opportunities to new bidders. Secondly, this amendment does not contain a clear provision for fixing the criterion for evaluation of the blocks. It is not properly mentioned as to what measures does Government contemplate to arrive at the value of each block. I would also like to know whether the land map is clearly defined to avoid allotment of coal bearing land for establishing any other industry. Whether the proposed amendment makes sufficient provision for the process of resettlement and rehabilitation of the project affected people.

In the last 63 years, more than 2.4 crore people have been displaced as far as mining is concerned, whether it is coal, iron ore or bauxite.

More than 2.5 crore people have been displaced and not even 25 per cent of them have been rehabilitated. This Bill or any other has not taken this into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech.

SHRI PRALHAD JOSHI : Therefore, I request and demand from the Minister to reply on these issues, and also to bring a comprehensive Bill so that we can reserve our rich mineral resources for the next generation.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Sir. I rise to support the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, which has already been commenced by our hon. Minister.

As I have perceived, the ambit of this legislative document is very much limited. Basically, it relates to the bidding mechanism that is going to be brought into force through this legislation.

The hon. Minister while piloting this Bill, has assured, subject to correction, that the views of the State Governments would have been taken into cognizance before the final settlement of any bidding. The subject of mines and minerals belongs to the Concurrent List of our Constitution, and all the State Governments in our country are playing the major role in regulating and maintaining the mineral resources of our country.

First of all, the individual States should be more careful and more concerned with regard to the scarce resources of our country. We all know that coal is a finite source. As per estimates, India holds 267.11 billion tonnes of geological reserves of coal resources. Now, the annual production is to the tune of 500 million tonnes. In India, 106 billion tonnes of coal are recognized as proved; 124 billion tonnes are indicated; and 37 billion tonnes are inferred. Out of this, the share of coking coal is 33.4 billion tonnes and the share of non-coking coal is 233.8 billion tonnes. We have observed that 81 per cent of production in India comes from open-cast mining and only as meagre as 19 per cent comes from underground mining process. Coal is available in 14 States of our country and the ash-content of the Indian coal is as high as 4,500 gcb and low Sulphur.

It is observed that extractable reserves of coal is limited to 55 billion tonnes, which may last for 50 years, and for lignite it is 38.93 billion tonnes. Hence, I referred to it earlier as a finite source for our requirement. Therefore, we need to have a healthy and robust mechanism to regulate our scarce resources. Otherwise, we will have to starve for it in the future.

First of all, a number of issues have already been discussed. So, I do not want to repeat those issues. But I would like to draw the attention of the concerned Minister that in so far as the Environment Ministry is concerned, it has already drawn up Green and Red zones in nine major coal blocks of the country stating that it would not entertain proposals for diversion of forest lands in the area marked with dense and moderate forest. Even the Environment Ministry has earmarked 35 per cent area as 'no go area' and remaining 65 per cent forest clearance could be given subject to the assessment on the ground. Usually, it takes 250 days for environment clearance and 150 days to get forest clearance.

Nowadays, in respect of illegal mining, a hue and cry has been raised throughout the country. I think, it is pertinent that more vigorous voices should be raised against illegal mining. In the bidding process, my first suggestion to the concerned Minister is that he should induct the Environment Ministry in the bidding process so as to expedite the process. We know that coal is the fastest growing fuel in our country and it is expected to grow more and more in the near future. And in the Asian countries, we observe that the demand for coal has been rising exponentially specially in India and China. Therefore, we need to save our scarce resources by adopting all mechanisms.

Coal mining is a capital intensive arena which needs to be considered. Therefore, we need huge investment in this area. But, I presume that only bidding process cannot solve the problem because the legislative document intends to bring about transparency in the bidding process. A few days ago, we came to know about the scandal in regard to the IPL bidding process. So, we need to be more careful before taking any action, yet bidding process must be transparent.

I have a few suggestions to make. The Standing Committee has already analysed the Bill and provided a number of very healthy suggestions to the concerned Ministry. Out of this, I must refer to the process of resettlement and rehabilitation of people affected from the project and that should be clearly

defined in the Document of Auction including financial packages, employment opportunities and implementation schedule thereof.

Secondly, Special Local Coal Area Development Authority should be set up to regulate the development and welfare of the community. Sir, I come from the State of West Bengal where a number of mines are being excavated for over decades. It is known that underground coal burning has been continuing in spite of all the efforts to douse the flame. I would like to know from the hon. Minister whether the flame could be stopped by adopting modern mechanism and by adopting modern technology. In West Bengal, in the coal mining area, looting has been an order of the day. If you go to a coal mine area, you will find that in the full glare of the Administration and in the full glare of police, looting has been going on for years with impunity. That must be stopped. Before we point out our finger at the Union Government, the states should take initiative at their end to take necessary and immediate steps so as to stop the looting of scarce resources of our country. I support the Bill overwhelmingly.

With these words I conclude my speech.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाया गया है, वह कोयले से संबंधित है। मैं मानता हूँ कि इस देश के मिनरल्स, खासकर कोल के बारे में भारत सरकार की तरफ से खंड-खंड में विधेयक नहीं आना चाहिए। यह समस्या आज गंभीर बनी हुई है। आप इस विधेयक में जिस रास्ते से चले हैं, मैं मानता हूँ कि इस देश के लोगों के हाथ नए क्षेत्र नहीं पड़ेंगे। मेरे साथियों ने पर्यावरण से लेकर अन्य चीजों के बारे में कहा है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सारे नियम, कानून होते हुए हमने उन्हें तोड़ने का काम भी यहीं किया है। मैं विशेष तौर पर इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि इस देश की दौलत, खासकर मिनरल्स, कोयला अभी तक उन्हीं इलाकों में है जहां आदिवासी रहते हैं। यह हालत अपने देश में नहीं है बल्कि दुनिया भर में है। इस देश की जीडीपी का 2.3 प्रतिशत मिनरल्स की कमाई के जरिए ऐड हो रहा है। लेकिन परिस्थिति बहुत विकट है। मैं इस मामले को एक बात के साथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो नक्सलिज़्म है, वह पहले कभी इतने व्यापक रूप में नहीं था। वह मिनरल्स की लूट से पैदा हुआ है और वह ट्राइबल इलाके में ज्यादा है, उन इलाकों में ज्यादा है जहां जंगल हैं। इससे इस देश के वातावरण का संतुलन बना रहता है। जिस तरह का विधेयक लाया गया है, मैं मानता हूँ कि उसमें इस देश के लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जो ऑक्शन करेंगे, वह कुवत बाहर के लोगों की है। आप सबसे बड़ी बात एक और कर रहे हैं कि राज्य सरकार को पूरी तरह बाहर कर रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहां फ़ैडरल सिस्टम है। वहां लोग बसे हुए हैं, खेती है, जंगल बने हुए हैं, अगर वहां कानून-व्यवस्था का मामला उठेगा तो उसकी जिम्मेदारी अकेले राज्य सरकार को उठानी पड़ेगी। इसलिए इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी है कि राज्य सरकार को आपने पीछे करके इसे लाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में कश्मीर से लेकर बहुत सी समस्याएं हमारे गले पर हैं, देश को बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस देश में जो नक्सलिज़्म है, नक्सलवाड़ियों का आंदोलन है, 20 हजार हैक्टेयर, 10 हजार हैक्टेयर, जो ट्राइबल लोग हैं, वे बेजुबान हैं। जितने भी नक्सल गवर्नमेंट चल रहे हैं, उनमें ज्यादातर ट्राइबल्स की लीडरशिप नहीं है, सब नॉन ट्राइबल्स हैं। उन इलाकों में जो सत्याग्रह है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, वह सब इररिस्पैक्टिव ऑफ गवर्नमेंट है। कौन गवर्नमेंट है, किस पार्टी की है, वह आप छोड़ दीजिए। उन इलाकों में प्रतिरोध का हमारा जो रास्ता रहा है, उसे बंद कर दिया गया है। वहां सिर्फ पुलिस का रास्ता खुला हुआ है। कारपोरेट्स, मल्टी नैशनल्स आते हैं और अपने तरीके से डील करते हैं, अपने तरीके से वहां चीजों को बनाते और बिगाड़ते हैं। आज नतीजा यह है कि देश के बड़े हिस्से के लोगों ने हथियार उठा लिये हैं। हथियार उठाने वाले आदिवासी हैं। उनके जंगल हैं, उनकी रोजी-रोटी है और जहां आपने बड़ी इंडस्ट्री

लगायी है, चाहे भिलाई हो, राउरकेला हो, वहां जो विस्थापित लोग हैं, उनका क्या हाल है? सबने देख लिया क्योंकि सबकी नाते-रिश्तेदारी है। सबने देख लिया है कि विस्थापन के बाद क्या दुर्गति होती है?

उपाध्यक्ष जी, आपका सूबा तो इस बात से सबसे ज्यादा पीड़ित है। वहां भी बड़े कारखानों के चलते लोग हटे हैं, उनका विस्थापन हुआ है। वहां हालत ऐसी है कि चाहे आयरन ओर हो या दूसरे तरह के मिनरल्स हों, हम उन्हें देने का काम कर रहे हैं, उनकी खुदाई करने का काम कर रहे हैं, हालांकि यह विधेयक उनसे वास्ता नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि वहां 10 हजार हैक्टेयर, 20 हजार हैक्टेयर और बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनीज़ आदि सब तरह के लोग वहां चले आये हैं और वहां बैचेनी है। जब एक हजार हैक्टेयर के इलाके में खनन होता है, तो कम से कम एक हजार हैक्टेयर में असर करता है, क्योंकि नाते-रिश्तेदारी, भाई-बहन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे देखते हैं कि न सरकार सुन रही है, न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है यानी उनको लगता है कि हमारा भविष्य ठीक नहीं है। उनकी अनिश्चितता इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग हथियार उठा लेते हैं। पूरे देश में जो नक्सलियज्म हैं, चिदम्बरम जी, होम मिनिस्टर साहब वहां सदन में नहीं हैं, यदि वे उपस्थित होते, तो मैं कहता। मैं कहना चाहता हूं कि जो नक्सलियज्म है, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे ज्यादा आग जो लगी हुई है, जो सबसे ज्यादा फैल रहा है, उसका कारण है कि यह मिनरल्स की लूट का मामला बना हुआ है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? दुनिया के जितने देश हैं - चीन, अमेरिका, जापान आदि एक रस्ती भी अपने वहां की सम्पत्ति को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। चीन में सबसे ज्यादा यहां का आयरन ओर जा रहा है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। वहां एक श्योहरा है। श्योहरा के पास पांच-सात पहाड़ियां हैं। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह सदन में नहीं है। उसके पास अरबों रुपया हो गया है। वह पैसे से चारों तरफ पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। उसने पूरे के पूरे पहाड़ खोद दिये हैं। केवल मिनरल्स की बात नहीं है, आप राजस्थान की तरफ चले जाइये या किसी और इलाके में चले जाइये। जो जंगल और पहाड़ सदियों से हिन्दुस्तान के पर्यावरण के लिए संतुलन का काम करते थे, पहाड़ के पहाड़ जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, उसी तरह उनको चीरकर खड़े कर दिये गये हैं।

क्या है यह दिल्ली से लेकर जयपुर तक, सारे पहाड़ खोद डाले हैं। इसी का नतीजा है कि जहां पानी रहता था, वहां आज सूखा है और जहां पानी का नाम नहीं था, रेगिस्तान था, वहां आज बाढ़ आ रही है। मुझे लगता है कि यह धरती, यह दुनिया 50 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद भी हम होश संभालने को तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देते? कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ है, इसमें आपने रास्ता खोल लिया है। निजीकरण का ऐसा रास्ता खोला है जिससे देश का पर्यावरण बिगड़ेगा, देश के बाहर के लोग आकर इसको खोदने का काम करेंगे, उसको उठाने का काम करेंगे। व्यापक तरीके

से क्यों नहीं यहां सारे मिनरल्स का एक विधेयक आप लाते हैं? सभी मिनरल्स के लिए एक विधेयक लाइए, तीन दिन यहां उस पर बहस कीजिए। आज आप जीडीपी का पूरी दुनिया में बड़ा भारी तमगा लगाकर घूम रहे हैं, क्या वह जीडीपी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस देश की दौलत को चारों तरफ से खोदकर दुनिया भर में बेच दिया जाए? क्या यह इसीलिए है? हम जो बोल रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। पहले असर होता था, पहले जो बात बोलते थे, उसका कोई न कोई असर होता था। आज हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, हम जरा सा सोचने को तैयार नहीं हैं। दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी है। पहाड़, ग्लेशियर, मौसम सभी बदल रहे हैं। मैंने बचपन में जो मौसम देखा, मेरे गांव में बीस-बीस दिनों तक लगातार बरसात होती थी। आज हमने नगर भी ऐसे बनाए हैं कि दिल्ली में लोग हाय-हाय कर रहे हैं। आज यह मीडिया और टीवी आ गया है, 24 घंटे इनको एक ही काम है कि दिल्ली की रोड बंद हो गयी है। अरे, रोड बंद क्यों नहीं होगी? नाश कर दिया है तुमने। यहां दुनिया भर के जितने भी लोगों के पास पैसा आ रहा है, मकान बना रहे हैं। पूरे देश की सबसे उपजाऊ जमीन दिल्ली से लेकर जयपुर तक, दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और अलीगढ़ तक, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक सड़क के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की जमीन यहां दिल्ली के, जयपुर के दो नम्बर से पैसा कमाने वाले लोगों ने खरीद ली है, फार्म हाउस बना रहे हैं। फार्म हाउस का क्या मतलब है? इन बेइमानों को जमीन देने की क्या जरूरत है, वहां कालोनी बना देते। यह जमीन यदि आपकी चली गयी, ये मिनरल्स चले गए, तो आने वाला भविष्य, यह देश, हमारे आने वाले लोग हमको कोसेंगे, पूरा इतिहास हमको कोसेगा। पूरे दोआब की जमीन, अभी अलीगढ़ और मथुरा में क्या हो रहा है। क्या जरूरत है यह हाइवे बनाने की? दिल्ली से लेकर मथुरा और आगरा तक, आप ताजमहल किसको दिखा रहे हैं। ताजमहल को लोग पहले भी देख रहे थे, अभी भी देखेंगे, इतनी कीमती जमीन पर सड़क बनाने का क्या मतलब है? हम बगैर हाइवे के भी दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो गांधी ने इस देश को ऑस्टेरिटी से चलाया था। उनका पूरा आंदोलन ऑस्टेरिटी का आंदोलन था। आज क्या हो रहा है? आप कॉमनवेल्थ गेम्स कराते हैं, तो क्या-क्या कर रहे हैं उसमें? किस चीज को दिखाना चाहते हैं दुनिया को? जो हमारी सच्चाई है उसे क्यों नहीं देखने देते हैं दुनिया को? क्या फर्क पड़ रहा है? 70-80 फीसदी आदमी हमारे गरीब हैं, यह हमारी चुनौती है। इस चुनौती से हम निकलेंगे। ये जो मिनरल्स हैं, कोयला है, आज उसकी लूट मची है। जितने माफिया हैं हमारी तरफ, आपके यहां बनारस से लेकर वहां तक, इस कोयले के चलते ही सारी लूट चली है। जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, वे इस कोयले के पैसे से चल रहे हैं। मैं जब आया था, तो सोचता था कि आप इनकी नसबंदी करेंगे, इनको बधिया करेंगे, लेकिन मुझे एक भी जगह यह देखने को नहीं मिला कि इन बदमाशों को जेल में डालने का कोई काम किया गया हो। अब आप एक नया विधेयक ले आए हैं। यह विधेयक पास होने के बाद यह कोयला आस्ट्रेलिया की कंपनी

ले जाएगी, कोई बाहर की कंपनी ले जाएगी, यहां के लोगों के हाथ नहीं पड़ेगा। उन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसी मुल्क हैं, जिन्होंने दुनिया की तबाही की, दुनिया की लूट की, इस दुनिया को लूटकर उनकी संपन्नता है, उनकी अपनी संपन्नता नहीं है। दुनिया भर के गरीब लोगों को गुलाम बनाकर, उनको लूटकर उनकी संपन्नता आई है। आप उनकी संपन्नता से क्यों इतने प्रभावित हैं? क्यों आप बिल्कुल पसरकर उनके सामने खड़े हैं? क्यों उनसे इतना प्रभावित हैं? हमारे यहां की जो संस्कृति है, जो तहजीब है, हमारी अंगुलियों से ताजमहल निकला है, हमारी अंगुलियों से कोणार्क और खजुराहो निकला है। जिन अंगुलियों ने कड़े पत्थरों पर इतनी खूबसूरत मूर्तियां उकेरी हैं, वह हमारी सभ्यता है। गांधी जी ने खुद ऑस्ट्रेरिटी में 40 साल तक पत्थर चलाने का काम किया है। वह खुद साल भर दो या तीन ही धोतियां पहनते थे। लेकिन इस सदन में हमने अपनी तनख्वाह के लिए कैसा काम किया। आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना सके। आप ऐसा काम नहीं कर सके कि सांसदों के वेतन के लिए अलग से संस्था बनाई जाए या कोई कमीशन बने। इसलिए मजबूर होकर हमारे सांसदों को यहां बोलना पड़ता है। मैं तीन दिन यहां नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ हुई यह जानकर कि इस सदन में सांसदों को इस मामले को लेकर सदन के वेल में मजबूर होकर आना पड़ा। मैं 36 साल से यहां हूँ, लेकिन कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। हम लोग कहां पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो कॉमनवैल्थ गेम्स हो रहे हैं, आप कीचड़ में कमल उगाकर दिखाना चाहते हैं। आप क्यों इस तरह की चीजों को दिखाने के शिकार हो रहे हैं? गांधी जी जब सेकंड गोलमेज कांफ्रेंस में शरीक होने गए थे, तो अपने साथ अपना खाना-पीना लेकर गए थे, अपना लिबास पहनकर गए थे। वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे और साथ में गंगाजल लेकर गए थे। गांधी जी ऐसे आदमी थे कि जब चाय आई तो वह सरकार दी और गंगाजल ले जाने वालों ने चाय पी ली। इस एक एक्शन से उन्होंने वहां अपने देश को खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस देश की पूरी नब्ज पहचानी थी। मैं बताता हूँ कि मेरी माँ साल भर में चार ड्रेस पहनती थी। मेरा घर कोई कमजोर घर नहीं है। मेरा बड़ा भाई अफसर था, वह कपड़े लेकर आता था, लेकिन मेरी माँ उन्हें नहीं पहनती थी। मेरे पिता जी चार या छः कपड़े पहनते थे। वही हमारी ताकत थी। हम जोड़ना जानते थे इसलिए जोड़ते थे। आप कहते हैं कि दुनिया के बाजार में इतनी मंदी आई, लेकिन हम टिके रहे। हम इसलिए टिके रहे कि हमारी जो परम्परागत संचय की प्रवृत्ति है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उसके चलते हम टिके रहे।

यदि यूपीए सरकार में एनडीए के लोग नहीं होते, वामपंथी साथी नहीं होते तो आज एलआईसी और बैंकिंग सिस्टम भी प्राइवेट वालों के लिए और बाहर वालों के लिए पूरी तरह खोल देते, जिससे यह सिस्टम भी तबाह हो जाता। आप उन्हीं बैंकों को ये बेचने वाले थे, जो आज डूब गए हैं। आप उनसे क्यों प्रभावित हैं, क्यों उनके सामने नतमस्तक हैं, क्यों आप उनकी सभ्यता अपनाना चाहते हैं? हमारे देश की

सभ्यता सबसे प्राचीन और बड़ी है, लेकिन उनकी सभ्यता हमारी संस्कृति और सभ्यता का नाश करने वाली है। उनकी सभ्यता दुनिया के सारे इन्वायरन्मेंट को खराब करने वाली है, जबकि हमारी सभ्यता इन्वायरन्मेंट को बचाने वाली सभ्यता है।

हम अपने साधनों को, अपने गांवों, हर चीज को अपने अंदर पैदा करते थे। आप इस विधेयक को यहां लेकर आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ कोयले के लिए ही क्यों लाए हैं, क्यों नहीं पूरी खनिज नीति पर विधेयक लाते? आप सारे मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण करें। भले ही जीडीपी बढ़े या न बढ़े, सीधी बात है कि इस देश की दौलत का मितव्ययिता से, ऑस्टैरिटी से इस्तेमाल करेंगे। आने वाली पीढ़ी को भी हम ऐसा देश कर जाएं, जो हमारे ऊपर गर्व करे। इसीलिए मैं गांधी जी पर गर्व करता हूं। उनके साथ जो लोग आजादी के लिए लड़े, उन पर गर्व करता हूं। यहीं संसद में सेंट्रल हाल है, जहां हमारे देश का संविधान बना था। उस समय एक दिन का भत्ता 45 रुपए मिलता था, जो कि आज 2,000 रुपए मिलता है। हम लोग कोई नौकर नहीं हैं, सरकारी नौकर नहीं हैं। हम देश की जनता के सेवक हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर के लोगों ने मुझे जब मैं पढ़ता था, तो पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं राजनीति में था और वे चाहते थे कि मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मेरी आवश्यकताओं को लोग पूरा करते थे। मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो मुझे 25,000 की बचत हुई। लोग मेरी सेवा करते थे। आज भी जो हमारा खर्च चलता है, वह तनख्वाह से नहीं चलता है, लोगों की मोहब्बत से, प्रेम से चलता है। लेकिन आप यह जो सारा काम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। आप कोयले को भी लुटाने के लिए विधेयक ले आए हैं।

बिहार को आपने बांट दिया। यहां पर आडवाणी जी बैठे हैं। बांटते समय इन लोगों ने कहा कि हम बिहार की पूरी मदद करेंगे। मंत्री जी कोल लिंकेज के बारे में बिहार में बात करते हैं। कोल लिंकेज और कोल ब्लॉक में जमीन-आसमान का फर्क है। कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरण का क्लियरेंस चाहिए। उसमें जो विस्थापित होते हैं, उनके रिहैब्लिटेशन के लिए व्यवस्था करनी होती है। कोल लिंकेज का मतलब होता है कि सीधा कारखाना बन जाएगा। बिहार में उसकी कमर टूट गई। कई सूबे बंटे, लेकिन उनका ऐसा हाल नहीं हुआ, जैसा बिहार का हुआ, क्योंकि इससे उसकी कमर टूट गई।

सब सूबे बंटे, लेकिन उनका ऐसा हाल नहीं हुआ, बिहार की कमर टूट गयी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप लिंकेज दीजिए। बिहार भी देश का हिस्सा है, इसलिए बैठकर- मिलकर लिंकेज दीजिए। वहां एक और दूसरी जगह 100 मैगावाट बिजली बन रही है, तो सारा का सारा कोयला आपके सूबे में चला गया। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि देश का भविष्य बचाने के लिए, इन मिनरल्स को बचाने के लिए, देश का एनवायरन्मेंट बचाने के लिए, इन मिनरल्स का आप राष्ट्रीयकरण कीजिए। आप सब



चीजों में राष्ट्रीयकरण कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन जहां आदिवासी सदियों से अपनी विरासत पर, इन मिनरल्स पर बैठे हैं, पहले कभी भी वहां छेड़खानी नहीं की गयी, लेकिन आज छेड़खानी ऐसी बढ़ रही है कि नक्सलवाद आपके बस की बात नहीं रह गया है। अगर नक्सलवाद मिटाना है तो आपको मिनरल्स पॉलिसी लानी पड़ेगी और मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) मैं केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं करिये...(व्यवधान) इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर को लाइये, पास्को को लाइये। अगर इस क्षेत्र में लाएंगे तो देश बचने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों से साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त बात के लिए यह विधेयक आया है। यह विधेयक इसलिए आया है कि सरकारी कंपनी है, निगम है, लौहा बनाने का काम होता है, स्टील बनाने के काम होता है और उस सब में जो कोयला लगेगा और पहले था कि प्राइवेट लोगों के लिए बोली लगायी जाएगी और सरकार कंपनी के लिए बोली नहीं लगायी जाएगी। लेकिन बिजली पैदा करने के लिए, प्राइवेट कंपनी देसी हो या विदेशी, सब के लिए हो गया है कि बोली नहीं लगायी जाएगी और उन्हें ब्लॉक एलॉट कर दिया जाएगा। कोई कंटीशन नहीं होगा, कोई बोली नहीं लगायी जाएगी। महोदय, यह कितना खतरनाक विधेयक है क्योंकि सरकार दावा करेगी कि बिजली पैदा करने के लिए हम बहुत जोर लगा रहे हैं और देश में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। कोयला जो हमारी जमा निधि है, वह समाप्त होने वाली चीज है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वह बचे या नहीं बचे, उसे धड़ाधड़ जला दिया जाए और बिजली ली जाए।

हम मानते हैं कि बिजली की जरूरत है, बिजली के बिना देश नहीं चलेगा और कोई विकास नहीं होगा। जिंदगी की जरूरत जितनी है सांस से, उतना ही देश के विकास के लिए बिजली की जरूरत है। सरकार को जानकारी है कि देश में पन-बिजली की क्षमता डेढ़ लाख मैगावाट है लेकिन अभी तक केवल 46,000 मैगावाट के लिए ही उपाय हुए हैं। एक लाख चार हजार मैगावाट के लिए आप पन-बिजली पैदा क्यों नहीं करते हैं, क्यों देश की सम्पत्ति कोयला, खान, खनिज लेकर जला रहे हैं। सरकार इसका जवाब दे। देश में प्रकृति ने हमें खुदा की तरफ से डेढ़ लाख मैगावाट की क्षमता हिमालय-रीजन में दी है। उत्तरांचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में डेढ़ लाख मैगावाट की क्षमता है, जबकि अभी तक केवल 46,000 मैगावाट की ही व्यवस्था हुई है। इसलिए एक लाख चार हजार मैगावाट की आप व्यवस्था कीजिए। इसलिए मूल रूप से हम इस विधेयक से सहमत नहीं हैं।

अभी ये कहते हैं कि हम उन्हें ब्लॉक देंगे, कोई बोली नहीं लगायी जाएगी और प्राइवेट के लिए और देसी-विदेशी कंपनियों के लिए भी बोली नहीं लगायी जाएगी। देश का कोयला जल रहा है और विदेश से भी कोयला मंगाया जा रहा है, तब थर्मल पावर प्लांट चलता है। अवैध खनन की देश में बहुत गंभीर स्थिति है। देश की सम्पत्ति को निकाल कर देश-विदेश में माफिया भेज रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अवैध खनन का सवाल उठाता हूँ कि 2496 मेजर अवैध खनन और 28 हजार छोटे अवैध खनन हिंदुस्तान में हो रहे हैं या नहीं? आपका खान खनिज कानून कहां है? अवैध खनन करके एक्पोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि खान खनिज डवलपमेंट रेग्यूलेशन के लिए विधेयक आए हैं। क्यों जनता की आंख में धूल



झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को कठिनाई में डालने के लिए जमा धन को बर्बाद कर रहे हैं।

बोकारो, भिलाई का भी एक प्रश्न है। बोकारो जिला में इलेक्ट्रो स्टील कोस्टिक लिमिटेड को खान का ब्लाक मिल गया। उसका अभी 30 परसेंट ही कारखाना बना है और वहां से कोयला निकाल कर विदेश भेजा जा रहा है। सरकार को इसकी जानकारी है, इसलिए मैं इसका सवाल उठाता हूं। क्या यह बात सही है कि कोयला के ब्लाक का आपने आवंटन कर दिया, वह हलदिया जा रहा है और विदेश कोयला भेजा जा रहा है और आप विदेश से कोयल थर्मल पावर प्लांट के लिए ला रहे हैं। कोल माफिया का साम्राज्य है। वहां विधि व्यवस्था चौपट है। कोल माफिया के चलते खान खनिज की भरपूर लूट हो रही है। इसे कोई स्पेसिफिक देखेगा? दुमका में पेनमकोल कम्पनी है। यहां थर्मल पावर प्लांट में कोयला भेजने का काम होता है। पेनमकोल कम्पनी संथाल जिला दुमका में है, वहां से कोयला कहां जाता है, रास्ते में ही कोयला बेच देते हैं। यह स्पेसिफिक प्रश्न है कि कितने दिनों का देश में कोयला बचा हुआ है और हम कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोयला समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? देश से कोयला ही गायब हो जाएगा। बाहर से कोयला मंगाया जा रहा है। ये कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से कोल लिंकेज होता है। श्री शरद जी ने सवाल उठाया कि बिहार का जो थर्मल पावर प्लांट है, उसका लिंकेज ही नहीं हो रहा है।

अब वहां बिजली का कितना संकट है। वहां नया थर्मल पावर प्लांट जो है, उसका कोल लिंकेज जो है, वहां राज्य सरकार कहती है कि लम्बित है, भारत सरकार कुछ और कहती है। असल में क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। जो सरकारी अंडरटेकिंग हो, उसको हम बिना बोली लगाये हुए दे देंगे और कमेटी बनाकर रखी हुई है, दे देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए वह कमेटी कहां चली गई? लिंकेज क्यों नहीं है? कहां पर खोट है, बिजली का संकट देश में सबसे ज्यादा वही है।

अंत में...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): इसको नेशनेलाइज करना चाहिए। ऐसा भी तो कहिए।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इंदिरा गांधी जी थी तो कोयले का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण के बाद यह स्थिति है। हम चाहते हैं कि सारे माइन्स और मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।...(व्यवधान)

इसलिए कई लोगों ने समर्थन कर दिया था, हम तो अल्पमत हैं, क्या करें? जो अभी मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर प्लांट है और बरौनी में भी है, उसमें कोयले के बदले पत्थर जा रहा है। इसको कौन देखेगा? कोयला यहां से जाता है और उसको क्रश करते हैं। अगर कोयले के बदले पत्थर जल जाता है तो वह सबकुछ नष्ट

कर देगा। दो रोज चार रोज वह फैक्टरी चलेगी। बिजली के बिना बिहार में हाहाकार है। इसलिए कोयला कम भेजना और लिकेज नहीं जोड़ना, कोयले के बदले पत्थर भेजना और यदि देखा जाए तो दोनों थर्मल पॉवर प्लांट में इतनी बड़ी पत्थर की ढेरी लगी हुई है। ...(व्यवधान) बिजली का वहां घोर संकट है, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि जमा सम्पत्ति को इस तरह से जलने नहीं दिया जाए। सम्पत्ति जलाकर बिजली नहीं मिल सकती। पानी तो वहां मुफ्त में बह रहा है। पानी से पहले बिजली हासिल की जाए। उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं हो तो कोयला जलाया जाए, न्यूक्लियर से बिजली हो, तेल से बिजली हो।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने खान खनिज विकास अधिनियम संशोधन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संबंध में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोयले का कितना प्रचुर भंडार है और हम कितने वर्षों में उसका दोहन करेंगे, यह हमारी सबसे पहली नीति होनी चाहिए कि कितना उसका उपयोग कितने सालों में करेंगे? उसके बाद हम प्राइवेट सैक्टर की खदानों को नीलाम करने की व्यवस्था करें। अब क्योंकि यह देखा गया है कि हम जो कोयला उत्पादन कर रहे हैं, हमारा सीआईएल कर रहा है, उसके द्वारा यह देखा गया है कि जो हमारी ओपन ग्राउंड खदानें हैं, उन खदानों को प्राइवेट सैक्टर को दिया जा रहा है और जो अंडरग्राउंड खदानें हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। सरकारी कंपनियां कर रही हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि जो ओपन ग्राउंड खदानें हैं, उन खदानों को सुरक्षित रखकर जो हमारा सीआईएल है, कोल इंडिया है, उनको हम प्रथम वरीयता दें।

दूसरी बात यह है कि आज हमने जिस तरह से इन खदानों की नीलामी करके दी है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने लम्बे समय से अपने पास आरक्षित कर लिया है लेकिन उनमें काम नहीं कर रहे हैं। उसमें जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को जिनको हमने खदानें दी हैं, उनको निरस्त करने की जरूरत है क्योंकि तमाम बड़े पूंजीपतियों ने खदान को ले लिया है। उन खदानों में अभी भी समय पर काम नहीं किया गया है। हालांकि आपने कुछ लोगों की खदानें निरस्त की हैं, यह बात सही है लेकिन अभी कुछ लोग कोई न कोई बहाना करके खदानों पर काबिज हैं। 1884 के भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ अन्याय हुआ है और यह बहुत गंभीर बात है। आप प्राइवेट सैक्टर को खदानें देते हैं। उत्तर प्रदेश में दो-चार दिन पहले क्या स्थिति हुई है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपको मालूम है। आप किसानों के बिक्री रेट के बारे में कहते हैं कि तीन-चार साल का रेट बना लें और आप उस रेट का एवरेज देते हैं। आपने भूमि अधिग्रहण कर लिया और उसको पैसा देते हैं। यह नहीं सोचते कि वह जिस जमीन पर फसल उगाता था, दो-चार साल फसल रुक जाएगी और जब वह जमीन खरीदेगा तब वह उत्पादन करेगा। उसका नुकसान होता है, वह कृषि उद्योग में लगा हुआ है, उसका काम बंद हो जाता है, आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपने उसे विस्थापित किया, वह कृषि करता था वह प्रभावित हो गया। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हम हिन्दुस्तान के किसानों की बात कहते हैं कि यहां 70 प्रतिशत किसान हैं जिनका कृषि के अलावा कोई और सहारा नहीं है। इन किसानों का काम बंद हो जाता है। आपने जमीन ले ली और कह दिया कि जमीन का मुआवजा दे दिया है। उनका धंधा कृषि बंद हो जाता है, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि आप किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण नियम में मुआवजे

के लिए बदलाव करेंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। कंपनियों ने जमीन लेने के बाद शर्तें लगाईं। मैं पहले कोल इंडिया की बात कहूंगा कि कोल इंडिया के अंतर्गत कंपनियों ने जिला प्रशासन और विस्थापितों के बीच में शर्तें तय की गईं कि हम इतनी जमीन लेंगे और इतना मुआवजा और रोजगार देंगे। इन शर्तों के बाद भी किसानों को ठगा जा रहा है। उनकी जमीन ली जा रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और रोजगार देने की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। कोल इंडिया आदेश करती है कि यह नियम बना दिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोल इंडिया कौन होती है? कंपनी ने किसानों और जिला प्रशासन के साथ जो शर्तें मंजूर की, उन शर्तों को लागू होना चाहिए। यही नहीं, सीएसआर वर्क किसानों के सामुदायिक विकास के लिए होता है, इनका रेट है कि इतने परसेंट उत्पादन के आधार पर देंगे, वह भी समय पर नहीं होता जबकि ये कहते हैं कि हमारा बजट लैप्स हो गया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस एरिया के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसे देखने की जरूरत है। आप ही टेंडर कर रहे हैं, आप ही काम स्वीकृत कर रहे हैं और काम समय पर नहीं कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उस पैसे को जिला प्रशासन को डिपोजिट करके दें और वहां से काम हो। आज परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं कि हिन्दुस्तान का किसान लूट का अखाड़ा बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने और तत्कालीन कंपनियों हमारे क्षेत्र सीधी जिले के किसानों से खदानें लेते हुए तय किया था कि आपको इंडियन माइनिंग इंस्टीट्यूट देंगे। कोयला मंत्री जी ने घोषणा की थी और वहां के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर ने लागों से शर्तें की थी और आम जनता से खदानें ले ली गईं। बाद में क्या हुआ कि दूसरे मंत्री आए और कहा कि नहीं। इस तरह से शर्तों में सुविधाएं देने की बात होती है। आज दस खदानें ओपन ग्राउंड चल रही हैं, आप कम से कम 4000 करोड़ रुपए वार्षिक ले रहे हैं। इस क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जब कॉलेज खोलने की बात आई, स्वीकृति देने के बाद अब मंत्री कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। यह बड़े दुख की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट का समय मांगा था, हमने दो मिनट का समय दे दिया।



15.00 hrs.

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): मेरा कहना यह है कि जो कोयले की रॉयल्टी का प्रश्न है, आपने प्रति टन का हिसाब लगाया था। आज मार्केट ट्रेड में जो कोयले का रेट है, उससे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज उसकी रॉयल्टी के बारे में भी सोचने की जरूरत है। रॉयल्टी का जो पूरा ढर्रा है, स्टेट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें भी उस तरीके का लाभ उस क्षेत्र और उस जिले के लोगों को मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि इस छोटे से संशोधन को लेकर हमारी सदन के माननीय सदस्यों में इतनी जागरूकता है और पूरी दिलचस्पी के साथ उन्होंने इस संशोधन को अपनी सहमति प्रदान की है, अपनी स्वीकृति प्रदान की और अमूल्य मशविरे भी दिये हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो अमूल्य मशविरे दिये हैं, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी और लम्बे समय तक हमें आपके मशविरो का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। केवल एक माननीय सदस्य, जिन्होंने राजनीतिक भाषण ज्यादा दिया, मुझे मशविरा बहुत कम दिया। जबकि वह बड़े ही गम्भीर सदस्य हैं और ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि उस क्षेत्र के वह हमें बहुत बड़े मशविरे दे सकते हैं। लेकिन उनका भाषण राजनीतिक रहा। उन्होंने कहा कि कोल ब्लाक्स जिस तरीके से बांटे गये हैं, इस सरकार ने जो कोल ब्लाक्स बांटे हैं, वे रेवड़ी की तरह बांटे हैं।

मैं पहली बात कहना चाहता हूँ कि इन कोल ब्लाक्स का आबंटन 1996 में शुरू हुआ। हमारी सरकार 2004 में आई। जो परम्परा पिछली सरकारों ने डाली थी, उसी परम्परा को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। अगर रेवड़ी की तरह कोल ब्लाक्स बांटे गये हैं तो पिछली सरकारों ने भी बांटे हैं और उसे रेवड़ी समझकर हमारी सरकार ने भी आगे बढ़ाया। ...(व्यवधान) आप बैठ जाइये। इस तरीके के आरोप लगाना बड़ा आसान है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने ऐसा क्यों किया और हमारी सरकार ने ऐसा क्यों किया? आज अगर हम अपने देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश का वाणिज्यीकरण करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो औद्योगीकरण की आवश्यकता है। यदि औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो बिजली की आवश्यकता है। यदि हम बिजली लाना चाहते हैं तो कोयले की आवश्यकता है। मजबूर होकर पिछली सरकारों और हमारी सरकार ने राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के रहते हुए भी निजी क्षेत्रों को कोल ब्लाक्स का आबंटन किया, ताकि इनके माध्यम से हमारे देश में कोयले की कमी पूरी की जा सके। यह तथ्य है, यह हकीकत है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि चाहे पिछली सरकारों ने किया हो, चाहे हमारी सरकार ने किया हो, कोल ब्लाक्स के माध्यम से जितनी कोयले की हमें उम्मीद थी, उतना कोयले का खनन नहीं हुआ। इस बात से हम सहमत हैं और शायद यही कारण है कि हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम कोयले के खनन में निजीकरण को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन हम ऐसे प्लेयर को लाना चाहते हैं, जो जेनुइन प्लेयर हो। जो वास्तव में आकर खनन करके हमारे देश की कोयले

की आपूर्ति की कमी को पूरा करे। जेनुइन प्लेयर्स कैसे आ सकते हैं? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि यह जेनुइन है या नॉन-जेनुइन है।

जेनुइन प्लेयर्स लाने के लिये जो लोग बिडिंग प्रोसैस से आयेंगे, कोयले के आवंटन के पहले ही निवेश करेंगे, उन्हीं को सरकार जेनुइन प्लेयर्स मानेगी और वही जेनुइन हैं। अगर ऐसे लोग बिडिंग प्रोसैस से कोल ब्लॉक लेंगे तो कोल उन्हें अलॉट किया जायेगा। निश्चित रूप से हमारे देश में कोयले की कमी की आपूर्ति होगी। सरकार ने इस बात का अदाजा लगाया है, इसलिये सरकार यह अमेंडमेंट लेकर आयी है। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पैसा बिडिंग प्रोसैस से आयेगा, समस्त राज्य सरकारों को जायेगा, केन्द्र सरकार की जेब में एक पैसा भी नहीं आयेगा। हम बिडिंग प्रोसैस इसलिये अपनाना चाहते हैं ताकि जो आरोप लगते हैं, उन से छुटकारा हो, उस कार्य में पारदर्शिता हो। हम चाहते हैं कि बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से हमारे देश में कोयले का उत्पादन बढ़े और अपने देश ने जो ग्रोथ कायम की है, वह ग्रोथ और आगे बढ़ा सकें, यह बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से कोल उत्पादन को बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों - श्री हंसराज अहीर, श्री किशोरचन्द्र देव, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. बली राम, श्री सैदुल हक, श्री बी. महताब, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री शरद यादव, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र ने अपनी-अपनी राय दी है। हम उनकी राय को अपने सिर-माथे लगाते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी चिन्ता को दूर करने के लिये समय-समय पर प्रयास करते रहेंगे। अगर माननीय सदस्य थोड़ा सा कोयले तथा लिग्नाइट तक सीमित रहते तो शायद समय कम लगता और ज्यादा विस्तार से सब के बारे में बता सकते थे लेकिन माननीय सदस्यों ने अपने आपको कोयले तक सीमित नहीं रखा बल्कि मिनरल पर ज्यादा चले गये। यह संशोधन विधेयक केवल कोयले और खनिज को लेकर है, मिनरल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये मैं केवल कोल के बारे में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ क्योंकि यह कोल और लिग्नाइट से संबंधित मामला है। हालांकि, यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स ही देखती है, इसलिये माइन्स और मिनरल्स के नाम से बिल आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इल्लीगल माइनिंग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं सदन में माननीय सदस्यों की जागरूकता इल्लीगल माइनिंग के मामले में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इल्लीगल माइनिंग पर जरूर अंकुश लगेगा। जिन माननीय सदस्यों ने इल्लीगल माइनिंग के बारे में कहा है, उन राज्यों में चाहे श्री शरद यादव जी की पार्टी की सरकार हो या

बीजेपी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो - ये माननीय सदस्य बहुत सतर्क हैं, चिन्तित हैं। मैं यह कहूंगा कि जहां तक इल्लीगल माइनिंग का सवाल है तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का क्षेत्र है, पुलिस राज्य सरकार की परिधि में आती है, इससे भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। राज्य सरकार ही इल्लीगल माइनिंग रोक सकती है क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का है कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिये माननीय सदस्यों की जागरूकता को देखकर अंदाजा हो रहा है कि शायद आने वाले समय में इल्लीगल माइनिंग पर अंकुश लग सकेगा।

महोदय, किसी माननीय सदस्य ने झरिया-धनबाद में आग लगने के बारे में बात कही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30-40 सालों से वहां आग लगी हुई है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 30-40 सालों से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने यह प्रयास किया होगा कि हम लोगों को रिहैबिलिटेड कर दें, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ यह कहना पड़ता है कि पहली बार केंद्र सरकार ने रिहैबिलिटेशन करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया है। उस पैकेज के माध्यम से राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि रिहैबिलिटेशन के काम को आप लोग अंजाम दें। इसके लिए पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देना चाहती हैं क्योंकि हमारे देश की एक-एक जान कीमती है और उस पर लाखों लोग बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें, चाहे वह पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, ये दोनों राज्य सरकारें रिहैबिलिटेशन के काम को जल्दी से जल्दी से पूरा करेंगी और उस पैकेज का सदुपयोग करके हजारों जानों की रक्षा करने का काम करेंगी।

महोदय, बहुत सारी बातें कोयले से अलग हटकर भी की गयीं। नीलामी प्रक्रिया की बात की गयी, यह कहा गया कि नीलामी प्रक्रिया कैसी होगी? माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब रूल्स बनाये जायेंगे तब नीलामी प्रक्रिया सामने आयेगी और इन सारी चीजों का ध्यान रखकर ही नीलामी प्रक्रिया बनायी जायेगी। उसमें किसी तरीके का नुकसान सरकार को न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं। हमारे माननीय रघुवंश बाबू कह रहे थे कि कोयला उठाकर सब विदेश ले जायेंगे। रघुवंश बाबू, एक किलो कोयला भी विदेश ले जाने की किसी को न अनुमति है और न कोई ले जा सकता है। वे आकर माइनिंग कर सकते हैं, अगर कम्पिट करेंगे, अगर उनकी कुटेशन एल वन होगी तो वे माइनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक किलो कोयला भी कोई बाहर नहीं ले जा सकता है।... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हल्दिया पोत पर...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जिस कंपनी के बारे में आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि वह माइनिंग यहां करता है और हल्दिया ले जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, हल्दिया में उसका पावर प्लान्ट है और वह पावर प्लान्ट पर ले जाकर कोयले का उपयोग करता है। वह विदेश नहीं भेज सकता है। विदेश कोई भी नहीं भेज सकता है और जो विदेश भेजेगा वह जेल की हवा खायेगा। अगर कोई एक किलो कोयला भी विदेश भेजेगा तो वह जेल की हवा खायेगा।


महोदय, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि घूम-फिरकर सारी बातें, जो कुछ भी कहा गया है, वह इन्हीं विषयों पर कहा गया है। कौशाम्बी की मिट्टी के बारे में हमारे माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी ने कहा है, मैं माननीय माइन मिनिस्टर से कहूंगा और इस बात की जांच कराऊंगा। वैसे कौशाम्बी की मिट्टी बहुत बेशकीमती है। वह दोआब की मिट्टी है। उस मिट्टी में धर्मवीर जैसे लोग पैदा हुए हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : टोकाटाकी न करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं समझता हूँ कि रिहैबिलिटेशन की जो बात की गयी है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में किसी भी तरह की असावधानी न होने पाये। असावधानियां हुई हैं, जिसकी वजह से वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। अगर उन क्षेत्रों में नक्सल प्रॉब्लम आयी है तो उसमें तमाम सरकारों की असावधानियां कहीं न कहीं जरूर शामिल हैं। बगैर असावधानियों के वहां पर नक्सल प्रॉब्लम न होती। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि रिहैबिलिटेशन के लिए किसी भी तरह की असावधानी न होने पाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पास कराया जाए क्योंकि साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप सिर्फ सवाल पूछिये।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का सपोर्ट  हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसमें जो मिनिरल्स हैं, हमारी अपनी स्टेट में खासकर मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नीलम की खान है, सैफायर है और वह मिनिरल इतना कास्टली है कि उसमें गाहे-बगाहे चोरी होती है, अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है? दूसरा मैं यह जानना चाहूँगा कि बॉक्साइट और मैंगनीज़, ये दोनों कटरा की पहाड़ियों के ऊपर हैं। साथ

में आपका लाइम सीधा-सीधा डूब रहा है, वह सबमर्ज हो जाएगा जिससे 90 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है।...(व्यवधान) प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ। क्या माननीय सदस्य को समझ में नहीं आ रहा है?

मैं जनाब से जानना चाहता हूँ कि जो तीन चार मिनिरल्स मैंने कहे हैं, इनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? आप अपना मेसेज आगे करेंगे या आप ही जवाब देंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन कोल और लिग्नाइट को लेकर है। माननीय सदस्य ने जिन मिनिरल्स की बात की है, वह मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स देखती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि इनकी भावनाओं और शिकायतों को हम माननीय खान मंत्री तक पहुँचा देंगे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तो पूछ लिया है। अन्य सदस्य भी पूछेंगे। आप बैठ जाइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहते हैं तो हम जवाब दे देते हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जवाब मंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जवाब देने दीजिए। देश की बेशकीमती प्रापर्टी है, उसके बारे में वे जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आप प्रश्न पूछिये।

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कोल इंडिया ने 138 ब्लाक स्वयं के लिए मांगे हैं। उन्हें भी आप नीलाम करने के लिए क्या नीलामी प्रक्रिया में डालने वाले हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा कि 221 ब्लाक में से एनडीए सरकार के कार्यकाल में सिर्फ दो ही ब्लाक बांटे गए हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल हो गया है। आपकी बाकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। आपने सवाल पूछ लिया है।

*(Interruptions) ...**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य ने जो कही है कि कोल इंडिया ने 132 ब्लाक मांगे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोल इंडिया एक से लेकर 1000

* Not recorded.


ब्लाक तक जितना कोल इंडिया मांगेगी, सिंगरेनी मांगेगी, जो कि सरकारी कंपनियाँ हैं, हम सबसे पहले प्रायारिटी के आधार पर उनको कोल ब्लाक आबंटित करेंगे, उसके बाद बिडिंग का अवसर देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो हमारे खनिज या कोयला खान हैं, वहाँ जो आदिवासी बसते हैं, जिनके पुश्तैनी वंशज वहाँ रहे हैं, क्या उनको भी 25 परसेंट या 26 परसेंट जैसे जनजातीय मंत्री ने कहा कि हम उनको भी फायदा देंगे, क्या कोल इलाके में रहने वाले आदिवासियों को शेयर देंगे, उनको लाभ पहुँचाएंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय शैलेन्द्र जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, हालांकि फिर से मुझे कहना पड़ेगा कि यह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, शायद कोई एमएमडीआर नया एक्ट संशोधित रूप में लाने पर सरकार विचार कर रही है और अगर वह आएगा तो निश्चित रूप से वह 20 परसेंट हो या 25 परसेंट हो, या 30 परसेंट हो।

श्री शैलेन्द्र कुमार : 26 प्रतिशत की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सरकार बिल लाएगी, तब पता चल जाएगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जितनी भी हो, चाहे वह आदिवासी हों, अनुसूचित जाति या वनवासी हों, सभी के लिए लागू होगा, लेकिन जब सरकार लाएगी। मुझे पता नहीं है कि सरकार कब ला रही है? लेकिन जैसा आपने कहा, वैसा ही इन्डीकेशन हमें भी मिला है। 

उपाध्यक्ष महोदय : अब जीरो आवर नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): महोदय, केवल चार-पांच लोग ही हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर कैसे होगा? साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिल है।

...(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज : महोदय, माननीय सदस्य सुबह से जीरो आवर के लिए बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों काम नहीं हो सकते हैं।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would seek a clarification from the hon. Minister of Human Resource Development. Mr. Kapil Sibal is here. I know he is a very erudite lawyer and he knows the law more than anybody else. The other hon. Minister is also here. Because of this amendment and issuing notification, since you have mentioned in the Bill, “..the

State Government shall grant such reconnaissance permit, prospecting licence, etc.,..”, are you not compelling the State Government to have the reconnaissance and also issuing permission?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask the question directly.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : This is an encroachment on the rights of the State. I should say that this is an encroachment.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, माननीय सिब्बल साहब कह रहे हैं कि जब तक मैं बिल न देख लूं, इसका जवाब नहीं दे सकता है। आपने सिब्बल साहब से ही यह प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी बाद में आपको जवाब दे देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र का कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा। हमने आपसे कहा कि बिडिंग प्रोसेस से जितनी आय होगी, जितना पैसा आएगा, वह राज्य सरकार के खाते में जाएगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. K.S. Rao.

DR. K.S. RAO : I am happy the hon. Minister has brought this legislation and in saving thousands of crores of rupees to the Government of India by ensuring that the coal allocation will be done only by auction and competitive bidding. But on one of the sentence I just want to have a clarification. The Bill says, “provided that the auction by competitive bidding shall not be applicable to an area containing coal or lignite-- (a) in which cases, where such area is considered for allocation to a Government company or corporation for mining or such other specified end use;”

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask the question.

DR. K.S. RAO : I am only asking the question.

It is because people have become so wise that the allocation of the coal block will be made to the Government Undertaking, and in turn the Government Undertaking, after mining the coal, will give it to a party of their choice. I want to know from the Minister whether they will put a stipulation where competitive bidding is not there and given to the Public Sector Undertaking and whether all such coal that is extracted will be given once again only to a power sector


company which is under the Public Sector Undertaking and not to the private sector.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इस बिल को लाने के पहले राज्य सरकारों के खान मंत्रियों की हमने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी राज्य सरकारों के खान मंत्री आए थे। उन्होंने इस बिल के संशोधन के लिए अपनी सहमति दी थी। इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is the last one.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): With your permission, since I was asked, it is a very rare occasion that I am now standing in this House to give free advice to an hon. Member of the Opposition. I am very happy to do so. If you really notice Section 11A which is the main Section, it reads that:

“The Central Government may, for the purpose of granting reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of an area containing coal or lignite, select, through auction by competitive bidding on such terms and conditions as may be prescribed, a company engaged in, - ”

Once that selection process takes place  by auction through competitive bidding and that process is over and the company is chosen, then the State Government shall grant a licence. Naturally, once it is selected by the Central Government, the State Government shall have to grant a licence for them to prospect. There is no encroachment in the power of the State.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Proper disposition is not there.

SHRI KAPIL SIBAL: You asked me a question whether there is encroachment on the power of the State. I said, no.

डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र में कोयले की जितनी जरूरत होगी, उतनी देंगे। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोयले से बिजली उत्पादन के लिए, हमारी जो 12 परियोजनाएं चल रही हैं, क्या मंत्री जी उन्हें कोयला उपलब्ध कराएंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस बिल से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन माननीय सांसद हमारे राज्य से आते हैं और हम अपने राज्य के किसी सांसद को संतुष्ट न कर सकें तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी कोल लिंकेज के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस भेजी हैं, वे सब 12वें फाइव ईयर प्लान की हैं और यह 11वां फाइव ईयर प्लान चल रहा है। 12वें फाइव ईयर प्लान पर जब कंसीड्रेशन शुरू होगा, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की सारी एप्लीकेशंस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिकोमेंड करके हमारे पास भेजेगी तो हम निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जरा राज्य सरकार से कहिए कि जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं, उस पर भी उत्पादन शुरू करें। ... (व्यवधान)

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हालांकि यह बात इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी मांग की थी। इसलिए हमारी विनती है कि महाराष्ट्र में बिजली की बहुत मांग है और उसके लिए उन्होंने मांग की है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

15.30 hrs.

MOTION RE : NINTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्रीमती मीना सिंह (आरा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ-

“ कि यह सभा 18 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत गै-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है ”

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th August, 2010.”

The motion was adopted.

15.31 hrs.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS
(i) Identification of families living below poverty
line and welfare measures for them – Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 12.

... (Interruptions)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय उपाध्य महोदय, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है। इसलिए आप कृपया अब जीरो ऑवर को ले लीजिए।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर सायंकाल छः बजे होगा। जो निर्णय हुआ है, उसी के अनुसार सदन की कार्यवाही चलेगी।

... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठे हैं। निर्णय तो आपकी मर्जी पर आधारित है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो निर्णय हुआ है उसी के अनुसार सदन की कार्यवाही चल रही है।

... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन : महोदय, मैं आपके साथ-साथ माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि हम लोग केवल दो-तीन हैं। अगर दो-दो मिनट सबको बोलने का मौका दे दिया जाए, तो शीघ्र ही जीरो आवर समाप्त हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप दो कह रहे थे। अब तीन कह रहे हैं। इस प्रकार जब बोलना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे।

... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की सहमति ले लें। जो विषय आप ले रहे हैं, उस पर आज चर्चा पूरी भी नहीं करा पाएंगे। यह हम भी जानते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि दो-दो मिनट का समय दे दीजिए। चार या पांच लोग हैं। उन्हें बोलने का मौका मिल जाएगा और हम अपनी ट्रेन पकड़ कर चले जाएंगे। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप चार कह रहे थे। अब आर चार-पांच कह रहे हैं। इस प्रकार चार और पांच मिलकर नौ हो गए।

... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष जी, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर होते हैं, तभी तो उन्हें जीरो आवर में उठाया जाता है। मैं सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। चूंकि जाना है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर नहीं जाना होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शून्य-काल सायंकाल 6.00 बजे ही प्रारम्भ होगा। अब श्री बी.महताब जी बोलेंगे।

... (व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसलिए यदि आप रात को 12.00 बजे भी लेंगे, तो भी हम बैठेंगे। लेकिन मेरा निवेदन केवल है कि ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mahtab, are you speaking?


श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ रहा था कि अभी आप जीरो आवर ले रहे हैं।

Sir, I will speak as the second speaker and not now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. The next speaker is Shri Adhir Chowdhury.

* Not recorded.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I must appreciate our hon. Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh, who is very much dear to all of us, as he has initiated this Resolution in regard to the identification of people living below poverty line as well as the welfare measures that need to be taken for those poor and vulnerable sections of our society.


जिस दिन से मैं इस सदन में आया हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैं बी.पी.एल. की चर्चा सुनता आ रहा हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि यह चर्चा साल दर साल चलती रहेगी। मुझे यह नहीं मालूम कि कब इसका हल निकालने में हम लोग कामयाब होंगे? मुझे एक चीज़ अजीब लगती है कि जब हम लोग चन्द्रयान अभियान करते हैं, इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी के मामले में सारे जहां में हम लोग अपनी लीडरशिप हासिल कर सकते हैं तो अब तक इस बी.पी.एल.  इंटीफिकेशन को हम लोग क्यों नहीं जमीनी हकीकत में तब्दील कर सके। यह मुझे बड़ी पीड़ा देता है। हिन्दुस्तान में it is a land of contrast. एक तरफ धनवान और दूसरी तरफ गरीबी से लड़ते हुए आम जनता को हम देख रहे हैं। कुछ दिन पहले यू.एन. की रिपोर्ट निकली, उसमें यह कहा गया कि हमारे देश में 65 मिलियन लोग हैं, जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं,

15.37 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

लेकिन उस हिसाब से हमारे देश में टायलेट नहीं हैं, यह मुझे बड़ा अजीब आंकड़ा लगता है। जब वर्ल्ड बैंक अपने आंकड़े देता है, तब यह कहता है कि हिन्दुस्तान में 420 मिलियन बी.पी.एल. हैं, जब सक्सैना कमेटी आंकड़े पेश करती है तो बताया जाता है कि बी.पी.एल. 500 मिलियन हैं। इकोनोमिक सर्वे कहता है कि 600 मिलियन हैं और अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी कहती है कि 770 मिलियन हैं तो मुझे यह पूछना है कि इसमें सही क्या है? What is the truth behind it? हम लोग आज तक ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई क्राइटीरिया निकालने में कामयाब नहीं हुए, जिससे कि हम सही दिशा में जाकर हमारे देश में जो असली बी.पी.एल. पोपुलेशन है, उनका आंकड़ा तैयार कर सकें, क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे देश में यह एक क्रिटिकल कम्पोनेंट है। Identification of BPL is recognised as a critical component specially for the delivery of welfare measures to the poor people. जैसे अभी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सूबे की सरकार की तरफ से भी होता है, लेकिन जहां भी हो, बी.पी.एल. लिस्ट होनी जरूरी है और यह बी.पी.एल. लिस्ट आज तक हम तैयार नहीं कर पाये हैं। हम लोगों को यह तो देखने को मिलता है कि कभी सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है। कभी-कभी लगता है कि हम लैजिस्लेटर क्यों बने, जब हर

मुद्दे पर कोर्ट फैसला सुनाती है। बाद में यह पता चलता है कि यह हमारा खमियाजा है, जिसके लिए हम पर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आता है।

यह हम सबको सोचना चाहिए कि आज तक हम लोग बीपीएल आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं कर सके? इस बारे में सब को विचार करना चाहिए। एक के बाद एक कई सरकारें आयीं और हर सरकार के सामने यह सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा होकर रह गया। रघुवंश बाबू जो इस resolution को लेकर आए हैं, उन्होंने कभी मिनिस्टर आफ रूरल डेवलपमेंट का पद संभाला, लेकिन फिर भी वे इसमें कामयाब नहीं हो सके, इसलिए  हैं रिजोल्यूशन लाकर सरकार से यह मांग करनी पड़ी है कि आइडेंटिफिकेशन आफ बीपीएल की लिस्ट जल्द से जल्द तय की जाए। महोदय, मैं हिंदुस्तान की गंभीर हालत को पेश करना चाहता हूं। कल ही अखबार स्टेट्समैन में छपा। A front-page report in the Delhi Edition of the national daily dated 5th April stated that frail, malnourished children of Ganni village in Eastern Uttar Pradesh are eating moist lumps of mud laced with silica, a raw material for glass sheets and soap, because they are not officially classified as poor and so are ineligible for official help.

This is the plight of the poor people of our country who by all parameters are eligible to get the benefit of welfare measures under the BPL category. But it is regrettable to say that we failed miserably to provide them the minimum mite of succour so that they can at least survive. There lies the most crucial and deplorable phenomenon of our country India.

We came to know that this Government is going to bring a legislation for the food security of poor people of our country. Well in advance, I extend my warm and wholehearted congratulations to this Government and request the Government to bring this legislation as early as possible. इकॉनामिक सर्वे यह कहता है कि हमारे देश में एक तरफ प्लानिंग कमीशन है और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री आफ रूरल डेवलपमेंट है और नेशनल सैंपल सर्वे बीच में आ गया। एक के साथ दूसरे का कोई तालमेल नहीं है। प्लानिंग कमीशन अपना रास्ता अपनाता है, वह नेशनल सैंपल सर्वे के ऊपर भरोसा करता है, दूसरी तरफ रूरल मिनिस्ट्री का काम इनको आइडेंटिफाई करना है। रूरल मिनिस्ट्री हर सुबह states यह डायरेक्शन देता है कि तुम भी आइडेंटिफाई करने में लग जाओ। जब कोई कट आफ लाइन तय कर देगा, जैसे प्लानिंग कमीशन कह दे कि यह कट आफ लाइन है और इसके ऊपर नहीं जा सकोगे, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी छवि प्रस्तुत

करती है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ प्लानिंग कमीशन, बीच में एनएसएसओ और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तीनों को एक जगह बैठाकर इनसे पूछा जाए कि आपस में एस्टीमेट को लेकर आप विवाद बंद करो और सही ढंग से जो असली बीपीएल लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट को जल्द से जल्द निकालो।

सरकार ने इस बीच आइडेंटिटी कार्ड के बारे में इनीशिएटिव लिया। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत राशि नियोग करती है जिससे बीपीएल परिवारों को सुविधा मुहैया कराने की जो मंशा है, वह उन्हें उपलब्ध हो। Estimation by the Planning Commission, on the basis of sample survey on household consumption expenditure based on NSSO 61st round says that poverty ratio is 28.3 per cent in rural areas, 25 per cent in urban areas, and 27.5 per cent in the country as a whole. The corresponding poverty ratio is 21.8 per cent in rural areas, 21.7 per cent in urban areas and 21.8 per cent in the country as a whole. कभी तीस दिन कभी पूरा साल (recalling period) अपना एस्टीमेशन करने में इस्तेमाल करते हैं। इस बीच प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी सैट-अप की है। It was to examine the issue and suggest a new poverty line and estimates. While estimation of poverty had already been done by the Planning Commission – which I have already referred to – a census to identify the BPL households has been conducted by the Ministry of Rural Development. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 1992, 1997 और 2002 में एक कमेटी बनाई और कोशिश की कि बीपीएल लिस्ट बन जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नाम बीपीएल लिस्ट में होगा तो वह PDS, RSBP, इंदिरा आवास योजना का लाभ उठा सकता है, ओल्ड एज पेंशन का लाभ उठा सकता है, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना का लाभ उठा सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता में बीपीएल कार्ड को लेकर काफी तनाव पैदा हुआ है। यह देखा जाता है कि जिनके पास धन है और पावर है, वे अपना नाम जबरदस्ती बीपीएल में इनक्लूड करवा लेते हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग की जनता है, जिनके पास पावर नहीं है, दबदबा नहीं है, वे इससे एक्सक्लूड हो जाते हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान में विशेषकर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

In 1979, the Government of India, the Planning Commission had constituted a task force on projection of minimum needs and effective consumption demand, which on the basis of a systematic study of nutritional

requirement recommended a national norm of 2400 kilo calorie per day and 2100 kilo calorie per day for rural and urban areas. These figures were derived from age, sex, occupation-specific and nutritional norms, by using all India demographic data from the census 1971.

The national-level official poverty lines for the base year (1973-74) were expressed as monthly per capita consumption expenditure of Rs. 49 only in rural areas and Rs.57 in urban areas which correspond to a basket of goods and services that satisfy the calorie norms of per capital daily requirement of 2400 kcal in rural areas and 2100 kcal in urban areas, which was considered as the minimum required for healthy living. The cut-off line has been updated for price rise for the subsequent years. However, the new poverty line does not correspond to the minimum calorie norm as according to the NSSO data, to reach the minimum calorie requirement the poor would need far more consumption expenditure than the monthly cut-off line so arrived at by just adjusting Rs.49 and Rs. 57 for inflation.

For instance, for the year 1999-2000 the monetary cut-off corresponding to the minimum calorie requirement norms should have been Rs.565 in rural areas and Rs.628 in urban areas. Whereas, as per the price updated methodology, as used by the Planning Commission, the poverty line was Rs.328 and Rs.454 respectively. This is the chimera. It is really a conundrum that has been haunting all of us. No one here is satisfied with the BPL List that has been prepared either by the Planning Commission or by the Rural Development Ministry.

The national poverty line at 2004-05 prices was taken as Rs.356 per capita per month in the rural areas and Rs.539 per capital per month in the urban areas. As is evident, the level of income would have permitted both the rural and urban people to consume just about 1820 kcal, whereas to consume the desired norm of 2400 kcal for rural and 2100 kcal for urban areas the cut-off line for determining BPL status should have been around Rs.700 in the rural areas and Rs.1000 for the urban areas. Thus a large number of rural people with consumption in the range of

Rs.360 to Rs.700 have been deprived of the BPL status. What is more distressing is the fact that calorie consumption of the poor has been consistently declining since 1987-88

इसका मतलब यह है कि आम जनता की कैलोरी कन्जम्पशन दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। मेरा कहना है कि कभी यह कहा जाता है कि इनकम क्राइटेरिया होगा, कभी कन्जम्पशन क्राइटेरिया होगा, कभी कहते हैं कि मिक्स फार्मूला 13 Point Scoring Formula क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द एक फूलप्रूफ बीपीएल लिस्ट तय हो जाये। अगर फूलप्रूफ बीपीएल लिस्ट तय हो जाये, तो सरकार जो वेल्फेयर मेजर्स ले रही है, उन वेल्फेयर मेजर्स को डिलीवर करने में ज्यादा सुविधा होगी। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में हम सब हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। इसके साथ-साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द प्लानिंग कमीशन, एनएसएसओ, रूरल डेवलपमेंट आदि सब मिलकर अगर जरूरत पड़े, तो किसी एक्सपर्ट को लाकर एक कन्सेन्सस लिस्ट बनाकर हमें मुक्त करे।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Resolution which has been moved by our esteemed Member of this House, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, relating to identification of families living below poverty line and welfare measures for them is a very important issue which is being discussed in this House. This has been moved by an eminent Member of this House. Being experienced in legislative practice and also being in charge of the Ministry of Rural Development for quite a long time, I think it is borne out of him that he has thought it fit to bring this Resolution for our consideration and for the consideration of this country.

This issue, of course, was being discussed when he was manning this Ministry. The matter went to the Supreme Court of India and he was at a great difficulty because during his tenure this matter could not be settled. He has categorized four specific points. The points are: identify the families living below poverty line in all the States; provide vocational training and thereafter gainful employment to at least one member of every such family; to provide family pension at the rate of not less than Rs.3000 per month to every such family where gainful employment is not provided to any member of that family; and last is, provide quality education up to senior secondary level to all children belonging to such families free of cost.

The first one is to identify the family and the other three are the provisions which should be made to empower them to come to a specific level. I would say that Raghuvansh Babu through this Resolution urges the Government to take steps in a time-bound manner to eradicate poverty from the country by the year 2015. That means he has put up a span of five years that within these five years, let us focus on these specific issue and that it should not be an open-ended situation where we will be providing funds for the amelioration of poverty but ultimately it just goes down the drain and nothing tangible happens.

I am reminded that this poverty amelioration programme was started 40 years ago. The Government of India during Shrimati Gandhi's tenure – I think it was the second term of Shrimati Indira Gandhi after that Garibi Hatao - 1971

slogan – specific programmes were made by the Central Government and by the Planning Commission that we have to target eradication of poverty. Later on that amelioration word came in.

During Raghuvansh Babu's tenure all sitting Members of Lok Sabha were told that you are heading the Vigilance and Monitoring Committee of your Districts and that you declare a list of genuine below poverty line people who have not got Indira Avas Yojana. I am just giving one instance. So, lists were prepared and I think every concerned Member must have prepared that list. It was also sent to the Central Government and it was also on the website. It was displayed every year how many Indira Avas Yojana units are being allotted to us in specific districts and how many people are getting it so that we can deduct and find out that this much is the wait list. I think everybody is being surprised that the list never ends. It never comes down. That list rather goes on increasing year after year. It is not a mathematical calculation. The answer is that it is not a mathematical calculation because many people who are either below the line or just above the line or on the verge of the line, just one drought or one failed monsoon drives a lot of people below poverty line.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the time allotted for the discussion on this Resolution is over. I have a list of six more speakers to speak on this Resolution. If the House agrees, the time of the Discussion may be extended by one hour. I think the House agrees to it.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.



16.00 hrs.

SHRI B. MAHTAB : The basic question which was raised by the previous speaker, namely, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, is, why are there so many numbers coming up? The Planning Commission is coming up with one number, the Ministry of Rural Development is coming with out with another percentage; the UNDP is coming out with another percentage; the World Bank is coming with another percentage. Some say it is 79 per cent; some say it is 81 per cent; some say it is 80 per cent. The Saxena Committee as appointed by the Ministry of Rural Development has come out with another estimate; The Planning Commission says it was 27 per cent and now with the report of the Tendulkar Committee another 10 per cent has been added and so it is at 37 per cent. Why is this much of a confusion? Any policy planner would be confused. Any person who has certain interest in this programme is totally confused. What is the actual number? I think, being a professor of Mathematics, Dr. Raghuvans Prasad ji has an answer to this. It has nothing to do with statistics. It is pure mathematics.

Sir, as far as I understand with my limited understanding of the Parliamentary practices, estimates of poverty is done by the Planning Commission through a sample survey on consumer expenditure conducted by the National Sample Survey Organization. The Planning Commission uses the poverty line based on per capita consumption expenditure as the criteria to determine the persons living below the poverty line. The per capita consumption norm has been fixed at Rs. 49.09 per month in the rural areas and at Rs. 56.64 per month in the urban areas at 1973-74 prices at national level. Can we get a correct picture if this is the method in which poverty is to be determined? But this is the method by which the Planning Commission is doing it.

16.03 hrs

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

Madam, there is no gainsaying in mentioning it here that irrespective of party affiliations, respective Governments wanted to show to the society and the people at large that it was during their tenure that poverty actually had come down.

Keeping that in mind actually everybody had been trying, I may be allowed to use this word, to fudge the numbers. That is the root of all problems. The State-specific poverty lines are derived from the national level poverty lines using the State-specific price indices and inter-State price differentials. The national poverty line in the year 2004-05 was Rs. 356.30 per person per month in rural areas and Rs. 538.60 per person per month in urban areas. But the identification of poor is done by the Ministry of Rural Development through a door to door survey with 100 per cent coverage. I am of the opinion that the survey which is done by the Ministry of Rural Development is very accurate in the sense that it is a door to door survey. But there is a flaw in that. Who does that survey? Is it not very subjective? The Ministry of Rural Development provides financial and technical assistance to the States and the Union Territories to conduct BPL census to identify BPL families who could be provided assistance under the various programmes of the Ministry. The BPL census is generally conducted at the beginning of every Five Year Plan. The Ministry of Rural Development has conducted three such BPL census so far, the first being in 1992 for the Eighth Five Year Plan.

In 1997, it was conducted for the Ninth Five year Plan and in 2002, it was for the Tenth Five Year Plan. The last BPL census – this is very interesting – which was conducted in 2002 was based on the methodology of score based ranking of rural households for which 13 socio-economic parameters were used, as recommended by the Expert Committee headed by Dr. P.L. Sanjeeva Reddy. These were land holdings, type of house, availability of clothing, food security, sanitation, ownership of consumer durables, literacy status, status of household labour, means of livelihood, status of children, type of indebtedness, reason for migration and preference for assistance. These are the 13 parameters on which, in 2002, the BPL census was taken. The income and expenditure criteria adopted during the BPL survey of 1992 and 1997 had their own limitations in the sense both the approaches suffered from criticism of having subjectivity and with this scoring also, there is limitation. So, a recent suggestion has come in and I would

prefer that system. Scoring is one part. But can you have a system or mechanism in place that automatically many well to do people also will come out of BPL list? Can that be also brought in? A person who is identified in the BPL category is there for life long until and unless someone strikes him out. But can you have a mechanism where, with this scoring system, you can also automatically remove a person from that list? And that is very much required. Otherwise, that list will only go on multiplying.

One of the important features of the guideline issued for BPL census, 2002 was to put a ceiling on the number of BPL households to be identified in conformity with the poverty estimates of Planning Commission and there, the trouble arose. That is why, many State Governments objected to it including the State Government of Orissa. Subsequently, the ten per cent plus and minus was also added to that but I am not going into that aspects.

We would like to understand from the Minister as to what they are going to do for the Eleventh Plan census. Already Dr. N.C. Saxena's Report is before us. The terms of reference are also in the public domain but I would like to cite one instance out of five terms of reference which are given to the Expert Group. It is to recommend institutional system for conducting survey, process for data validation and approval of BPL list at the various levels about which the hon. Member has mentioned. This is the first part. How are you dealing with this part out of the five issues?

I would conclude my speech by referring to another aspect. I think last month, there was a news headline in many newspapers and the media including the television channels.. The headlines said that new poverty index finds Indian States worse than Africa. Another headline said that half of India's population lives below the poverty line.



The anxiety was occasioned by a new study on global poverty released last month by the Oxford Poverty and Human Development Initiative. There is nothing to be happy about it and there is nothing to talk about it in a big way. That is the concern and that is the anxiety. This study finds that eight poorest States in India contain more poor people than 26 poorest African countries combined together. It also estimates India's poverty rate at about 55 per cent. What does this signify? We have travelled a long distance during the last 63 years. As it is a democratic country concerned about the poor and their development, a lot of effort is being made. The poor people of the country have a say in the administrative mechanism of our system. But the poor of the country still remain poor for very many factors.

The suggestion which Dr. Raghuvansh Prasad Singh has made is to provide vocational training. This is not the subject only of the Ministry of Rural Development. The Ministry of Human Resource Development has a greater role to play in it; the Ministry of Industries also has a greater role to play in it; The Ministry of Panchayati Raj also has a greater role to play in it, and above all the Planning Commission has to take a holistic view.


My question here is this: When the free market mechanism is determining our progress, does the Planning Commission, does the Five Year Planning have any significance to control poverty and to eliminate poverty? It does not. That is the basic question which we should address. Doling out certain sums to the poor will not help to bring them up to a certain standard of living.

While supporting the Resolution moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh, I would only say that unless we empower the poor through education, we cannot ameliorate and we cannot remove poverty in this country.

With these words, I conclude.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं रघुवंश बाबू को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वे बहुत अच्छा रेज्योलूशन ले कर आए हैं। उनका इतने वर्षों का जो अनुभव है, सांसद और मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने अनुभव को इसमें समेटने की कोशिश की है और गरीबों के दुख-दर्द को समझने की कोशिश की है। इसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

जब से मैं संसद में आया हूँ, एक बात मैं बहुत जोर दे कर कहता हूँ कि लोग प्वायंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वे एक-दूसरे पर आरोप लगाने में गायब हो जाती हैं। ऐसा भी लगता है कि यदि पार्लियामेंट सत्र नहीं चल रहा है, तो शायद देश में कोई समस्या ही नहीं है। संसद सत्र मुश्किल से वर्ष में 70-80 दिन चलता है, लेकिन रोज कहीं न कहीं गोली चल रही है, कोई न कोई मर रहा है। किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ गया है। लगता है कि 70-80 दिनों को छोड़ कर जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है, तब इस देश में कहीं भी विपत्ति नहीं आती है। इसका कारण यह है कि हम केवल हैडलाइन्स बनाना चाहते हैं, मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और अपने आपको जन प्रतिनिधि बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए रघुवंश बाबू धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आज कोई भी स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से, सीपीएम तृणमूल से, सपा बसपा से यहां लड़ाई करने के लिए आए हैं। इसीलिए ये धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। मैंने बीजेपी और कांग्रेस की बात कही है। मैंने अपनी भी बात कही है। आज सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, हम गरीबी, बीपीएल की बात अच्छे माहौल में कर रहे हैं और यदि ये 10 आदमी ही पार्लियामेंट चलाते रहे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि देश के बारे में हम कुछ न कुछ निर्णय निकाल पाएंगे। समुद्र मंथन होगा, उसमें से अमृत निकलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए यह संसद धन्यवाद की पात्र है।

दूसरे, दो तीन चीजें जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि भारत एक  प्रधान देश है। हम गरीबी में पैदा होते हैं, उसी में पलते हैं और अपनी पीड़ियों को कर्ज देकर चले जाते हैं। आजादी के इन 63 वर्षों बाद भी आज की स्थिति यही है। हमारे यहां एक कहावत है- गरीब की लुगाई, सबकी भौजाई। पहले मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोलते हैं। बोलते सही हैं। जब आप गरीब हैं तो आपको गलत शब्द से बुलाया जाता है। कोई बड़ा आदमी या गरीब बच्चा है तो उसको बुलाया जाता है कि अरे, तुम इधर आओ। यदि वह कुर्सी पर बैठ गया तो पूछा जाता है कि तुम कुर्सी पर क्यों बैठ गये? इसमें जाति या धर्म का सवाल नहीं है।

आज भी इस देश की स्थिति ऐसी ही है। पहले एक फ़ैशन होता था कि गरीब आदमी सोचता था कि उसका बेटा पढ़े-लिखे और वह बड़ा आदमी बन जाए और हम बड़े लोगों की श्रेणी में आ जाएं। कुर्सी

पर बैठ जाएं, हवाई जहाज से चलने लगें और रिक्शा छोड़कर मोटर साइकिल मिल जाए। लेकिन आज क्या हो गया है, पिछले 15 साल में यह फैशन बदल गया है। जब भी हम आप जैसे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो सभी यह सोचते हैं कि हमारा नाम बीपीएल में है या नहीं है। आज वे गरीब बनना चाहते हैं। जैसे आज से 15-20 साल पहले यह फैशन था कि लोग अपने आप को गरीब कहलाना नहीं चाहते थे। लोग एससीएसटी नहीं होना चाहते थे। लेकिन उसका कारण क्या है? इसकी तह में जब तक यह देश यह सरकार नहीं जाएगी, बीपीएल की सूची कुछ भी बना लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी तह में जाने की आवश्यकता है कि आप इसमें जो इंसेंटिव देने की बात करते हैं कि यह जो बीपीएल का लाल कार्ड है, यह वॉयबल है। यह वॉयबल आपके पास होगा, तभी अन्न आपको इससे मिलेगा। इसी से आपको इंदिरा आवास देंगे। क्या घर देते हैं, घर बनाने के लिए 40-45000 रुपये देते हैं। 45000 में क्या छत खड़ी हो सकती है? पैसा लेना है और उसमें भी कमीशनखोरी है। उसमें पंचायत सेवक 5000 ले लेगा और जो पोलिटिकल वर्कर घर दिलाने ले जाएगा, वह 5000 रुपये ले लेगा, बीडीओ पैसा ले लेगा। बाद में आप कहते हैं कि आप एकाउंट में देते हैं। लेकिन एकाउंट में कितना पैसा मिलेगा? मुश्किल से 15-20000 देते हैं। उस 15-20000 में या तो घर बन सकता है या दीवार खड़ी हो सकती है। यह निर्णय करने का सवाल है।


श्री अर्जुन चरण सेठी : घर बनाने के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए ऐसे करते हैं।

श्री निशिकांत दुबे : यही बात है। दूसरे, आप बीडी मजदूर के नाम पर, आप गरीबों के नाम पर जो भी इंसेंटिव दे रहे हैं, मनरेगा की बात हो रही थी। मनरेगा के तहत यही है कि जो गरीब आदमी है, उसे हम 100 दिन का रोजगार देंगे। बहुत बड़ी योजना है। मेरा उसमें विरोध नहीं है। रघुवंश बाबू जो रिजोल्यूशन लेकर आए हैं, उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने किया है, आप धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया और निर्वाचन क्षेत्र में कहा गया कि मनरेगा की जो योजना है, आप विजिट करने चले जाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह की योजनाओं की विजिट नहीं करता। मनरेगा का मतलब जो मैं समझ पाता हूँ कि एक राजा था जिसे अपनी लेबर से काम कराने का कोई मौका नहीं होता था कि कहां से उसको पैसा देगा तो वह रोज वही दीवार खड़ा करता था और रोज दीवार तोड़ देता था। मैं समझता हूँ कि मनरेगा भी यही है। कोई काम नहीं करना है, मिट्टी का काम करना है और उसे बारिश में बह जाना है। आप गरीबों को पैसा देना चाहते हैं तो आप उससे कोई काम कराकर पैसा देना चाहते हैं। आप दीजिए। इसलिए मैं मनरेगा की योजना की न आलोचना करता हूँ और न देखने जाता हूँ। लेकिन चूंकि वह मेन रोड पर था तो मैंने सोचा कि मैं देख आऊँ। 21 मार्च को यह कहा गया कि इस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हो गया। मनरेगा का जो बोर्ड था, इसका बांध बन रहा है और उसमें 31 मार्च को यह काम एवार्ड हो गया।

30 जून को काम पूरा हो गया, यह सब बोर्ड में लिखा हुआ है। इसकी कुल लागत 1,90,000 रुपए है जिसमें लेबर की कॉस्ट 1,84,000 रुपए थी, वह हमने पेमेंट कर दी है। मैंने वहीं से अपने यहां के डीसी को फोन किया। मैंने बीडीओ को फोन किया और कहा - यह क्या किया है? तुमने बोर्ड लगाया है जबकि एक कुदाल मिट्टी नहीं काटी है, एक टोकरी मिट्टी नहीं बनी है, आप आकर देखो। यह क्यों लिखा है? उसने कहा - सर, 15 अक्टूबर के बाद जब बारिश खत्म हो जाएगी तब उसका काम शुरू करेंगे। मैंने उसके लिए कमेटी बनाई और सबको कहा। यह मेन रोड पर है। यह ऐसी मेन रोड है जो नेशनल हाई वे पर है, बगल में है। मनरेगा की यह स्थिति है। हम गरीबों के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं? क्या योजनाएं वहां पहुंच रही हैं?

महोदय, मेरे दो-चार मोटे सवाल हैं। आजादी के 60 साल बाद वे आपसे क्या मांग रहे हैं? हम उसे क्या देने की कोशिश में हैं? मैं फाइनेंस कमेटी में हूँ, मैंने प्लानिंग कमीशन सैक्रेट्री से ऑन रिकार्ड पूछा - देश में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हम डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दे रहे हैं और पूरी सरकार रूरल डेवलपमेंट के लिए लगी हुई है लेकिन 27 परसेंट से 37 परसेंट गरीबी क्यों हो गई है? गरीबी 10 परसेंट कैसे बढ़ गई? आप ऑन रिकॉर्ड बयान कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा - पहले हम तय कर लेते हैं कि कितने गरीब हैं। अब हमने क्या किया? तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के बाद 37 परसेंट गरीब हैं, यह हमने मान लिया। अब तय होगा कि कौन गरीब है? इस क्राइटेरिया में कौन आएगा? इसके लिए घर-घर सर्वे होगा। प्रदीप जैन साहब यहां बैठे हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यह तय करेगी। प्लानिंग कमीशन ने तय कर लिया कि 37 परसेंट गरीब हैं और रूरल मिनिस्ट्री तय करेगी कि किस गरीब को क्या देना है, कौन गरीब होगा? जैसे घर में एयर कंडीशन कमरे में तय कर लिया, इसका कोई सर्वे नहीं होना है। पांच साल बाद सर्वे करेंगे, अभी वर्ष 2002 के बाद वर्ष 2010 में शुरू हुआ, आठ साल हो गए हैं। इस तरह से पांच साल का क्राइटेरिया खत्म हो गया। इसके साथ एक बेसिक सवाल मेहताब जी पूछ रहे थे। मान लीजिए बाढ़ आ गई। जब बिहार, झारखंड या उड़ीसा में बाढ़ आती है तब गरीब का पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती है। आप उसे गरीब मानेंगे या नहीं मानेंगे? हमारे यहां आग की घटनाएं बहुत होती हैं। प्रत्येक साल आग लगती है जिसमें सब कुछ स्वाह हो जाता है। उनकी फसल भी स्वाह हो जाती है और घर भी स्वाह हो जाता है। आपके क्राइटेरिया के अनुसार जिसके सिर पर छत नहीं होगी उसे बीपीएल मानेंगे। क्या आप उसे बीपीएल की कैटेगिरी में लाएंगे या नहीं लाएंगे? जैसी घटनाएं कच्छ, लेह या उत्तराखंड में होती हैं, लेह में इस तरह के लोगों को बीपीएल कैटेगिरी में मानेंगे या नहीं मानेंगे? मान लीजिए घर में एक आदमी कमाने वाला है और उसकी मृत्यु हो गई, यदि बेटे या बाप की मृत्यु हो गई, आप उसे बीपीएल मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर मानेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला है? मैंने करप्शन की बात कही। मैं पार्लियामेंट हाउस में भी लिखा हुआ देखता हूँ -

अयं निजः परो वेत्ति गनना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम्।

महोदय, मैं कहीं और की बात नहीं कह रहा हूँ। यह हमारे यहां की घटना है कि चार पंचायत सेवक और दो बीडीओ सस्पेंड हुए हैं क्योंकि पक्के मकान वालों को इंदिरा आवास दे दिया गया। जांच हुई और सस्पेंड हुए? यह क्या तरीका है? आप नियम और कानून बनाने वाले हैं, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। क्या इन चीजों का इन्कलूड करने वाले हैं? जिसने भी गलत ढंग से नाम चढ़ाया है, क्या आप उसके लिए सजा का प्रावधान करेंगे? जैसा मेहताब जी बता रहे थे कि जब तक आप यह काम नहीं करेंगे गरीबों की लिस्ट बढ़ती रहेगी। इस तरह से 'गरीबी हटाओ' का नारा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। दो तरह के गरीब हैं - अर्बन पुअर और रूरल पुअर। रूरल पुअर के लिए तो रूरल डेवलपमेंट लिस्ट बना रही है। अर्बन पुअर कौन होगा, इसके लिए अभी कमेटी बनी है। हम कह रहे हैं कि वर्ष 2014-15 तक राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहर के गरीबों को मकान दे देंगे। इसी तरह मुम्बई शहर में झुग्गी-झोंपड़ी हटाने का काम हुआ। मुम्बई शहर में जिन्हें नरीमन प्वाइंट और कोलाबा में जिस तरह की झुग्गी-झोंपड़ियां दी गईं, वहां कोई गरीब नहीं रहता है। सारे गरीबों ने वे मकान बेच दिये और क्यों बेचे, क्योंकि जब आप उन्हें गरीब मान रहे हैं तो आपने सोसाइटी बना दी, अब सोसाइटी का पैसा कौन देगा, उसकी सिक्युरिटी का पैसा कौन देगा, उसकी बिजली का पैसा कौन देगा, उसके पानी का पैसा कौन देगा? क्या सरकार ने कभी इसके बारे में निर्णय लिया है? आपको लगा कि हमने मकान बना दिये और आप निश्चित हो गये। सवाल यह है कि आप  नी पालिसी में इस चीज को इनक्लूड नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : दूबे जी, एक रिजोल्यूशन और है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे : मैं तीन-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चाहे वे किसी हिन्दू धर्म की बात कर लें, मुस्लिम धर्म की बात कर लें, बुद्ध की बात कर लें, महात्मा गांधी की बात कर लें, दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लें, सभी एक ही चीज कहते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करिये, नर सेवा ही नारायण सेवा है। "सुखानि चः दुखानि चः चक्रवत् परिवर्तनते सुखानि चः दुखानि चः" सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। राजा रंक होता है और रंक राजा होता है। मेरा यह मानना है कि जब भगवान ने अपना पूरा विराट रूप दिखाया था तो एक ही श्लोक आया था - "त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्य मेव समर्पये।" यदि हम गरीबों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, हम इस लोकतंत्र में आये हैं, इस प्रजातंत्र में आये हैं, मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट होने के नाते हमारा भी कुछ उद्देश्य है तो पूरे देश को इकठ्ठा करिये, हम और आप साथ मिलिये, गरीबों के प्रति न्याय करिये, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं, साथ मिलकर आगे बढ़िये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। डा. रघुवंश प्रसाद जी जो रिजोल्यूशन लाये हैं, वह उन गरीबों के लिए लाये हैं, जिन गरीबों के पास किसी भी प्रकार के साधन नहीं है। आजादी के 63 साल बीत गये हैं। इन 63 सालों में इन गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने और भारत सरकार के योजना आयोग ने तमाम प्लानिंग बनाई कि इनकी गरीबी को दूर किया जाए। लेकिन 63 साल बीतने के बाद भी ऐसे गरीबों की गरीबी दूर नहीं हो पाई। आज जिस तरह से सदन में चिंता व्यक्त की जा रही है, मैं कहता हूँ कि अगर नीति अच्छी है, परंतु नीयत ठीक नहीं है तो ऐसी नीति का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर नीयत सही होती तो गरीबों की गरीबी दूर करने की जो इतनी योजनाएं बन रही हैं, शायद आज उनकी सदन में चर्चा नहीं होती।

महोदया, वर्ष 2002 में जो बीपीएल की सूची बनी, उस सूची के बारे में कमोबेश इस सदन में अधिकांश लोगों ने यह स्वीकार किया कि उसमें धांधली हुई है। वास्तविक रूप से जो गरीब हैं, जिन गरीबों को फायदा पहुंचाना है, उसमें ऐसे बहुत से लोगों के नाम छूट गये और ऐसे लोगों के नाम जुड़ गये या तो राजनीतिक प्रभाव से उनके नाम उसमें चले गये या पैसे के आधार पर उनके नाम उसमें चले गये। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कि बीपीएल का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा या गरीबों के हित में जो सरकारी योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बीपीएल की सूची में हैं। परंतु तमाम ऐसे गरीब लोग, जो बीपीएल की सूची में आने से छूट गये हैं, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अधिकारी मौके पर जाते हैं और देखते हैं कि सचमुच बीपीएल के लायक नहीं हैं लेकिन बीपीएल की सूची में होने के कारण उसे लाभ मिलता है। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने ठीक कहा है कि घर-घर जाकर हमें सूची बनानी चाहिए। श्री महताब जी ने भी अपने पाइंट्स में कहा है कि हम किस आधार पर उन गरीबों की शिनाख्त करेंगे, कैसे सूची बनायेंगे? अगर इस आधार पर बनायेंगे तो सही रूप में बीपीएल सूची बन सकेगी। इसके अलावा तमाम जो कमेटियां बन रही हैं, सक्सेना कमेटी बनी, तेंडुलकर कमेटी बनी, भारत सरकार का योजना आयोग है, ये तमाम अलग-अलग आंकड़े दे रहे हैं। देश की आजादी को 63 साल हो गये हैं लेकिन इस देश में गरीबों की संख्या कितनी है, कौन-कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं, मालूम नहीं कर पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ और विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप सचमुच गांव में जाकर गरीबों की स्थिति देखिये जिनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। आप झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में चले जाइये और विशेषकर ऐसे प्रदेश जहां एस.सी.एस.टी.के लोगों की बस्तियां हैं, उनके बीच जाकर देखिये, उनका

रहन-सहन देखिये, खान-पान देखिये तो आपको लगेगा कि ऐसे लोगों को बीपीएल की सूची में रखना चाहिये था लेकिन वे लोग बीपीएल की सूची में नहीं हैं।

सभापति महोदया, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं कि उन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाये, उन लोगों को नौकरी दी जाये, माध्यमिक शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई-लिखाई सरकार करवाये। ऐसे गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले? आजकल भयंकर बीमारियां चली हैं, उनके पास इलाज करवाने के लिये पैसा नहीं होता है, इसलिए दम तोड़ देते हैं। अभी श्री निशीकांत जी ने करप्शन की बात कही। गरीबों के नाम पर आवास बनाने के लिये पैसा मिल रहा है लेकिन हर स्तर पर लूट-खसोट हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने कांशीराम शहरी आवास योजना बनायी है। हम भारत सरकार से चाहते हैं कि यह पैसा न देकर, जिन गरीबों को लाभ पहुंचाना है, उनकी देखरेख में अगर उनको मकान बनाकर दिया जाये तो लगता है कि शहरी को उसका लाभ मिल पायेगा नहीं तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे परिवार जो बीपीएल से हैं, उनमें से किसी न किसी एक को नौकरी मिलनी चाहिये ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। जिस तरह की एजुकेशन है, उससे संबंधित लोगों को रोजगार दिया जा सकता है जिससे उनकी गरीबी और भुखमरी दूर हो सकती है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदया, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने गरीबों के लिए यह बात रखी है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बीपीएल लोग हैं, उनकी हालत क्या है और उनके लिए क्या करना चाहिए। असली बात वह है, जिसे मैंने, आपने और हम सबने प्रैक्टिकली देखा है। हमारा पहाड़ी इलाका है। जब प्लेन इलाके वाले, मैदानी इलाके वालों की ही प्रॉपरली, ठीक तरह से बीपीएल लिस्ट नहीं बनती है तो कौन सा पटवारी, कौन सा विलेज लेबर वर्कर, जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, ग्राम सेविका कहते हैं, ये वहां तक कैसे पहुंचते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर इन्हें गिरदावरी करनी हो तो ये किसी गांव में, किसी घर में बैठकर कर देते हैं। ये फसल देखने तक नहीं जाते हैं। फसल लगी या नहीं लगी, लेकिन गिरदावरी चढ़ा दो। इसी तरीके से जो बीपीएल की लिस्ट बनी है, काफी हद तक जो लिस्ट बनी है, वह ठीक है, लेकिन उसमें बहुत से लोग गलत भी हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो बीपीएल की लिस्ट में नहीं आ पाये हैं। जो गलत फायदा ले रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार है और जो बीपीएल में आने से रह गये हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो बीपीएल की सूची बनाने वाले लोग हैं, जब तक हम इनमें से दो-चार पर सख्ती नहीं करेंगे, तब तक कुछ सही नहीं बनेगा। आप यह कहें कि यह योजना, वह स्कीम, यह करें, वह

करें, इससे कुछ नहीं होगा। जो आदमी जिस इलाके में गया, उसने वहां के लोगों को इग्नोर किया, उसने वहां रिलेशंस कायम कर लिये।

महोदया, आजकल बीपीएल की सूची में नाम डलवाने के पैसे भी लिये जाते हैं। क्योंकि बीपीएल की सूची में आने के बाद सुविधाएं मिलती हैं। सिर्फ आई.ए.वाई. का मकान ही नहीं मिलेगा, सिर्फ राशन का सवाल नहीं है और भी सुविधाएं हैं, जो बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक कार्ड बनने से उसका फायदा दूसरे लोग ले जाते हैं। हमारे जो नवोदय स्कूल खुले हैं, केन्द्रीय विद्यालय खुले हैं, इन स्कूलों में जिनके पास बीपीएल का कार्ड है, उनके लिए कोटा रखा गया है। मैंने ऐसे एक-दो आदमी पकड़े, वे लोगों को राशन देते हैं। वे सप्लायर हैं, उन्होंने डिपो खोला हुआ है, उनकी बहुत बड़ी दुकान है। किसी गांव में, दूर-दराज के इलाके में उनकी दुकान चल रही है। उस बंदे ने अपना बीपीएल कार्ड फूड एंड सप्लाय वालों से मिलकर बनवाया। उसने बीपीएल का कार्ड बनवाकर अपने बच्चे को नवोदय स्कूल में दाखिल करवा दिया। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस ढंग से एक बीपीएल वाले व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, बीपीएल के नाम को एक्सपाइड किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सस्पेंड वाली जो धारणा है, जो सस्पेंशन हम किसी भी ऑफिसर की करते हैं, यह सबसे गलत काम है। वह सस्पेंड होता है और एक दुकान खोल लेता है या अगर उसे कोई और पेशा आता है तो वह उसे शुरू कर देता है। वह उस काम में लगा रहता है और एक वकील कर लेता है। बहुत सालों के बाद वह केस भी जीत जाता है और एक अच्छा बिजनेस मैन भी बन जाता है। यह कौन सा ड्रामा है? पहले लोग सस्पेंड होते थे तो उन्हें शर्म आती थी, उन्हें हया आती थी। आजकल सस्पेंड होने को वह ठाठ-बाट समझता है, बहुत अच्छा समझता है और लोग भी उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं। आज जमाना बदल गया है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी आपसे विनती है कि सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, अगर किसी में दम है तो डिसमिस की बात करे। जब तक आप इन्हें सस्पेंड करेंगे, तब तक ये कारनामे करते रहेंगे और इन्हें कोई नहीं रोक पायेगा।

महोदया, मुझे मौका मिला, मैं हैल्थ एवं मैडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, मैं यादव साहब को भी सुनाना चाहता हूँ, मैंने 231 डाक्टरों को डिसमिस किया जो जम्मू-कश्मीर राज्य में काम नहीं करते थे। यह इस देश का रिकॉर्ड होगा। मैंने पूरे कायदे-कानून बनाकर उन्हें डिसमिस किया, उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है और नये बच्चे जो खजल हो रहे थे, जो हॉस्पिटल खराब थे, वे सारे ठीक से चलने शुरू हो गये हैं। आपको सख्ती करनी है, कोई लाड-प्यार नहीं करना है, कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, किसी से कोई हमदर्दी नहीं करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंसफ जब भी किसी ने करना है, उसको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि जब मैं बेईमान हूँ, मैं मिला हुआ हूँ और 25 खा रहा हूँ तो नीचे वाला तो 75 तो सारा खा ही गया। बदनामी हो गई। मेरी जनाब से विनती है और हम नेशनल रूरल इंफ्लायमेंट गारंटी एक्ट की बात कर रहे हैं। मेरे एक



भाई ने क्रिटिसाइज़ किया। मैं उस क्रिटिसिज़्म में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हमारे इलाके में जो लेबर्स जो बिहार से और दूर-दराज इलाकों से चलकर हमारे इलाकों में आती थी जम्मू कश्मीर में, वह बंद हो गई। इसका मतलब यह है कि काम मिला है। **Do not criticise.** हमारे इलाकों में गांवों का आदमी जहाँ आता था बंदरगाहों पर, जहाँ नीचे जाता था बड़े बड़े पोर्ट्स पर, बड़े बड़े मार्केट्स में काम करता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लोग भी अपने घरों में रुक गए, काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। सरकार की पालिसीज़ हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। **It is a beautiful policy.** जिसके पास मकान नहीं है, उसकी पहचान भी नहीं है। कौन कहेगा कि कहाँ का रहने वाला है। स्कीम का मकसद ही यही है कि कोई आदमी से पूछा जाए कि कहाँ के रहने वाले हो, तो वह कहे कि मैं फलां गाँव का रहने वाला हूँ। क्योंकि उसका गाँव वहाँ है। जिसका घर ही नहीं है, उसकी कहाँ की पहचान है, कौन जानेगा कि यह आदमी कहाँ का रहने वाला है? इसलिए यह स्कीम जो आई है, आपने छोटे लैवल की बनाई है। जितनी तादाद में बीपीएल हैं, जितनी तादाद में उस पंचायत में गरीब हैं, उस गाँव में हम क्या करते हैं कि दो घर दे दिये एक पंचायत में। अब दो घर और उन दो घरों की एक्सप्लाइटेशन। दो घरों से पैसा क्यों लिया जाता है कि पचास घर बीपीएल के वहाँ हैं। अगर पचास घर नहीं होते, सिर्फ दो घर होते तो शायद उनको सौ प्रतिशत पैसे मिलते। उनको सौ प्रतिशत पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि वे दो नहीं थे पचासों थे। **They are demanding for amount.** उन्होंने करप्शन कर ली, पैसा खा लिया।

हमने एक और बात सुनी क्रिकेट के स्कोर के बारे में। आज स्कोर बनाकर रखा है। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राम सेवक और बीडीओ महकमा। इनका स्कोर कम था। जिसको निकालना है, उसकी एक बिंदी डालनी है थोड़ी सी, फिर कहेंगे कि उसका कोई स्कोर ही नहीं है। मेरा एक्सपीरियेन्स है, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं पैदल चलने वाला इंसान हूँ। सारी दुनिया देखती है, हम लोग सारे एमपीज़ और आप भी देखते हैं। एक भाई ने अभी कहा कि पार्लियामेंट में एसी में बैठकर फ़ैसला नहीं होता, क्या बात करते हो, एसी में आप कितने दिन बैठोगे? शाम को ट्रेन पकड़ेंगे और अपने अपने गाँव पहुँच जाएंगे। **We are criticising ourselves.** मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लोक-लाज न होती, डेमोक्रेसी न होती, मैं जनाब को कहना चाहता हूँ कि एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका कुर्ता पकड़कर एक गरीब आदमी हिम्मत से बात करता है कि मेरी बात सुनो। कभी आईएएस के कुर्ते को हाथ लगाकर दिखाओ, किसी अधिकारी के कुर्ते को हाथ लगाकर दिखाओ, वह थाना दिखा देगा, अंदर घुसेड़ देगा, उसकी बीपीएल की एसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन फटा कपड़ा पहने हुआ आदमी हमारे गले में चिपटा होता है, हम चिपटाते हैं। मैं कहता

हूँ कि बीपीएल की जितनी रहनुमाई हम लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता है। गलती कहीं होती है। अगर आपके पोलिटीशियन्स की इनवाल्वमेंट नहीं होती, बीपीएल की लिस्ट बनते समय वह बता सकता है क्योंकि **he visited. He is visiting** और हर इलाके में घूमने वाला इंसान - एक एमपी और एक एमएलए और वहाँ का रहने वाला इंसान बेहतर जानता है कि वह कौन आदमी है, उसे कोई नहीं पूछेगा, चाहे सरकार मायावती की होगी या चाहे सरकार मेरी होगी, चाहे सरकार किसी और की होगी, यह न सोचें कि मेरी सरकार ने ऐसा कर दिया, उसकी सरकार ने ऐसा कर दिया।

MADAM CHAIRMAN: Please conclude.

CHAUDHARY LAL SINGH : I am going to conclude. सीन बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। मेरी आपसे वितनी है कि गवर्नमेंट ने आठ-दस पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं लेकिन हमें इसको कैसे मज़बूती से लागू करना है, वह सोचने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री देना चाहते हैं, मिड डे मील भी देते हैं, खिलाते भी हैं कि जाइए स्कूल पढ़िये और स्कालरशिप भी देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वहाँ टीचर्स क्या देते हैं? वहाँ क्या क्या देते हैं? किस स्टेट की बात करें, किस राज्य की बात करें, और वह एजुकेशन लेने जाता है, उसके माँ-बाप का भी इंटरस्ट नहीं होता मैं आपको क्या सुनाऊँ जो हालत हमारी बनी हुई है, मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेहरबानी करें। यह मेरा लास्ट पॉइंट है। जो आदमी मर जाता है, जिस फ़ैमिली का सोर्स मर जाता है, जिस फ़ैमिली में तुफान और भूचाल आ जाता है, जिस फ़ैमिली में आगजनी हो जाती है, उस घर वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका सोर्स खत्म हो जाता है। मैंने बड़े-बड़े दुकानदार देखे हैं। जो लोग इम्प्लायी हैं, वह मर जाएंगे तो उनके घर वालों को ठीक-ठाक पेंशन मिल जाती है, लेकिन मिडल क्लास का व्यापारी जब मर जाता है, तो उसका सारा काफ़िला लुट जाता है। मेरी जनाब से विनती है कि हम जो पेंशन देते हैं **which is not enough. The pension is very meagre.** दो-ढाई, तीन सौ रूपये भी क्या कोई पेंशन है? मेरी जनाब से विनती है कि बीपीएल को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम गलत है। इसके अलावा बीपीएल के लिए मिनीमम पेंशन पांच हजार रूपये होनी चाहिए, ताकि उसका घर चल सके। जब आप असल में बीपीएल ढूँढ़ेंगे तो कम मिलेंगे और सही मिलेंगे, लेकिन जब आप गलत करोगे तो जितनी मर्जी स्कीमें बना लो, कुछ नहीं होगा।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam Chairman, for permitting me to participate in the discussion on the Resolution moved by our senior and experienced Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh. I welcome the Resolution for

estimation of people Below Poverty Line and for the eradication of poverty by means of providing employment, providing quality education, providing training, providing pension, etc.

MADAM CHAIRMAN : Because we have to conclude at 5 o'clock, please conclude in just five minutes. I am giving time to everyone who wants to speak, but just five minutes.

SHRI S. SEMMALAI : Various yardsticks were formulated for the estimation of Below Poverty Line. Poverty line estimates have not been scientifically done so far. The Planning Commission has adopted a methodology which has also been questioned by the critics. Suresh Tendulkar Committee estimates of poverty at 42 percent; Saxena Committee estimates are around 51 per cent. The Report of the National Commission states that 77 per cent of our people live on Rs.20 a day.

I feel that no scientific estimate has been evolved to define Below Poverty Line. The benchmark of the estimate made by the Planning Commission was fixed over four decades ago on the idea of calorie intake of male and female in urban and rural areas. I feel that it is the right time to constitute a committee of experts to look into the issue afresh for defining BPL, so that the benefits offered by the Government would reach the targeted people. Already two committees have been constituted – one by the Ministry of Rural Development and the other by the Planning Commission. They have given their recommendations which have to be taken into account.

My concern is that hundreds of crores of subsidy given by the Government should reach the real beneficiaries. According to the Budget documents 2010-11, major subsidies doled out by the Government are around Rs.1,24,786 crore as per the Revised Estimates of 2009-10. For the current year, major subsidy amounts to Rs.1,00,992 crore meant for the economic upliftment of the poor. However, I am sorry to say, even 50 per cent of the subsidy amount does not reach the poor. There are many leakages and slippages and inefficient delivery mechanism. I fear, if these obstacles are not removed, the development process will not reach the

poor. I strongly suggest that a rational scientific estimate of Below Poverty Line should be evolved, so that the deserving people will get the benefit and duplicity is avoided. I hope the Government will act in the right earnest taking into account my views in this matter.

The key to elimination of poverty is education, more particularly, women education. Our performance in this regard is very poor. I hope that the Right to Education Act will bring in a revolutionary change in the education scenario of women in particular as education of women leads to empowerment, limiting the family size and better health of the family.

In China, there is a proverb that instead of giving a dried fish piece to a hungry man, give him a bait. Similarly, with the meaning of the proverb, please provide our people quality education, which will pave the way for gainful employment and also make them self-reliant. Till then, it is the duty of the Government to provide welfare measures to the families below the poverty line. I think that this is the objective of the Resolution moved by the hon. Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

So, I appeal to the Government to take note of the views aired by our Members during the discussion on the Resolution and implement them as far as possible.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा जो यह संकल्प लाया गया है कि सन् 2015 तक इस देश से गरीबी समाप्त होनी चाहिए, इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे प्वाइंट्स पर बोलना चाहता हूँ। 1997 में बीपीएल का चयन हुआ, सन् 2002 में दूसरी सूची बनी और एक सुओ मोटो राइट मिला। अगर चयन में गड़बड़ी हुई तो एक फर्स्ट और सैकेंड अपील का अधिकार मिला। यह सिस्टम चयन की प्रक्रिया में हुआ। चयन में गड़बड़ रही। मेरा इसमें सुझाव है कि एसडीएम के लेवल पर अपील सुनने का जो अधिकार है, उसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि एसडीएम प्रभावित हो जाता है। वह पोलिटीकल कारणों से प्रभावित हो जाता है, उसका लेवल भी कुछ कम है, इसलिए भी वह प्रभावित हो जाता है। यह बात अलग-अलग स्टेट में उठी थी कि अगर बीपीएल सूची में गड़बड़ है तो किसे अपील करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपील करने के अधिकार की बात आई थी। मैं उसमें सुझाव देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत बिज़ी रहता है। डिविज़नल कमिश्नर नाम का एक अधिकारी जिले में रहता है, वह तीन-चार जिलों को कवर करता है, कई जगह पांच-छः जिले होंगे। अगर अपील का यह अधिकार उसे दे दें तो वह कम प्रभावित होगा और अपील डंग से सेटल हो जाएगी। अभी यह स्थिति है कि आपने अपील कर दी और उसमें आपने टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं दिया कि यह अपील उसने कब तक आपको सेटल करनी है। उसमें वह छः- सात महीने भी लगा सकता है। म्युनिसिपैलिटी एवं बीडीओ से रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए अपील सुनने का अधिकार बड़े अधिकारी को दिया जाए और उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दिया जाए तो बीपीएल सूची में कुछ सुधार हो सकता है। सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है।

सभापति महोदया, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि बीपीएल सूची में ये नये-नये फार्मूले रोज लगाते हैं। मैं एक थंब रूल की बात करता हूँ कि जिसका भी कच्चा मकान है, उसे क्यों नहीं बीपीएल में सम्मिलित कर लें। ऐसा एक रूल बनाया जा सकता है और उसके साथ कई अन्य पैरामीटर जोड़े जा सकते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां पर कच्चे मकानों में लोग रहते हैं। अगर कोई पांच फ़ैमिली का परिवार है, उसका अगर एक मकान पक्का है और बाकी कच्चे हैं तो उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ये मोटे-मोटे फार्मूले हैं, जिसके कारण हम बीपीएल सूची को ठीक कर सकते हैं। उसमें अगर गड़बड़ होती है तो बड़े अधिकारी को अपील देकर, उसमें टाइम बाउंड निश्चित कर दें तो बीपीएल सूची में सुधार हो सकता है।

सभापति महोदया, तीसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि बीपीएल सूची के जो लोग हैं, वे अधिकतर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में लगे हुए हैं। उनके पास हाथ का हुनर है। कोई ब्लेकस्मिथ, गोल्ड और सिल्वर वर्क में लगा है तथा कोई ब्लू पोर्ट्री, चूड़ी का काम करने में लगा है, कोई पेंटिंग एवं प्रिंटिंग में लगा है,

कोई जूट बैग बना रहा है, कोई यूटिलिटी आर्टिकल, कार्पेट, वूडन और ऑयरन फर्नीचर बना रहा है, वे हाथ का हुनर जानने वाले लोग हैं। इस प्रस्ताव में यह दिया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए।

सभापति महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आप जितनी ज्यादा बीपीएल के लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनके हाथ के हुनर की कॅपेसिटी बढ़ेगी, स्कील डेवलपमेंट होगा और वे कमाने लायक बन सकते हैं।

सभापति महोदया, इस प्रस्ताव में जो छात्रवृत्ति देने की बात है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें से अगर 'इप्स' और 'बट्स' हटा दें, तो सभी योजनाएं ठीक प्रकार से चलेंगी। जैसे अभी पेंशन की बात आई और कहा गया कि यह योजना शुरू कर दी गई है, लेकिन इसमें लिख दिया है कि उसकी दो एकड़ जमीन नहीं होनी चाहिए। विधवा है, तो आपने उसमें लिख दिया कि उसके कोई कमाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो आपने इसमें लेकिन, किन्तु और परन्तु जैसे शब्द लिख दिए हैं, ये हटने चाहिए। बूढ़ा, बूढ़ा होता है और विधवा, विधवा होती है। उसे पेंशन मिलनी चाहिए।

महोदया, अन्त में, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो विदेशों, मिडल ईस्ट या कहीं भी जाकर अपना काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। बी.पी.एल. की सूची में भी सुधार हो सकता है और जब उन्हें रोजगार मिलेगा, तो बी.पी.एल. की संख्या भी कम हो सकती है और दरिद्रता भी मिट सकती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 तक देश से गरीबी का उन्मूलन किया जाए और सीधे ही पाइंट पर आना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर जो बायोमैट्रिक कार्ड बन रहा है, उसमें अगर आय चिन्हित हो जाए, तो बी.पी.एल. आदमी चिन्हित हो जाएंगे। गरीबी की कोई जात नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति गरीब हो सकता है। गरीबी को हटाने के लिए हमें आर्थिक रूप से आरक्षण लाना होगा। इसके साथ-साथ बी.पी.एल. लोगों को चिन्हित करने हेतु नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी नियुक्त करनी होगी, ताकि बी.पी.एल. वाले चिन्हित हो जाएं।

महोदया, हमारे उत्तराखंड के अन्दर इतनी गरीबी है कि लोग रोटी बनाते हैं और उसे नमक के साथ खाते हैं। वहां एक घास होती है, जिसे बिच्छू घास या कंडली कहा जाता है। जब लोगों के पास सब्जी नहीं होती, तो लोग बिच्छू घास अथवा कंडली को खाते हैं। इस प्रकार की गरीबी हमारे उत्तराखंड में व्याप्त है। इसलिए उन्हें चिन्हित किया जाए और यह सरकार की जिम्मेदारी हो। मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए कहूंगा कि -

“पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, संकल्प से कोई गंगा निकलनी चाहिए
मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग
लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी यह कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए।”

इस संकल्प से सूरत बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदया, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया। उस समय उन गरीब लोगों के मन में एक आकांक्षा जगी थी और एक विश्वास उत्पन्न हुआ था कि अब सरकार ने हमारी तरफ रुख किया है और अब हमारी दशा-दिशा बदलने वाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजादी को 63 वर्ष हो गए, लेकिन हम लोग, गरीबी को क्या दूर भगाएंगे और क्या हटाएंगे, अभी तक हमने सही तरीके से इस देश के अंदर गरीबी और गरीबों की पहचान तक नहीं की है। गरीबी घटने के बजाय बढ़ रही है।

महोदया, देश में व्याप्त गरीबी की जांच करने के संबंध में कई समितियां बनीं और उनकी रिपोर्ट्स आईं। सक्सेना कमेटी है, तेन्दुलकर कमेटी है और अर्जुनसेन गुप्ता कमेटी है। सबकी रिपोर्ट अलग-अलग हैं। किसी ने गरीबी के प्रतिशत को कुछ आंका है और किसी ने कुछ आंका है। भारत सरकार की जो सबसे ताकतवर एजेंसी यानी योजना आयोग है, उसका कहना है कि देश के अंदर मात्र 23 प्रतिशत गरीबी है। जब तक हम गरीबों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम गरीबी हटाने के बारे में किस प्रकार से सही कदम बढ़ा पाएंगे, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ?

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, तो इस देश में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसे बिना किसी भेदभाव और राजनीति के गरीबों की पहचान करनी चाहिए। अभी जैसे बी.पी.एल. का बोला है...(व्यवधान)

17.00 hrs.

सभापति महोदया : माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठें। चूंकि अभी दो सदस्यों का बोलना बाकी है और माननीय मंत्री जी का भी उत्तर बाकी है, इसलिए यदि सदन की इच्छा हो तो सदन का समय इस चर्चा के लिए आधा घण्टा बढ़ा दिया जाये।



...(व्यवधान)

सभापति महोदया : इसीलिए कि दो सदस्य महोदय और मंत्री महोदय को बोलना बाकी है।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदया : सदन का समय इस चर्चा पर आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप जो समय बढ़ा रही हैं, उससे दूसरे प्रस्ताव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): भोला सिंह जी, हम आपका रैजोल्यूशन आज शुरू करेंगे। ... (व्यवधान)

सभापति महोदया : आप चिन्ता न करें, इसकी हमें भी चिन्ता है।

अब आप जल्दी समाप्त करें, कन्क्लूड करें।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदया, मैं कह रहा था कि अभी तक हम लोगों ने देश के अन्दर गरीबों की पहचान नहीं की है। अब जहां तक बी.पी.एल. का सवाल है, गरीबी की रेखा के नीचे कौन है, इसके लिए योजना आयोग ने, भारत सरकार ने जो मानक तय किये हैं, उन मानकों के आधार पर, मैं जिस प्रदेश से चुनकर आता हूं, बिहार के औरंगाबाद से, उस प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं... (व्यवधान)

सभापति महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि योजना आयोग के और भारत सरकार के मानक के आधार पर बिहार में गरीब परिवारों की संख्या सर्वे के आधार पर 1.5 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और योजना आयोग का कहना है कि बिहार में मात्र 65 लाख परिवार ही गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दोनों चुनी हुई सरकारें हैं, एक भारत सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है, दोनों के बीच में यह किस तरह का कंट्राडिक्शन है? इसके बीच में गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब दोनों के बीच में पिस रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि जो पहचान, जो सर्वे हुआ है, जिसके तहत बिहार में 1.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे चिन्हित किये गये हैं, उसके आधार पर बिहार में गरीबों को अनाज का वितरण किया जाना चाहिए। उसके आधार पर भारत सरकार को कोटा निर्धारित करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो इस देश में अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब प्रदेश में लोग भूखों मर रहे हैं। भारत सरकार को यह चाहिए, मैं सुझाव देना चाहता हूं... (व्यवधान) मैडम, मैं एक मिनट में कन्क्लूड करना चाहूंगा, कृपया मुझे मौका दें। मैं कह रहा था कि एक तरफ तो अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लोग भूखों मर रहे हैं। भारत सरकार उनकी दशा-दिशा पर विचार करे और जो अनाज सड़ रहा है, उस अनाज में से प्रदेश सरकार को आबंटित करे और गरीबों को राहत दे।

महोदया, अभी बिहार में भयंकर सूखा है। बिहार में पिछले कई वर्षों से बाढ़ और सूखे के कारण तबाही मची है। इस वर्ष भी स्थिति और खराब है, इसलिए भी मैं भारत सरकार को कहना चाहूंगा कि जो अनाज आपके गोदामों में और गोदामों के बाहर सड़ रहा है, बिहार में भयंकर सूखा है, केन्द्र सरकार

की टीम भी वहां गई है और उसने भी माना है कि बिहार में इस वर्ष सूखा पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जो अनाज वितरित किया जाता है, मैं कल की बात कह रहा हूं, मैं कल अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपको मालूम है न कि एक मिनट क्या होता है?


श्री सुशील कुमार सिंह : मैडम, मैं क्षमा चाहूंगा-बस एक मिनट। यह गरीबों के पक्ष की बात है, गरीबी की बात है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगले माननीय सदस्य भी बिहार के ही बोलने वाले हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं क्षमा चाहूंगा। मैं औरंगाबाद जिले के नवीनगर ब्लॉक के सत्ता गांव में गया था, वहां पी.डी.एस. का डीलर अनाज वितरित कर रहा था। जब मैंने उस अनाज को अपने हाथ में उठाकर देखा तो न तो गेहूं खाने के लायक था और न चावल खाने लायक था। मैं उसके नमूने को उठाकर ले आया और जिला कलेक्टर को दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वह अनाज आदमी तो क्या, जानवर नहीं खा सकता, इसलिए मेरा सुझाव होगा कि सरकार यदि उनकी स्थिति पर तरस खाती है तो उनको अनाज के बदले नकद राशि सब्सिडी के रूप में दे दें, उनको सहायता के रूप में दे दें तो वे उस पैसे से अच्छा अनाज बाजार से खरीद लेंगे, लेकिन घटिया अनाज उनको मिल रहा है।

एक तरफ कहा जाता है कि हम यह उनको राहत के रूप में दे रहे हैं और दूसरी तरफ वह खाने के लायक नहीं है।

सभापति महोदय : रामकिशुन जी, आपकी ट्रेन चूक गयी। ...(व्यवधान) अभी पांच मिनट के लिए जगदीश ठाकोर जी का नाम लिया गया है। इनके बाद आपका नंबर है।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): आप जब मुझे समय देंगी, मैं  बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर।

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): माननीय सभापति महोदया, माननीय रघुवंश प्रसाद जी देश की मूलभूत समस्या के सवाल की चर्चा का संकल्प लेकर आए हैं। मैं आपके द्वारा रघुवंश प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। हमारे यहां काफी फरियादें रहती हैं और सदन के सभी सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि बीपीएल की सूची सभी प्रदेशों में काफी गलत बनी हुयी है। इस समस्या का समाधान क्या है? जो आवास योजना हम चलाते हैं, उसमें रेवेन्यू रिकार्ड हम सही करते हैं। इसमें भी रेवेन्यू रिकार्ड देखा जाए, पंचायत का रिकार्ड देखा जाए और उसके पास नौकरी वगैरह की क्या सुविधायें हैं, वह देखनी चाहिए।

17.06 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

सभापति जी, मैं यह बात इसीलिए बता रहा हूँ कि गुजरात में जब गरीब मेले चल रहे थे, तब पता चला कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी बीपीएल यादी में थे। अहमदाबाद जैसे पचहत्तर लाख की आबादी वाले शहर के मेयर का नाम भी बीपीएल सूची में था। जो समारोह होते हैं, जिनमें बीपीएल के नाम पर सहायता दी जाती है, वह चाहे सहकारी बैंक का कर्मचारी हो, उसके पास बीस बीघा जमीन है, उसके पास पक्का मकान होने के बावजूद भी, बड़े समारोहों में उसे सहायता दी जाती है। ऐसे लोगों पर कुछ रोक लगनी चाहिए। बीपीएल सूची के जो नियम या प्रावधान बने हैं, उन प्रावधानों को तोड़कर जो उसका लाभ लेता है, उनको दंड दिया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय सभापति जी, हम जब भी विस्तार में दौरे पर जाते हैं, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि सही लोग जिनको बीपीएल में होने चाहिए थे, वे नहीं हैं और पैसे वाले, जमींदारी वाले, पक्के मकान वाले लोगों के नाम बीपीएल सूची में हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीएल सूची सही नहीं होगी और हमारे पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे, तो देश से गरीबी नहीं हटेगी। उसे हटाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बीपीएल के जो प्रावधान बने हैं, उसमें अपील का जो कानून बनाया गया है, उसमें इसके लिए एक स्पेशल अधिकारी की ड्यूटी लगायी जाए। इसके सिवाय उसके पास कुछ और काम नहीं होना चाहिए और वह सही तरह से काम करे, ऐसी व्यवस्था की जाए।

विश्व के सबसे लोकतंत्र देश की बात हम करते हैं। क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाते, जिससे सही बीपीएल की सूची बने और जो गलत लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उनको दंड दिया जाए तथा गलत सूची बनाने वाले जो अधिकारीगण हैं, उन पर कुछ दबाव बनाया जाए? ऐसा कुछ न कुछ मैकेनिज्म बना करके गरीब की बात को ध्यान में रखा जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम अपनी यह बात कहकर, समाप्त करता हूँ।

श्री रामकिशुन (चन्द्रौली): माननीय सभापति जी, आपने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को कैसे गरीबी रेखा के नीचे से वर्ष 2015 तक अलग किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, उस संबंध में माननीय वरिष्ठ नेता और सांसद डा. रघुवंश प्रसाद जी के इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।


माननीय सभापति जी, दुनिया में भारत गरीब है, भारत में गांव गरीब है और गांव में रहने वाले लोग बीपीएल सूची की गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन लोगों को कैसे गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए, इस चर्चा का मूल विषय यह है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1971 में हम छोटे थे, तब हमने एक नारा सुना था - " गरीबी हटाओ।"

उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि देश से गरीबी हटाओ, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबी नहीं हटी। गरीबों की संख्या बढ़ गई। इसकी बार-बार गणना होती है। कई आयोग बने और उनकी रिपोर्ट्स भी भिन्न-भिन्न है। व्यावहारिक पहलू अलग हैं और आयोग में आईएस रैंक के जो लोग बैठे हैं, उनके आंकड़े कुछ और बताते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में गरीबी मिटानी है, गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आपको ठोस कार्यक्रम, ठोस नीति बनानी होगी। अगर आपकी नीयत और नेतृत्व सार्थक हो, अच्छा हो तो निश्चित रूप से गरीबी कम हो जाएगी।

मैं कांग्रेस पार्टी के दो-तीन कार्यक्रमों के बारे में कहना चाहूंगा। बीपीएल कार्डधारी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना है। उस कार्ड द्वारा गरीब परिवार तीस हजार तक का इलाज करवा सकता है। लेकिन यह गरीब के नाम पर अमीर के लिए लाभ कमाने की योजना है। व्यक्ति तीस हजार का कार्ड लेकर जब डाक्टर के पास जाता है तो एक हजार-दो हजार रुपये की दवाई लेता है और बाकी पैसों का कुछ पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं कि इससे गरीबी दूर करेंगे, गरीबों की बीमारी दूर करेंगे। आपको इस पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत बनाना पड़ेगा।

मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। रघुवंश प्रसाद जी ने कहा गरीबों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, मिड डे मील आदि दिया जाता है। अगर इस देश से गरीबी मिटानी है तो आप शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत कीजिए, गरीब बच्चों को आवासीय विद्यालयों में पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। उस गांव में आवासीय विद्यालय बनाइए जो बीपीएल के नीचे हैं। उसमें उन्हें 24 घंटे रखिए। उनके खाने का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम, उन्हें पढ़ाने का काम, अध्यापक रखने का इंतजाम कीजिए।...(व्यवधान) 14 साल बाद बच्चा जब पढ़ कर निकलेगा तो उसकी काबलियत अच्छी होगी।

आप गरीबी मिटाने के लिए नरेगा में पैसा दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पैसा दे रहे हैं। आजकल रोजगार के अवसर जैसे भैंस पालने, सूअर पालने का काम है। इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। पूरा पैसा सम्पन्न वर्ग के लोग, अभी एक साथी ने कहा कि आप आवास के लिए 40 हजार, 45 हजार रुपये देते हैं। बीडीओ पैसा खा जाता है, अधिकारी पैसा खा जाते हैं और उनका आवास भी नहीं बन पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी नीयत ठीक है, नीति ठीक है तो गरीबी हट सकती है। गरीबों को मजबूत करने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा।

रघुवंश बाबू ने छोटे-छोटे उद्योग धंधे, उनकी हाथ की कारीगरी के बारे में कहा. आज गरीबों की हालत यह है कि उनके धंधे धीरे-धीरे छिनते जा रहे हैं।...(व्यवधान) आज पुरवा बनाने का काम भी फैक्ट्री में होता है, दांत खोदने वाली जो सींक बनती है, वह भी मशीन से बनती है।...(व्यवधान) कभी गरीब व्यक्ति पत्तल अपने हाथ से बनाता था, आज वह पत्तल भी मशीन से बना रहे हैं। अब मशीन किसके पास है? जो पैसे वाले बड़े लोग हैं, उनके पास मशीन है। अब मेरे बोलने पर भी बीपीएल लागू हो जायेगा। मैं सबसे कमजोर नौगढ़ क्षेत्र और अन्य नक्सली जिलों से आता हूँ। अभी हमारे उत्तराखंड के साथी सतपाल महाराज जी ने कहा कि लोग घास की रोटी खाते हैं। महाराणा प्रताप जी ने भी इस देश में स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाई थी, लेकिन गरीब स्वाभिमान के चलते घास की रोटी नहीं खा रहा। वह उसे इसलिए खा रहा है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं।  आना अनाज आपके गोदामों में सड़ रहा है। अनाज के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है, तो कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हम बीपीएल लोगों को फ्री अनाज नहीं बांटेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन गरीबों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। उनके लिए जो इंदिरा आवास, निर्मल आवास बन रहे हैं, उसके लिए आप पैसा बढ़ाइये। जब महंगाई बढ़ रही है, तो उनके आवास 45 हजार रुपये में नहीं बन सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कालोनियां बसाते हैं, तो गांवों में बीपीएल परिवारों को चिन्हित करके उन्हीं के घरों को, चाहे वह झोंपड़ी है या कच्चा मकान है, उन पर पक्के मकान बनाकर देते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी स्थिति अच्छी होगी। इसके साथ-साथ आपको उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे।

अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश में गरीबों की जो हालत है, हम जो दावे पेश करते हैं, उन सबका असर गरीबों पर पड़ रहा है। हम खेल में पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरे मदों में या फिजूलखर्ची में पैसा खर्च कर रहे हैं। गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें उनके प्रति संवेदनशील होकर कार्यक्रम बनाना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अपने लम्बे भाषणों के द्वारा आदर्शों को ही प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हमें नये सिरे से उनकी पहचान कराने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि बीपीएल लोग मोबाइल

नहीं रख सकते। आज गांव-गांव में मोबाइल दे दिया गया है। ...(व्यवधान) मैं आपको उनको मानक बता रहा हूं। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मोबाइल नहीं है, चाहे वह गरीब ही हो। ...(व्यवधान) आपने मोबाइल का बाजार तैयार कर दिया। अब हर गरीब से बड़े-बड़े उद्योगपति मोबाइल द्वारा अपना पैसा ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उनके पास मोबाइल है, इसलिए वह गरीबी की रेखा से नीचे नहीं आता, तो यह भी उचित नहीं है। आज छोटा पोर्टेबल टी.वी. गांव-गांव में पहुंच गया है। यह मानक भी आपको बदलना पड़ेगा। आप बीपीएल के लिए जो मानक रखते हैं, उन मानकों को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं चाहे सेनगुप्ता रिपोर्ट हो, तेंदुलकर रिपोर्ट हो, सिन्हा रिपोर्ट हो ...(व्यवधान) योजना आयोग की रिपोर्ट हो। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। उन सारी रिपोर्ट्स में गरीबों के आंकड़े ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आज देश की आधी आबादी यानी 37 परसेंट से 40 परसेंट तक गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं। आप रोजगार दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वह रोजगार उन तक देने के लिए हजारों रुपया खर्च करते हैं। देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम गरीबों के लिए सौ रुपया भेजते हैं जबकि उन तक केवल दस रुपये ही जाते हैं। ...(व्यवधान) आखिर यह क्यों हो रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए, चिन्ता करनी चाहिए। आपको इस प्रस्ताव के पक्ष में होकर यह निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर हम एक हजार रुपया गरीब को दे रहे हैं।...(व्यवधान) अगर सौ दिन का काम गरीबों को देते हैं, तो एक हजार रुपये के हिसाब से उनका दस हजार रुपया हुआ। अब 365 दिन में उनकी प्रतिदिन कितनी आय हुई, क्योंकि दस हजार रुपया उनको साल भर में मिलता है। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पहले ही पन्द्रह मिनट ले लिये हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : अब 365 दिनों में दस हजार रुपया कितना हुआ? ...(व्यवधान)

उनकी पर डे 30 रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत बड़े चिंतक और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री, सांसद सम्मानित डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक ऐसा संकल्प देश की सबसे बड़ी पंचायत में लाने का काम किया है जिस पर 18 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि देश से गरीबी जानी चाहिए। जब तक हमारा देश गरीबी से मुक्त नहीं होगा, तब तक हम अपने अन्तिम लक्ष्य को नहीं छू सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों की बातें मैंने सुनी हैं, सबके मन में यह बात है, हर वक्ता ने जहां एक सवाल खड़ा किया, वहीं उन्होंने उसका निदान भी दिया क्योंकि हमें इस समस्या से निदान पाना है। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म लिया, मेरे पिताजी सरकारी विभाग में रेलवे ड्राइवर थे। वहां रनिंग स्टॉफ के लिए एक डायरी मिलती थी, वह जब भी ड्यूटी पर जाते थे, उस डायरी पर हमेशा मैंने उनको यह लिखते देखा कि हे ईश्वर, दीनता के बिना जीवन, कष्ट के बिना मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् मुक्ति प्रदान करना। दीनता या गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज उस दीनता से हम कैसे देश को निजात दिलाएं, उसके लिए डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक दिशा दी और उस दिशा पर यह सरकार पहले से ही निरंतर कार्य करती आ रही है। उनको बहुत अनुभव है और जिस तरह से आज देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनका चिह्नांकन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस सरकार में योजना आयोग गरीबी संख्या का निर्धारण करता है और गरीबी संख्या का निर्धारण करने के लिए पूरा एक वैज्ञानिक फार्मूला है जिसके आधार पर एनएसएसओ 1,25,000 घरों के अंदर, पूरे देश के हर राज्य में, चूंकि हमारे देश में सात लाख से ज्यादा ग्राम हैं, 2,52,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, सैम्पल के आधार पर सर्वे करने के लिए उनका एक क्राइटेरिया है जिसमें 260 प्रश्न हर परिवार में जाकर वे पूछते हैं। इस आधार पर एक सर्वे होता है और इसके आधार पर गरीबी की संख्या का निर्धारण होता है। हमारे मंत्रालय का कार्य उसके तरीके का निर्धारण है कि कौन से वे लोग हैं, राज्य के अंदर, उस गांव के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो गरीबी की सीमा में आते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए लगातार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से चाहे हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखें, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखें या 11वीं पंचवर्षीय योजना देखें, प्रयास किया जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर दिनोंदिन जनसंख्या बढ़ रही है। आज हमारी आबाद 120 करोड़ के करीब होने वाली है और ऐसे में वह तरीका जिसके माध्यम से हम गरीब व्यक्ति की सही ढंग से पहचान करें, उसके लिए सतत प्रयास चलते रहते हैं। इस विषय पर सभी वक्ताओं ने लगभग चार घंटे चर्चा की है, इसके लिए आधे घंटे का समय आप और बढ़ाएं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हम लोगों को मिलकर इस बात पर एक

मन बनाना है कि किस ढंग से हम, किस तरीके से हम सही गरीब व्यक्ति की पहचान करें। सबसे पहला प्रश्न डा. रघुवंश बाबू ने जो किया, मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसका जवाब भी उन्हें मालूम है। उन्होंने पूछा था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना या उनकी पहचान इतने विलम्ब से क्यों हुई है। सन् 2002 के बाद जब बीपीएल की सेंसेस हुई थी, तब कुछ गलत लोगों के नाम उस सूची में जुड़ गए थे। जब उनके नाम हटाए जाने लगे, तो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। सन् 2003 में सुप्रीम कोर्ट में लगातार उस पर बहस चली, पक्ष और विपक्ष को उन्होंने सुना और 2006 में वह रोक हटाई गई। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस पर काफी चिंतन और मंथन हुआ। उस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह स्वयं मंत्री थे। उस समय एक विचार आया कि कैसे इनकी सही संख्या हो और कैसे सही व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, उसे लाभ पहुंचे। हमारे देश में यह व्यवस्था है कि संख्या का निर्धारण योजना आयोग करता है और परिवारों का निर्धारण घर-घर जाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस बारे में उनसे काफी पत्राचार हुआ, जो 2007 तक चला। मंत्रालय में इस बारे में मंथन हुआ और उसके कई दौर चले।

मंत्रालय की एक अवधारणा थी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालय भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। इसलिए योजना आयोग एक कमेटी बनाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को ही इसका निर्धारण करना है। इसलिए 12 अगस्त, 2008 को डा. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति गठित की गई। उसे सारी टर्म्स एंड रेफरेंस दी गई थीं, जिनके आधार पर 21.8.2009 को मंत्रालय को प्रेषित किया।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि गरीब व्यक्ति देश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सरकार का प्रारम्भ से ही यह मानना है, चाहे हम आजादी के दिन को याद करें, जब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने देश को कहा था कि यह आजादी देश के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए आशा की किरण साबित होगी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि हमें गरीबी हटानी है। इस बार भी हमारी सरकार ने आम आदमी के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। आम आदमी की सही ढंग से पहचान हो, उसके लिए मंत्रालय ने उस कमेटी की रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल दिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अधिकारियों से कहा गया कि कमेटी ने इनकी पहचान के लिए जो नीति बनाई है, जो इसकी रिकमंडेशंस हैं, उन पर आप सुझाव दें।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में काफी सुझाव आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हर राज्य की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति है। इसलिए उसी राज्य के व्यक्ति बेहतर ढंग से जानते हैं

कि उनके यहां जब गणना होगी, पहचान होगी, वह किस आधार पर होनी चाहिए। हमें 16 राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए। उसके पश्चात् मंत्रालय ने उन सुझावों पर दो बार मीटिंग बुलाई और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की। पहली मीटिंग 2 मार्च, 2010 को हुई और दूसरी मीटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप के साथ 21 जुलाई, 2010 को हुई। इन मीटिंग्स में सबका उद्देश्य यह था कि इस बार जो पहचान हो, वह बिल्कुल सही हो। हमें पूरे देश के अंदर वास्तविक गरीब का पता लगाना है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे मंत्रालय ने एनआईआरडीए के अंदर एक मीटिंग बुलाई, जिन्हें पहचान करनी है, जिन्हें घर-घर जाकर सर्वे करना है। अगर देश में इनकी पहचान करनी है।

तो वह केवल योजना आयोग या भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से हम हर गांव में नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें राज्यों का सहयोग आवश्यक है। हम लोगों ने एक मीटिंग पिछले महीने की थी और उस मीटिंग के बाद एनएसएसओ के माध्यम से देश के 260 गांव रैंडम आधार पर लिये कि इन गांवों के अंदर एक व्यक्ति जिसकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्षमता दे रहे हैं, वह किस तरह से वास्तविक गरीब का पता लगाए? हमने ट्रेनिंग देने के पश्चात्, उनके माध्यम से यह चाहा कि पूरे 260 गांवों में, देश के हर राज्य के लोगों की समयबद्ध सीमा में, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गणना हो जाए। हम लोगों ने 150 करोड़ रुपये की धनराशि भी राज्यों को अवमुक्त की।

प्रो. एनसी सक्सेना की जो रिक्मेंडेशन थी और बहुत सारे हमारे माननीय सांसदों ने जो बात कही कि एक नजर में कौन व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है, कौन व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, यह एक नजर में पहचान में आना चाहिए। आज जो हर जिले में धरना-प्रदर्शन होता है, जब भी हमारे माननीय सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं और लोग शिकायत करते हैं कि उस व्यक्ति के पास कार है, उस व्यक्ति के पास बंगला है, फिर भी वह गरीबी रेखा के नीचे की सूची में है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक जगह के महापौर और एक जगह के बहुत बड़े अधिकारी भी गरीबी रेखा से नीचे की सूची में थे। उसके लिए हम लोगों ने जो प्रो. एनसी. सक्सेना की रिक्मेंडेशन है, वह इतनी पारदर्शी हैं, इतनी अच्छी हैं कि अगर उनका अनुपालन हो जाए तो हम वास्तविक गरीब परिवार के सामने पहुंच जाएंगे।

आज गरीब परिवार की सूची में कौन व्यक्ति नहीं आ सकता है, किसको हम उस सूची से निष्कासित करें, उसके लिए हम लोगों ने एक क्रीटेरिया बनाया है। वह व्यक्ति जो गांव में रहता है और उसकी जिले में भूमि का जो औसत है, सिंचित भूमि अगर दोगुनी है और असिंचित तीन गुनी है तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल नहीं करेंगे। हम उस व्यक्ति को भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं मानेंगे जो आयकर देता हो, जो सरकारी विभाग में काम करता हो। उस व्यक्ति को भी हम गरीबी की रेखा के

नीचे नहीं मानेंगे जिसके पास कोई ट्रेक्टर है। हमारी मंशा यही है कि पहली नजर में वह व्यक्ति जो गलत पात्रता के आधार पर अभी तक लाभ उठाते रहे, वे लाभ उठाना बंद कर दें।

हम इसमें किन लोगों को जोड़ेंगे? जिस परिवार की मुख्या एक महिला है, उसे पहली नजर में हम इस सूची में शामिल कर लेंगे। वह व्यक्ति जो पूर्व-निर्दिष्ट आदिम-जनजाति समूह का है या वह परिवार जो पूर्व-निर्दिष्ट महादलित समूह का है, जिसकी मुख्या एक महिला हो, जिसके परिवार के अंदर घर चलाने वाला व्यक्ति विकलांग हो, जिस परिवार के पास कोई आवास नहीं है, जिस परिवार के मैम्बर बंधुआ-मजदूर हों।


श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी, आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, दलित शब्द पर मेरा एतराज है, इस दलित शब्द को हटाकर अनुसूचित जाति कर दीजिए।

श्री प्रदीप जैन: जी, एक्चुअली वह रिपोर्ट के अंदर था...(व्यवधान) ठीक है!...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। प्रदीप जी, आप कितना समय और लेंगे।

श्री प्रदीप जैन: आधा घंटा और बोलेंगे। इससे कम में तो हम पूरा जवाब दे नहीं पायेंगे। बाबू जी के पाइंट तो कम से कम पूरा कर दें।...(व्यवधान) 25 मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री प्रदीप जैन: महोदय, इसके अलावा हमारे 13 पैरामीटर थे, जिनके आधार पर हम बीपीएल फैमिली को जोड़ते थे, वह भी परिवर्तित करके, हम लोगों ने एससी-एसटी के लिए तीन अंक, अधिसूचना से बाहर की गई जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए दो अंक रखे हैं। हमारे मुस्लिम भाई और बैकवर्ड वर्ग के लिए एक अंक रखा है। भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए चार अंक रखे हैं। वह कृषि मजदूर जिसके पास 30-40 डैसीमिल, उसके लिए तीन  हैं और जिसे कभी-कभी मजदूरी मिलती है, उसके लिए दो अंक रखे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, वह परिवार का मुखिया है, उसके लिए हमने एक अंक रखा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहली नजर में ही उन व्यक्तियों को हटा दिया जाए और दूसरा, उनकी मार्किंग के आधार पर जिनके ज्यादा अंक हैं, उनको हम बीपीएल की सूची में जोड़ लें। इसमें हमने एक प्रावधान और किया है, चूंकि सभी सदस्यों की एक ही चिंता थी कि एक लिस्ट बनती, एक दबाव के आधार पर, यदि वहां कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, वह प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, वह प्रभावशाली व्यक्ति इतना सम्पन्न है कि लिस्ट को प्रभावित न कर सके, इसके लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत की मीटिंग में यह प्रयास किया है कि पहली लिस्ट वहां से बनेगी। जब ग्राम पंचायत में कोई लिस्ट बन जाएगी, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो हम उन्हें ब्लॉक लेवल पर भेज

देंगे। ब्लॉक से दूसरे ग्राम के जो सरकारी अधिकारी हैं, किसी राज्य में पंचायत सैक्रेटरी हैं, किसी राज्य में दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, वह कर्मचारी उस लिस्ट का सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद वह देखेंगे कि वह लिस्ट ठीक है या गलत है। उसके पश्चात ग्राम सभा की खुली बैठक में गांव के लोग रहेंगे, जहां लिस्ट को पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, किसी परिवार का मुखिया 60 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति है या कोई विकलांग व्यक्ति है तो जब खुली मीटिंग होती है तो उसमें खड़े होकर लोग आपत्ति दर्ज करवाते हैं। इसके अलावा अपीलिंग के लिए हमने रखा है कि हर जिले में एसडीएम के स्तर पर अपील की जा सकती है। इन रिक्मण्डेशन के आधार पर हम लोगों ने देश के हर राज्य से 260 गांव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए हैं। उनमें भी हमारा प्रयास है कि गांव में जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक सूची है, जिसके आधार पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप किस ढंग से गांवों के लोगों से बातचीत करेंगे, किस ढंग से इसे फिल-अप करेंगे। वहीं एक दूसरा तरीका हम लोगों ने पीआरए सिस्टम अपनाया है कि उनके बीच जाएंगे। जब यह सारा सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद जब हमारे 260 पायलट गांव हैं, जनगणना के बाद हम एक-एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि आंकड़ों में बहुत-सी चीजों का पता नहीं चलता, अगर हम वास्तविक रूप से देखें, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के आउटले को हर पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया है। अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखें, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए। इसके बाद हमें दूसरा रेजयोलूशन भी लेना है।

श्री प्रदीप जैन : महोदय, 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 32,869 करोड़ रुपयों का किया था, दसवीं पंचवर्षीय योजना में 56,798 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 193503 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं क्योंकि अगर हमें अंधेरे से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है जिससे गरीबी दूर हो तो हमें प्रकाश का दीपक जलाना पड़ेगा। अगर हम दीपावली की काली रात की परिकल्पना करें तो हम एक जले हुए दीपक से सारे दीपकों में जिनमें बाती है, तेल है, उनमें प्रकाश दे सकते हैं। जब हम गरीबों की पहचान कर लेंगे, हम पहले की लिस्ट के आधार पर ग्रामीण विकास योजना के अंदर प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और वह रोजगार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से 38 स्वयं सहायता समूह इस देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं और उसमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारे कैबिनेट मंत्री डा. सी.पी.जोशी जी ने लिया और

एसजीएफवाई जो योजना थी, उसको हम लोगों ने एनआरएलएम में कैबिनेट से पास कराया, एक मिशन के रूप में कराया। गांवों के अंदर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, उनका समूह बनाना और समूह बनाने के साथ उनकी कैपेसिटी बिल्ट करना, उनके अंदर उन्हें एक काम प्रदान करना और उनकी तमाम कठिनाइयों को दूर करना है क्योंकि अगर हमें गरीबी दूर करनी है, वह गरीबी जो 28.3 प्रतिशत है, उसे भी हमें दूर करना है। वह गरीबी जो इस सरकार के माध्यम से लगातार कम होती गई है। अगर हम देखें कि गरीबी पहले कभी 55 प्रतिशत थी, 45 प्रतिशत रही और आज 28.3 प्रतिशत पिछले सेंसस के आधार पर है। जो गरीबी दूर करने के लिए जो संकल्प डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा, वह हम लोग पहले से ही कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने एक मॉडल लिया है। उसके अन्तर्गत एक कमेटी मिशन मोड में प्रदेश से बनती है। एक निश्चित समय है, उस निश्चित समय में हम प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोड़ेंगे। हमने सारे माननीय सदस्यों की बात सुनी।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी मेन प्वाइंट्स पर कह चुके हैं।

श्री प्रदीप जैन: मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस लें ताकि यह सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है, इससे प्रत्येक गरीब परिवार के आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 17 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और सभी ने इसका समर्थन किया है, चूंकि गरीब का सवाल है। श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, जगदम्बिका पाल जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री मंगनी लाल मंडल जी, श्रीमती भावना गाविल पाटिल जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, डा. बी.मेहताब जी, श्री निशिकांत दुबे जी, डा. बलिराम जी, चौधरी लाल सिंह जी, श्री एस सेम्मलई जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी, श्री सत्यपाल महाराज जी, श्री सुशील सिंह जी, श्री जगदीश ठाकुर जी, श्री रामकिशन जी, सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद करता हूं कि गरीबों के सवाल पर यह जो संकल्प है, इस संकल्प में है कि गरीबी हटाने के लिए संकल्प करो। अभी तक सरकार में संकल्प नहीं देखा गया कि हम गरीबी हटा देंगे। केवल नारा बताओ और गरीबी के लिए जहां तहां इक्के-दुक्के कार्यक्रम भी हुए हैं। गरीबी हटाने का संकल्प प्रथम खंड में है। हम चाहते हैं कि टाइम बाउंड कार्यक्रम 2015 तक गरीबी हटाने का संकल्प किया जाए। इससे पहले सदन गरीबी पर चिंता व्यक्त करे और इसके बाद संकल्प करे कि वर्ष 2015 तक गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटाने के चार सूत्र हैं, ऐसा नहीं है कि निर्गुण रूप से कहा गया कि गरीबी हटा देंगे और गरीबी हट गई। इससे न गरीबी हटेगी, न घटेगी और



न ही रुकेगी। हमें सरकार के लोग कहते हैं इसे वापिस लिया जाए। इसे किस हिसाब से वापिस लें, हम यह सदन पर छोड़ते हैं। सरकार गरीबी रेखा के लिए आइडेंटीफाई नहीं कर सकी है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है। सक्सेना कमेटी कहती है कि इस देश में 50 फीसदी गरीब हैं। तेंदुलकर कमेटी कहती है कि इस देश में 37 फीसदी गरीब हैं। ये सब सरकार की कमेटी हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। अर्जुन सेन गुप्ता के अनुसार 70-80 फीसदी लोग 20 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। इस तरह से उनके अनुसार 70-80 फीसदी हो जाएंगे। अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है कि कितने प्रतिशत गरीब हैं। इसके बाद परिवारों को आइडेंटीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका क्या उपाय है? ग्रामीण विकास मंत्री, जैन साहब के बस की बात है? योजना आयोग कहां है? नेशनल सैम्पल सर्वे कहां है? कैबिनेट कहां है? प्रधानमंत्री स्तर पर यह तय होना चाहिए। योजना आयोग तय करे कि किस रिपोर्ट को मानेंगे? उन्होंने कहां कहा कि किस रिपोर्ट को मानते हैं? 37 फीसदी को मानते हैं, 50 फीसदी वाले प्रतिशत को मानते हैं या अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी को मानते हैं? ये सब सरकार की कमेटी हैं, इसमें हमारी कोई नहीं है। सदन की भी कोई समिति नहीं है। सब सरकारी कमेटी हैं। सरकार ही अभी तक तय नहीं कर पाई है। क्यों तय नहीं कर पाई है? आपने कहा वर्ष 2009 के अगस्त महीने में रिपोर्ट दे दी है जबकि वर्ष 2010 का अगस्त महीना चल रहा है, साल भर हो गया। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट उसके बाद आई। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट भी उसके आसपास आई लेकिन अभी तक कोई निर्धारण नहीं हुआ है? हम किस आधार पर वापिस लें? हम गरीब का गला कैसे कटने दें? हम गरीब के लिए यहां आकर बैठे हैं, सदन में बहस कर रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपने किस कमेटी की रिपोर्ट को माना है? आइडेंटिफिकेशन कब तक पूरा हो जाएगा? 11वीं योजना का 2007-08, 2008-09, 2009-10 काल चल रहा है। 13 पैरामीटर 2002 में आए, सुप्रीम कोर्ट के चलते देरी हुई लेकिन यह लागू हुआ। इसमें राज्य सरकारों को कहा गया था इसे ग्राम सभा में ले जाइए। कुछ गलतियां रही होंगी और ग्राम सभा नहीं हुई। अतः ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से हो। कौन परिवार बीपीएल हैं, यह बात ग्राम सभा में उजागर हो। यह भी सरकार ने नहीं कहा, माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा। दो सवाल हैं- बीपीएल की किस रिपोर्ट को मानते हैं और कब तक तय करेंगे? ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? गरीबी हटाने का मूल उपाय दिया हुआ है, इसे सरकार को मानने में क्या एतराज है? इसमें कहा गया है कि पहले गरीब की पहचान कर लीजिए और एक बीपीएल परिवार के एक आदमी को, युवक या युवती को, देश और दुनिया में जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, दो या चार महीने की ट्रेनिंग दी जाए। और ट्रेनिंग के बाद उनके प्लेसमेंट, उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाए। इसमें यह सवाल है। सरकार अभी तक यही नहीं कर सकी है। हम जानना चाहते हैं कि



गरीब का खजाने में हिस्सा है या नहीं? गरीब को या तो आप रोजगार दीजिए और यदि रोजगार नहीं दे सकते तो उसे तीन हजार रुपये महीना पेंशन दीजिए। गरीबी कैसे हटेगी। बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी हटेगी। उस परिवार को या तो रोजगार दे दो और यदि रोजगार नहीं दे सकते हो तो उसे तीन हजार रुपये महीना पेंशन दो। गरीब का खजाने में हिस्सा है या नहीं।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करिये। आप इस बारे में पहले भी बोल चुके हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसे गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। इसलिए मेरे चार-पांच सवालों पर यदि मंत्री जी आश्वासन दें, नहीं तो हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। गरीब के साथ सदन में अन्याय नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, Raghuvansh Prasad *ji*, are you withdrawing the Resolution?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम संकल्प विदग्ना नहीं करेंगे।

MR. CHAIRMAN: In view of the reply made by the hon. Minister, are you withdrawing the Resolution that you have moved?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है।

सभापति महोदय : मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, आप वह सुनिये।

श्री प्रदीप जैन: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रघुवंश बाबू से कहना चाहता हूँ कि वह एक सांसद नहीं, बल्कि एक संस्था हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह क्वेश्चन भी कर रहे हैं और जवाब भी उनके पास है। जैसे उन्होंने गरीबों की संख्या के बारे में पूछा। सारे सदन को मालूम है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है। यह योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। जो सक्सैना कमेटी बनी थी, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थी, उसे निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात है, उसमें लगातार भारत सरकार के कार्यकाल के दौरान जो गिरावट हुई है, वह मैं बताना चाहता हूँ कि 1973-74 में जहां कम्बाइंड शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 54.88 प्रतिशत थी। 1993-94 में 35.97 प्रतिशत है।

सभापति महोदय : आप इतना इलाबोरेट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन : अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पहले भी लगातार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एक-एक परिवार को लक्षित किया गया, जिसमें 38 लाख एसएसजी बने हैं और इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं को यदि हम देखें...

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has been saying that they are trying to implement your ideas. In view of the assurance given by the hon. Minister, are you withdrawing the Resolution?

श्री प्रदीप जैन : मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह इस संकल्प को विद्वृत्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सब सपोर्टर्स लोगों से सलाह करेंगे, चूंकि उन्होंने समर्थन किया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): आपकी इच्छा है। ...(व्यवधान) आप विद्वृत्त कीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing the Resolution?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब सदन की राय है तो मैं अपना संकल्प विद्वृत्त करता हूँ।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.54 hrs.

(ii) Special status to the State of Bihar

MR. CHAIRMAN: Item No. 13 Dr. Bhola Singh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chairman Sir, he can speak now; it may be continued in the next Session.

सभापति महोदय : चार-पांच मिनट बाकी हैं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निपटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।”

कहां तो यह तय था कि चिरागां हर एक घर के लिये हो, कहां चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिये। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है ,चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प इस सार्वभौम सदन में बिहार के लिए लेकर आया हूँ, याचना के लिये नहीं, दया के लिए नहीं लाया हूँ। मैं इतिहास में किस तरह से दधीचि की हड्डी बना है, किस तरह हमने इस देश के विकास के लिए बलिदान किया है, किस तरह से हमने दुनिया में मानवता की सेवा की है, किस तरह से हमने संविधान को आधार प्रदान किया है और आज उसकी गति केन्द्र सरकार की नीति के कारण है। उसकी नीयत, उसके दृष्टिकोण के कारण आज हमारी यह स्थिति हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक राजकुमार था। उसकी शादी हुई और उसका एक लड़का हुआ लेकिन गरीबी को देखकर, मृत्यु को देखकर वह चिन्तन में रहा। उसने खोज की कि गरीबी क्यों है? दुख क्यों है? पीड़ा क्यों है? इसका निवारण कैसे हो सकता है? उस युवक का नाम सिद्धार्थ था जिसने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसके शरीर पर घास-फूस उग आयी लेकिन तब एक दलित की बेटी सुजाता ने उस महामानव के सामने खीर परोसी तो सिद्धार्थ बुद्ध हुये। उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो आज दुनिया का सब से बड़ा धर्म है। उसकी जननी बिहार है।

सभापति महोदय, मैं अब इतिहास के एक और प्रकरण की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। सिखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जिनका इतिहास त्याग और कुर्बानी का है जिन्होंने इस वतन के लिये बड़ी बड़ी कुर्बानियां दीं। उनके धर्म ने, उनके सिख समुदाय ने अपने बेटों को बलिदान कर दिया। उसकी जननी बिहार

पटना सिटी है। गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था। बिहार भारत की आकृति है। यह न केवल भारत की भौगोलिक आकृति बल्कि ऐतिहासिक आकृति है। मैं ऐसा इसलिये कहना चाहता हूँ कि चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में मगध साम्राज्य के सम्राट हुए तो उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुश पर्वत तक की थी। उस समय सिकन्दर का सेनापति सैल्युकस आया जिसके साथ संघर्ष किया। लड़ाई में सैल्युकस को हराया था और बाद में उसकी बेटी से शादी भी की। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं, उसका प्रधान सचिव था। मौर्य के शासनकाल में यूनान का विदेशी राजदूत मेगास्थनीज आया हुआ था। उसने चन्द्रगुप्त मौर्य से पूछा कि आपके साम्राज्य में इस समृद्धि का क्या कारण है? तब चन्द्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अगर आपको जानना है तो हमारे मंत्री कौटिल्य हैं, उन से जाकर यह जानकारी प्राप्त कर लीजिये।

18.00 hrs.

मेगास्थनीज ने कौटिल्य से समय मांगा, कौटिल्य ने समय दिया। जब मेगास्थनीज कौटिल्य के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा।

MR. CHAIRMAN: You may continue your speech next time. Now, time of Private Members' Business is over. Please sit down.



MR. CHAIRMAN: Now, we will start 'Zero Hour'.

But before I call the name of the hon. Members, I say that there are many hon. Members who have submitted their notice for making special mention. I would request all of you to please confine your speeches within 2-3 minutes. Please cooperate with the Chair.

Shri Rajen Gohain.

SHRI RAJEN GOHAIN (NOWGONG): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak about the inclusion of Tai Ahoms, Koch Rajbonshi, Moran, Motak, Chutia, Tea Garden and Ex-Tea Garden labourers in the Schedule of the Constitution (ST) Order, 1950 specified for Assam under Article 342 of the Constitution of India.

Sir, almost all the Mongoloid Tribes of India as well as the North-Eastern Tribes are either ST (Hills) or ST (Plains). But only the Ahoms, Koch Rajbonshi, Chutia, Moran, Motak, Tea and Ex-Tea Garden labourers are deprived of such privileges under the Constitution in spite of having such provision in the Constitution.

The Governor of Assam and the State Government have also recommended for the inclusion of these major communities in the list of ST (Plains) to the Government of India. Now, with the formation of the select Committee of the Parliament, there is every hope that this matter will be set right by removing all the lacunae and bring justice to more than one crore population of these six backward communities in Assam.

The matter of Koch Rajbonshis community for inclusion in the ST list was taken up in 1996 and subsequently three times the Ordinance was passed to grant them the ST status for a limited period, which is now vacated. This has resulted in humiliation to the community since lot of confusion arises while students proceed for higher education outside the State of Assam. Therefore, a concrete decision should be taken to protect these six major backward communities who have been raising their voice in various forums for a long period.

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को शून्य प्रहर के तहत उठाने के लिए मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, लेकिन बीच में मुझे रोका-टोका न जाये।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, जो इस विषय से संबंधित हैं, अभी सदन में उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूंगा कि विगत 04 अगस्त से लगभग 17 दिनों से एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उसमें मात्र एक तिहाई उत्पादन हो रहा है। उस इकाई की प्रतिदिन 15 हजार मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता है, लेकिन उससे मात्र 5 से 6 हजार मीट्रिक टन स्टील प्रतिदिन उत्पादित हो रही है। उसके मात्र 2 फर्नेस चल रहे हैं और 3 फर्नेस पूरी तरह से बंद हैं। अब तक भारत सरकार को सात-आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

मैं आपका ध्यान इस बात के ऊपर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वहां का जो मैनेजमेंट है, वहां के जो अधिकारी हैं, वे यह कह रहे हैं कि हमारा पूरा प्लांट अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है और हर फर्नेस चालू है। सब कार्यरत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और आप एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मैनेजमेंट का कहना है कि प्लांट पूरी तरह से चल रहा है तो फिर 15000 टन प्रतिदिन के बजाय मात्र 5000 से 6000 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन ही क्यों हो रहा है? मैं बोकारो स्टील प्लांट की बात कर रहा हूँ और इसके कारण देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। अभी तक सात सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और इसका जो दूसरा बुरा असर है, वह उसके सिंकिंग प्लांट पर भी पड़ रहा है, उसके कोको ओवन प्लांट पर भी पड़ रहा है, ये प्रभावित हो रहे हैं। अभी 40 वर्ष इस प्लांट को स्थापित हुए हो गए हैं, लेकिन 40 वर्षों में कभी भी सही तरीके से इसके मेनटेनेन्स पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके पाइपलाइन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, नकली मुनाफ़ा दिखाया जाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वे एक अच्छे और ज़िम्मेदार आदमी हैं।

सभापति महोदय : आप प्लांट का नाम तो बताइए।

श्री सुशील कुमार सिंह : बोकारो स्टील प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला प्लांट है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो निजी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हैं, वे कहीं न कहीं बीएसएल के मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। ...(व्यवधान) इसके कारण सरकारी क्षेत्र में काम करने

वाली इस बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन जान-बूझकर कम कराया जाता है ताकि बाज़ार में निजी क्षेत्र में उत्पादन करने वाली कंपनियों का वर्चस्व कायम रहे और बाज़ार की कीमतों पर उनका नियंत्रण रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच कराएँ कि क्षमता के हिसाब से उत्पादन कम क्यों हो रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*(Interruptions) ...**

SHRI SANJOY TAKAM (ARUNACHAL WEST): Mr. Chairman, I rise here to draw the kind attention of the Government of India to a very important and necessary requirement and the problems that the people of Arunachal Pradesh are facing.

The Food Corporation of India and the Ministry of Food, Government of India stopped payment of hill transport subsidy bills from 2004 till today. It is already seven years that the Government of Arunachal Pradesh has not been receiving even a single penny from the Ministry of Food.

The Government of India had issued one guideline in 1999; again another guideline to push the Public Distribution System to the interior belt of Arunachal Pradesh in 2001. They made a payment of the PDS for three years according to the 2001 guidelines.

MR. CHAIRMAN : What is your demand?

SHRI SANJOY TAKAM : My demand is, there is a pending bill of Rs.600 crore for seven years. The Ministry of Food is giving a deaf ear to the problems of this sensitive border State. Almost 80 per cent of the landlocked region of Arunachal Pradesh does not have any rice production. ... *(Interruptions)* We are depending entirely on the Public Distribution System (PDS).

A very critical situation has come to this State. The State Government has written to the Government of India that they do not want to do any type of advertisement and the State Government does not want to take over the PDS. It



* Not recorded.

should be the Food Corporation of India (FCI), which should reach till the destination of the Fair Price Shops in Arunachal Pradesh. ... *(Interruptions)*

Mr. Chairman, this is a very serious situation, which has come to this State, and this State has to be taken care of. It should not be taken in an isolated manner. Instead of sorting out the problems of the State Government, the FCI and the Food Ministry, Government of India has been dragging this issue before various courts of law. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: All right, you have spoken quite well. What is your demand from the Government of India?

SHRI TAKAM SANJOY : Sir, my demand, through you, is that the Government of India should immediately sort out this critical situation to ensure that there is no food crisis imminently coming in the future. Thank you very much, Sir.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, मैं शून्य प्रहर में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूँ। यहां पर्यटन मंत्रालय का कार्यालय वर्ष 1971 से बढ़िया काम कर रहा था। उस काम की बदौलत खजुराहो दुनिया के मानचित्र पर अंकित हुआ है। पता नहीं, किस वजह से यूपीए की सरकार ने उस कार्यालय को उस जगह से हटाने का निर्णय लिया है। एक तरफ बुंदेलखण्ड के विकास के लिए पैसे भेजते हैं, पैकेज देते हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार के कार्यालयों को खजुराहो से अलग करके, हमें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में सदन से अनुरोध करता हूँ कि यूपीए की यह सरकार यदि वास्तव में बुंदेलखण्ड को विकसित करना चाहती है तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के उस कार्यालय को अनिवार्य रूप से हटाने से रोकें। जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है कि वहां पर जनता आंदोलन कर रही है। इस कार्यालय को खजुराहो के विकास के लिए रोका जाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शून्य प्रहर में मैंने यह बात आपके सामने रखी है। धन्यवाद।

SHRI B. MAHTAB: Sir, I may be allowed to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Yes, please.

... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your name is there. Please wait for some time.

SHRI B. MAHTAB: Sir, through you, I would like to draw the attention of this House and also of the Government relating to the failure of monsoon in large parts of Eastern India, especially, Orissa.

Out of 30 districts of Orissa, agricultural activities have been seriously affected in at least 11 districts because of deficient rainfall. Orissa received 16 per cent less rainfall this monsoon -- down from the average normal of 773.6 mm -- till mid-August. Of the 314 blocks of Orissa, only 91 had received normal rainfall in June, July and August. Large tracts of Orissa, especially, 16 districts have scanty rainfall. In nine districts, it is less by between 30 per cent and 80 per cent and in other districts it is 30 per cent less. Here, I am told that the coastal districts of Orissa including, Sir, in your Constituency at Chandwali has very less rainfall. The saplings are not being transplanted; the paddy crop has already withered away in Sambalpur, Bargarh and Sundargarh districts; and the farmers of Orissa are facing tremendous difficulty. It is not only the case of the State of Orissa, which is hit by deficient rainfall. The State of Bihar is facing drought-like situation; in Jharkhand, the rainfall has been 45-60 per cent below this year; in West Bengal, there is an average shortfall of 33 per cent rainfall; and the Eastern part of Uttar Pradesh is also facing tremendous drought-like situation. This drought stricken districts of South Bengal is worsening the situation day after day even in Orissa. Eastern States face a spectre of drought for the second year. That is why, I need to support from the Central Government. The Central Government should come out with full vigour to support respective State Governments because the States are now looking to the Centre for support of providing seedlings, of providing seeds and also providing other measures. Unless it is done immediately, the farmers will be facing great difficulty. Therefore, I urge upon the Government, through you, that the Government of India should come out with support for paddy cultivators.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली भी चिन्तित

है, लगातार दिल्ली में बढ़ते हुए डेंगू के प्रभाव से 13 अस्पतालों में लगभग 1070 मरीज भर्ती हो चुके हैं। होलीफैमिली और कई ऐसे अस्पताल हैं, जहां पर अब डेंगू से प्रभावित मरीजों को लिया भी नहीं जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि देश की राजधानी में दो महीने से भी कम समय है, जब कॉमन वैल्थ गेम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें केवल कॉमन वैल्थ के खिलाड़ी ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक एवं विदेशी मेहमान आएंगे। यह संदेश जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली डेंगू जैसे संक्रामक रोग से प्रभावित है। पिछले दिनों स्वाइन फ्लू से कितनी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। हमारे पर्यटन पर प्रभाव पड़ा था और पर्यटकों की संख्या कम हुई थी, जो इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। आज हमारे सामने दो चुनौतियां हैं, एक चुनौती कॉमन वैल्थ गेम को सम्पन्न कराने की है, जिसमें कि तमाम खिलाड़ी एवं विदेशी लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के जो स्थानीय लोग हैं, दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, यहां से लेकर ओखला तक या पुरानी दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली के किसी भी एरिया में आज लगातार डेंगू के बढ़ते हुए प्रभाव एवं प्रकोप से पीड़ित हैं।

सभापति महोदय, रेलवे लाइन के ट्रैक के किनारे जो तालाब एवं गड्ढे हैं, भारत सरकार उनके लिए, दिल्ली में नार्दन रेलवे ने एक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है, जिसमें मॉसकीटो टर्मिनेटर नाम की ट्रेन है, एमसीडी डिपार्टमेंट को उस पर कंटेनर रख कर छिड़काव कराना है। अगर हम युद्धस्तर पर उदासीनता बरतेंगे, ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please sit down Shri Lal Singhji. You please go to your seat.

... (Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूँ कि आज इस डेंगू के प्रभाव से न केवल दिल्ली प्रभावित है, बल्कि देश के अन्य दूसरे प्रदेश भी प्रभावित हैं। मुंबई में जिस तरह से मलेरिया का प्रभाव पड़ा, दिल्ली का एमसीडी का जो मुख्यालय है, वहां पर भी डेंगू के लारवा मिले।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already said everything. Please conclude.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I am raising a very important issue which affects the health of the people of Delhi. I am not talking any political thing.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज इस संक्रामक रोग के लिए दिल्ली में जो एमसीडी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की एमसीडी और मेयर हैं। मेयर ने खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली में लारवा है, तालाबों में पानी है, मलवे की सफाई नहीं हो सकी है। दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर सफाई नहीं हो सकी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तत्काल

युद्धस्तर पर डेंगू की रोकथाम के लिए या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी एनसेफलाइटिस या मलेरिया के लिए युद्धस्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जाए।

MR. CHAIRMAN: I do not say that. But you have to confine to the timing.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : You are kind enough. I must thank you for that.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले लोक सभा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में एक रूलिंग दी थी कि अनुसूचित जाति की अत्याचार से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, उन्हें सदन संज्ञान में लेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त, 2010 को जब सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस वक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के गांव लहना और थाना करारी के अंतर्गत एक हरिलाल, अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। जो झंडा फहराने के बाद गांव में पंचायत चुनाव की तैयारी में कार्य कर रहा था। उस वक्त कहा-सुनी होने पर, उसे दिन में ही गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। अनुसूचित जाति के उत्तेजित लोगों ने हत्यारों के घरों की आगजनी की। इससे काफी जान-माल का नुकसान हुआ है। उस आगजनी में बहुत सारे निर्दोष लोगों के ऊपर दफा लगाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस घटना की एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। हरिजन उत्पीड़न से उसकी हत्या हुई है। जो दोषी लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। नामजद रिपोर्ट लिखी गई है और जो निर्दोष लोग हैं, वे कम से कम उस मुकदमे से बचें। यही मेरा आग्रह है। इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, हमारे देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों सहित, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर लगातार आर.टी.ओ. और पुलिस की अवैध वसूली के चलते एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के आश्रित व्यक्ति, श्री अवधेश कुमार की, पिछले सप्ताह ट्रक से कुचल जाने के कारण अपने दो साथियों सहित मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार आर.टी.ओ. और तेज स्पीड की गाड़ियां आने और क्रॉसिंग्स के न होने के कारण ट्रकों से दबकर, कुचलकर काफी हत्याएं होती हैं और उनमें आम आदमी मर रहा है।

मोहनसराय से लेकर पचफरमा के बीच में, दोनों जनपदों के आर.टी.ओ. और पुलिस द्वारा अवैध वसूली के कारण वहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उन्हें देखकर ट्रक वाले भागते हैं और इस भागदौड़ में जो भी राहगीर, जो भी गरीब व्यक्ति आता है उसकी मौत हो जाती है। अब तक इस तरह की कई दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों से आप टोलटैक्स लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए आप हमारी जमीनें लेते हैं, आसपास का किसान, गरीब और मजदूर शहर में नौकरी और अपने काम-धंधे के लिए जाता है और उन सड़कों से गुजरता है और उनकी एक प्रकार से उन्हीं सड़कों पर ट्रकों और गाड़ियों की भागदौड़ में मौत हो जाती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क सुरक्षा के तहत हमें उनका जीवनबीमा करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित परिवार की मृत्यु हो गई, उसके साथ उसके दो और साथी भी मारे गए। ऐसे लोगों के लिए एक जीवनबीमा योजना चलानी चाहिए, ताकि जिन लोगों ऐसी दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, उन्हें कुछ सहायता मिल सके। मैं मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी घटनाएं होने पर, मारे गए लोगों की सहायता के लिए बीमा योजना चलाई जाए और उसका खर्च सरकार वहन करे और उन्हें सहायता प्रदान करे, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वे भारत सरकार से संबंधित हैं। आम जनता के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत बीमा योजना चलाई जाए, जिसकी प्रीमियम का भुगतान सरकार करे। इसमें जो भी दोषी लोग हैं, उन्हें सजा दी जाए। आर.टी.ओ. और पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है। उसकी भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो कोल इंडिया की डब्ल्यू.सी.एल. इकाई है, उसके लिए नई खानों हेतु बहुत सारी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि डब्ल्यू.सी.एल. में 33 नई खानें आने वाली हैं और इनके लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण होने वाला है। जो सी.बी. और एल.ए. एक्ट के अन्तर्गत अधिग्रहण हो रहा है, उसके अनुसार जिलाधीश उनकी भूमि की कीमत तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जिस चन्द्रपुर संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहां पर गोरेदीप माइन है, वहां किसानों की भूमि का मूल्य 20 हजार रुपए प्रति एकड़ निकाला गया है। वहां इसके चलते किसानों में बहुत असंतोष है और आन्दोलन हो रहे हैं।

कुछ दिन पहले की घटना आपके ध्यान में आई होगी कि मथुरा एवं अलीगढ़ के आसपास की जो भूमि अधिगृहीत की जा रही थी, उसका 3 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक दाम दिए जाने के बावजूद वहां किसानों ने आन्दोलन किया।

वहां पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का मूल्य निकालने के बाद किसानों में जो असंतोष है, इसके बारे में मैं बार-बार मंत्री जी से मिला हूँ, उनको वहां के किसानों के रोष के बारे में अपने पत्रों द्वारा

समझाया है। मंत्री जी ने मीटिंग ली और इसके चलते वहां डब्लू.सी.एल. के जो सी.एम.डी. हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब तक भूमि का मूल्य नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक वहां पर एक भी नई खदान नहीं खुलेगी। यह प्रस्ताव सी.एम.डी., सी.आई.एल. द्वारा मंत्रालय को भेजा गया है, उस पर चर्चा चल रही है। उसके बीच में जिलाधीश, चन्द्रपुर और वहां के डब्लू.सी.एल. के जो बल्लारपुर एरिया के सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन लोगों ने वहां पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए जबरन किसानों को धमकाया है और घर-घर में यह कहकर झगड़े लगाये हैं, उनके बेटों को यह कहा है कि आप अपने पिताजी को कहिये, हमें भूमि दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे और इसके चलते करीब हर घर में झगड़े कराकर अधिग्रहण करने का प्रयास हो रहा है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसको मानता हूँ कि 20 हजार रुपये का जो दाम दिया जा रहा है तो भूमि का कोई मूल्यांकन ही नहीं है।

साथ में उस एरिया में, डब्लू.सी.एल. में जो कोल इंडिया के अधिकारी हैं, वहां पर कुछ लोकल एम्पलाई हैं, जिनकी वहां पर भूमि जा रही है। उन लोगों को यह धमका कर भूमि अधिग्रहण के लिए रजामन्द किया जा रहा है कि तुम्हें हम यहां से ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो भूमि की हमको सम्मति दीजिए और इस तरीके से भूमि का अधिग्रहण हुआ है। वहां के डब्लू.सी.एल. के सी.जी.एम. और प्लानिंग आफिसर ने वहां पर बहुत ही गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया है। मैं आपको यह बताता हूँ कि जो हमारी आर.आर. पालिसी, 2008 है, एल.ए. और सी.बी. एक्ट हैं, इनमें प्रावधान है कि 14(ए) में इसका निगोसिएशन किया जा सकता था, लेकिन वहां पर निगोसिएशन नहीं किया गया और भूमि जबरदस्ती ली गई।

मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि वहां के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और किसानों की भूमि जो जबरदस्ती ली जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): चेयरमैन साहब, आपने मुझे यहां से बोलने की जो इजाजत दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

आप जानते हैं और हम सारे एम.पीज़. भी जानते हैं कि एक मई, 2005 को राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम लागू हुई। उसे अच्छे ढंग से बनाया गया और उसका बड़े अच्छे ढंग से इनोवेशन हुआ। उसमें यह कहा गया कि हम 2009 को पूरे देश में बिजली देने के लिए कमिटेड होंगे। उसमें यहां तक तय हुआ कि 1.25 लाख गांव जो बिजली के बगैर हैं, उनको भी बिजली दी जायेगी। साथ में यह भी कहा गया कि जो सात से आठ करोड़ हाउसहोल्ड होंगे, उनके घरों में बत्ती लगाई जायेगी।

मैं जनाब से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी ही कांस्टीट्यूट में आपको ले जाता हूँ, अगर मिनिस्ट्री की वैबसाइट को देखें तो उसमें कितना डिफरेंस है, आप देखेंगे कि जब हमारी डी.पी.आर. बनाई गई, हमारे यहां जो इमरजेंसी बनी हुई है, आप हमारे हालात को देखें तो उसी तरह से देखें। 104 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनी, उसके बाद उसको 76 करोड़ रुपये पर रिड्यूस करके आ गये। फिर अब फाइनलाइज़ किया तो 74.77 करोड़ पर पहुंच गये, लेकिन जब पैसे सैंक्शन किये तो आप हैरान होंगे कि 28.33 करोड़ रुपये किये। आप मुझे बताओ कि कैसे आप बिजली दे पाओगे? आपने यह क्या सिस्टम बनाया है और उससे क्या हुआ? उसमें यह भी किया था कि 24 घंटे बिजली दी जायेगी, चाहे शहरी क्षेत्र हो या विलेज हों, अर्बन और रूरल एरियाज़, दोनों में बराबर 24 घंटे बिजली दी जायेगी, लेकिन मेरी कांस्टीट्यूट में और पूरी स्टेट में इतना कटाव लगा, यह हाल बना। मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात सुना रहा हूँ। मेरे यहां 6 जिले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने यह वायदा किया कि प्राइमरीली हम इर्रीगेशन भी देंगे। इसमें लिखा गया है, मैंने पूरी स्कीम पढ़ी थी, इसमें यह भी लिखा गया कि हम उन जगहों पर भी बिजली देंगे, जिन गांवों में खादी उद्योग हैं, जो छोटे हैं, सब को बिजली देंगे, लेकिन एक भी पोल इन जगहों पर नहीं लगा, जिन जगहों का एनाउंस किया गया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है, वह बोलिये।

चौधरी लाल सिंह: मेरा मसला यह है कि 104 करोड़ रुपये से जो हमारा इलैक्ट्रीफिकेशन होना था, वह 28 करोड़ पर पहुंच गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये वे गांव छोड़ देंगे, जिनकी एल.टी. काट दी गई। अब उन इलाकों का क्या बनेगा? साथ में जुल्म यह हुआ कि इन्होंने एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. और पी.जी.सी.आई.एल., इन आर्गेनाइजेशंस को पूरा हिन्दुस्तान सौंप दिया।...(व्यवधान)

मुझे सिर्फ दो मिनट लगेंगे। आप हैरान होंगे कि एन.एच.पी.सी. को जो काम दिया गया, वह इसलिए दिया गया कि वे बड़े अव्वल दर्जे का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने एल.एण्डटी. को वह काम दे दिया और एल.एण्डटी. ने वह काम आगे कॉमन आदमी को दे दिया। आप हैरान होंगे कि वहां कॉमन लोगों को काम दे दिया गया। आप मुझे बताओ, जिसने टेंडर लिया, उसने उसे नहीं किया और आगे बेच दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारे इलाकों में बिजली का बुरा हाल हुआ। मेरी जनाब से सबमिशन है कि यह टोटल पैसा और जो इलाके रह गए, जहां सब स्टैंडर्ड काम हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि उस ओर ध्यान दिया जाए।



श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर बात यहां बताना चाहती हूं। असम में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट नार्थ कासा है। वहां बहुत भयंकर घोटाला हुआ, जो घोटाले की सारी सीमाएं क्रास कर गया। अभी रिसेंटली मालूम हुआ कि एक हजार करोड़ रूपए का घोटाला नार्थ कछार हिल्स में हुआ। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टीगेट करके यह निकाला कि इसमें किसी मिनिस्टर का नाम भी था, लेकिन उस मिनिस्टर का नाम बाद में काट दिया गया। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुयी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि चाहे जितने बड़े पद में हो, किसी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस हो, कोई एनोमिलीज हो, उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। असम के मिनिस्टर के खिलाफ जो बात आयी थी, उसमें उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। केंद्र से वहां पैसा जाता है। यह अनुसूचित जनजाति प्रधान डिस्ट्रिक्ट है और वहां भी केंद्र से पैसा जाता है। यह सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। राज्य सरकार इस पैसे पर हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन राज्य सरकार होने के बावजूद वहां इतना बड़ा घोटाला हुआ है।

MR. CHAIRMAN : What is your demand?

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : यहां * एक आफीसर ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not take the name.

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : एक आफीसर की छत की दीवार से, उसके घर की पानी की टंकी से साढ़े सत्रह करोड़ रूपए बरामद हुए। यह पैसा उग्रवादी लोगों के पास जाता है, अखबार में भी इस बारे में आया है। मेरी विनती यह है कि सारे विभागों के बारे में विचार होना चाहिए। सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और कोई मिनिस्टर हो तो भी उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (बस्ती): महोदय, आपने शून्य काल में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित खराब और प्रतिदिन गिरती हुयी साख की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र बस्ती से निर्वाचित होकर आया हूं। मेरे यहां आए दिन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक बीएसएनएल की प्री एवं पोस्ट पेड मोबाइल सेवा पर बात करना मुश्किल है। कुछ ग्रामीण अंचल के एक्सचेंजों की हालत तो और भी बर्दतर है। वहां काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से जनरेटर की सुविधा हेतु मिलने वाले डीजल की बिक्री बाजार में कर दी जाती है और

* Not recorded.

एक्सचेंज और टावरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। एक तरफ इस प्रतिस्पर्धा के युग में खराब सेवा देने के कारण ही देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी की माली हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पिछले पांच सालों में ग्राहकों से जुड़ने-हटने का अगर आंकड़ा देखा जाए, तो सर्वाधिक मोबाइल धारकों ने सबसे पहले बीएसएनएल की सेवा ली थी लेकिन बाद में वे किसी अन्य कंपनी की सेवा लेने लगे हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश की सबसे बड़ी टेलीफोन सेवा कंपनी की गिरती हुयी साख को बचाने एवं जनता के हित को ध्यान में रखकर, इसकी हालत में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जनता का विश्वास इस कंपनी के प्रति बना रहे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ, जहां लगातार वर्षा हो रही है। इस अतिवृष्टि से कई सड़कें टूट गयी हैं। सड़कों के टूटने से उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि वहां मूलभूत आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी केरोसीन आयल, गैस सिलेंडर, सब्जियां और दूध लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। वर्षा से वहां की सड़के बहुत टूट गयी हैं, जैसे बेंड-स्वारी ग्वांस मोटर मार्ग, तूना-बैंठा मोटर मार्ग, पूलन, बांगर और कोटेश्वर से संपर्क टूट गया है। वहां पेयजल की बहुत भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। वैसे तो उत्तराखंड देश को पानी से तृप्त करता था, लेकिन आज वहां ऐसी स्थिति बन गयी है, जैसे पानी में मीन प्यासी।

पेयजल की समस्या बड़ी भयंकर बन गई है, मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं और जनसम्पर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और वहां के निवासियों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में एक टोल टैक्स पॉलिसी बननी चाहिए। मैं बीकानेर से आता हूँ। मैं जब जयपुर से दिल्ली के बीच यात्रा करता हूँ तो वह 270 किलोमीटर की दूरी है और पांच टोल टैक्स आते हैं। अभी इंटरकनेक्टिंग का जमाना है, कम्प्यूटर का जमाना है। क्यों नहीं एक जगह टोल टैक्स वसूल कर लिया जाए और इन पांचों कम्पनियों के बीच एमओयू हो जाए? वे आपस में पैसे बांट लें। इससे एक आदमी को एक ही जगह खड़ा रहना पड़ेगा, पांच जगह खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। यह समस्या जयपुर और दिल्ली के बीच नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे देश में यह समस्या है। बीओटी के आधार

पर मेघा हाईवे बन गए, सिक्स लेन बन गईं, फोर लेन बन गईं और हर जगह टोल टैक्स बन गए। जनता खड़ी रहती है, अधिकारी खड़े रहते हैं और ट्रक आदि भी खड़े रहते हैं। एक जगह कलैक्शन हो जाए और उसी रसीद को चारों, पांचों कम्पनियों आपस में कम्प्यूटर के माध्यम से हिसाब कर लें। मैं चाहता हूँ कि सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे जनता के पैसे की बर्बादी न हो और देश को भी फायदा हो।

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): सभापति महोदय, मैं गरीबों की चिकित्सा के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बहराइच से सांसद हूँ जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज गरीब लोगों की क्या स्थिति है। मैं चिकित्सा की अपर्याप्त सुविधा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। मैं खासकर उत्तर प्रदेश के उन इलाकों जहाँ एससी, एसटी के लोग निवास करते हैं, वन ग्राम के लोग निवास करते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूँ। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा झोला छाप डाक्टर हैं, दवाइयों की कमी है। केन्द्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उन गरीब इलाकों में जहाँ मच्छर बहुत हैं और बहराइच ऐसा इलाका है जहाँ हमेशा बाढ़ आती है, दबा हुआ इलाका है। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अनुपलब्ध हैं, डाक्टर नहीं हैं। मैं केन्द्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ जिनकी लोकल जिम्मेदारी है। वहाँ मच्छर की दवाएं नहीं छिड़की जातीं!...(व्यवधान) महिलाएं प्रसव पीड़ा से मर जाती हैं!...(व्यवधान) मैं आग्रह करता हूँ कि उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारत के विभिन्न प्रान्तों से तथा बंगलादेश से रिफ्यूजीस को द्वीप समूह में लाया गया। उसी मुताबिक तमिलनाडु से पल्लर, पराइया जाति, आंध्र प्रदेश से जलालरू, माबागा, उत्तर प्रदेश से बाल्मीकी, बिहार से कुम्हार, केरल से पुल्लाया, पराया और ईस्ट बंगाल से बिश्वास, मंडल, गोलदा जो शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग थे, वे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आकर रह रहे हैं और द्वीप विकास में हाथ बंटा रहे हैं। इन जातियों के लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। ये कुल आबादी के 60 प्रतिशत लोग हैं। इनकी बहुत दिनों से पुरानी मांग चल रही है कि इन्हें शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा मिले।

जो उदबस्तू रिफ्यूजी बंगलादेश से पश्चिम बंगाल में आये थे, उनको भारत सरकार ने शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा दिया और नमशूदरा नाम दिया। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से जो शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग हमारे द्वीप समूह में रहते हैं, उनको वहाँ भी शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा दिया जाये।



श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सदन को प्रणाम। हमारे एरिया में एनएच 14 ब्यावर से पिंड होकर गुजरती है। वर्ष 2001 में वहां सर्वे हुआ था। उस वक्त नौ हजार गाड़ियां आवागमन करती थीं। इसी तरह एनएच 65 अमृतसर से वाया जोधपुर होते हुए पाली के पास जुड़ती है। वहां पर तीन हजार गाड़ियां और जुड़ जाती हैं। इस तरह कुल 12 हजार गाड़ियां हो गयी हैं। आज के सर्वे के मुताबिक 20 हजार से अधिक गाड़ियां वहां से आवागमन करती हैं। वहां फोर लेन तो स्वीकृत हो गयी है, लेकिन हमारी मांग सिक्स लेन की है। पीपलियानाडा के पास आज से दस दिन पहले कुछ मजदूर बैठे थे, वे सारे के सारे मजदूर एक्सीडेंट में मारे गये। वहां किसी परिवार का भाई खत्म हो गया, किसी माता का बेटा खत्म हो गया और किसी महिला का पति खत्म हो गया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी जो डिमांड है, उसे आप बोलिये।

श्री बद्रीराम जाखड़ : हमारी डिमांड है कि जो फोर लेन रोड स्वीकृत की गयी है, उसे सिक्स लेन किया जाये। यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि वहां हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। हर दिन वहां कोई न कोई एक्सीडेंट होता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले दिनों झारखंड के गरीब मजदूर भाई लेह, जहां बार्डर रोड आर्गनाइजेशन यानी बीआरओ के द्वारा रोड बन रही थी, वहां झारखंड के 2500 मजदूर काम करने के लिए गये थे। लेह के बारे में पूरे सदन को मालूम है और पूरे समाचार पत्रों और मीडिया में भी आया कि लेह में बादल फटने से, भारी बारिश होने से वहां पूरी तरह से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे झारखंड के ढाई हजार मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। आज उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। उन्हें खाने के लिए दाना और इलाज के लिए दवा नहीं मिल रही है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वहां झारखंड के जो ढाई हजार मजदूर फंसे हुए हैं, उनमें से जो मजदूर वापस अपने घर आना चाहते हैं, उन्हें पुनः अपने घर पहुंचाया जाये। दूसरा, जो मजदूर वहां रहना चाहते हैं, उनके लिए भोजन, दवा और रहने के लिए आवास की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, चूंकि यह सबमिशन मेरा पहले नम्बर पर था, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, ... *

सभापति महोदय : ठीक है। यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): मैं कहना चाहूंगा कि सरकार उन तमाम मजदूरों को अपने घर ले जाने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ सरकार उनके लिए वहां खाने पीने और उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करे।

18.44 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, August 25, 2010/Bhadrapada 03, 1932 (Saka).*

